



भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग
अहमदाबाद

अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्थित बैंक के अधिकारियों के आवासीय परिसर में 1 यात्री लिफ्ट का
डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने
के लिए
ई-निविदा

ई-निविदा संख्या: आरबीआई / अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय / एस्टेट / 11/25-26/ईटी/1099

भाग - I

निविदाकर्ता का नाम: _____

पता: _____

निविदा आमंत्रण की सूचना की तिथि: 16 मार्च 2026

निविदा जमा करने की प्रारंभ तिथि: 16 मार्च 2026

बोली-पूर्व बैठक की तिथि: 24 मार्च 2026

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय: 06 अप्रैल 2026 को अपराह्न 01:00 बजे

निविदा के भाग- I के खुलने की तिथि: 06 अप्रैल 2026 को अपराह्न 03:00 बजे

ई-खरीद के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे इस निविदा के नियम और शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ें।

1 ई-निविदा की प्रक्रिया:

A) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में विक्रेता का एमएसटीसी ई-खरीद पोर्टल पर पंजीकरण शामिल है। यह निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही विक्रेता अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। तकनीकी और वाणिज्यिक बोलियां जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से की जाएगी। विक्रेता के पास श्रेणी III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। निविदाकर्ताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ऐसी व्यवस्था करने के लिए एमएसटीसी जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट: तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली

इसे ऑनलाइन जमा करना होगा। www.mstcecommerce.com/eproc

1). निविदाकर्ताओं को ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक है। www.mstcecommerce.com/eproc → विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें -- विवरण भरें और अपना उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएं → सबमिट करें।

2). निविदाकर्ताओं को पंजीकरण फॉर्म भरते समय दिए गए उनके ईमेल पते पर सिस्टम द्वारा जनरेट किया गया ईमेल प्राप्त होगा, जिसमें उनके पंजीकरण की पुष्टि होगी। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, निविदाकर्ता (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले) आरबीआई/एमएसटीसी से संपर्क कर सकते हैं।

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई):

1. श्री रोनक ठक्कर, (इलेक्ट्रिकल), संपदा विभाग, 079-27548426.
2. श्री पंकज दंदेलिया, सहायक प्रबंधक, संपदा विभाग, 079-27548423.

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड):

1. रेणू पुरषोत्तम — rpurushottam@mstcindia.co.in — 08884406412
2. सुरैया आर. शेख — srshaik@mstcindia.co.in — 7406047869
3. बी. तेजा — bteja@mstcindia.co.in — 06281048513
4. कृष्णा कांत — krishna366377@mstcindia.co.in — 8333036366
5. राजशेखर — rajmstc@mstcindia.co.in — 8464073640
6. धनंजय — dkumar@mstcindia.co.in — 9650554645

बी) सिस्टम आवश्यकताएं:

- i) विंडोज 7 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम
- ii) E-7 और उससे ऊपर के इंटरनेट ब्राउज़र।
- iii) हस्ताक्षर का प्रकार: डिजिटल हस्ताक्षर
- iv) सिस्टम में नवीनतम अपडेटेड JRE 8 (x86 ऑफ़लाइन) सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना चाहिए।

हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में डीएससी के "संरक्षित मोड" को प्रदर्शित होने से रोकने के लिए, निम्नलिखित सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं।

- टूल्स => इंटरनेट विकल्प => सुरक्षा => यदि सुरक्षित मोड सक्षम है, तो उसे अक्षम करें
- यानी, "सुरक्षित मोड सक्षम करें" वाले चेकबॉक्स से टिक हटा दें।

अन्य सेटिंग्स:

- टूल्स => इंटरनेट विकल्प => सामान्य => "ब्राउज़िंग इतिहास/ब्राउज़िंग इतिहास हटाएं" के अंतर्गत सेटिंग्स पर क्लिक करें => अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें => "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता हूँ" को सक्रिय करें।

- सभी Active-X Controls सक्षम करने तथा 'Use Pop-up Blocker' को निष्क्रिय करने हेतु: Tools → Internet Options → Custom Level (कृपया IE Settings को www.mstcecommerce.com/erpocn पेज से एक बार अवश्य चलाएँ)

- 2 तकनीकी-व्यावसायिक बोली और मूल्य बोली ऑनलाइन जमा करनी होगी। www.mstcecommerce.com/erpocn निविदाएं निविदा में दी गई निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।

- 3 निविदा में सभी प्रविष्टियाँ बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।

4 लेनदेन शुल्क के संबंध में विशेष नोट:

विक्रेता लेनदेन शुल्क का भुगतान निम्नलिखित तरीके से करेंगे। "लेनदेन शुल्क भुगतान" वेंडर लॉगिन में "माई मेनू" के अंतर्गत दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वेंडरों को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से संबंधित निविदा का चयन करना होगा। वेंडर NEFT या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। NEFT का चयन करने पर, वेंडर एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट कर सकते हैं। वेंडर चालान पर छपी जानकारी के अनुसार लेनदेन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं, जिसमें कोई बदलाव नहीं करना है। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, वेंडर अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा होते ही, लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा और वेंडर को सिस्टम द्वारा जनरेट किया गया एक ईमेल प्राप्त होगा।

लेनदेन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। कोई भी विक्रेता लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना ऑनलाइन ई-निविदा में भाग नहीं ले सकेगा।

टिप्पणी: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आयोजन के समापन समय से काफी पहले लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें ताकि उन्हें बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

- 5 निविदाओं/संशोधनों से संबंधित जानकारी निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल के माध्यम से ही भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि एमएसटीसी में विक्रेता के पंजीकरण के समय उनके द्वारा प्रदान की गई कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन हो। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।
- 6 **एनआईटी में उल्लिखित नियत तिथि और समय के बाद ई-निविदा तक पहुंच प्राप्त नहीं की जा सकती है।**
- 7 क) इस प्रक्रिया में तकनीकी और वाणिज्यिक बोलियां प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया शामिल है।
 - b) जिन विक्रेताओं ने लेनदेन शुल्क जमा कर दिया है, वे केवल वेबसाइट के माध्यम से इंटरनेट पर ही अपनी तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली जमा कर सकते हैं: www.mstcecommerce.com/eprocn → विक्रेता के रूप में लॉगिन करें > मेरा मेनू → नीलामी स्थल प्रबंधक → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन करें।
 - c) विक्रेता को जावा एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह प्रक्रिया बोली प्रक्रिया शुरू होने के तुरंत बाद पूरी करनी होगी। इसके बाद उन्हें सामान्य नियम और शर्तें/व्यावसायिक विनिर्देश भरने होंगे और उन्हें सहेजना होगा। फिर तकनीकी बोली पर क्लिक करें। यदि यह एप्लिकेशन नहीं चलाया जाता है, तो विक्रेता अपनी तकनीकी बोली को सहेज/जमा नहीं कर पाएगा।
 - d) तकनीकी बोली भरने के बाद, विक्रेता को अपनी तकनीकी बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' बटन पर क्लिक करना चाहिए। ऐसा करने के बाद, वाणिज्यिक बोली का लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरकर विक्रेता को अपनी वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' बटन पर क्लिक करना चाहिए। तकनीकी और वाणिज्यिक दोनों बोलियां सहेज लेने के बाद, विक्रेता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए 'अंतिम सबमिशन' बटन पर क्लिक कर सकता है।
 - e) विक्रेताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे उपयोग करें *दस्तावेज़ संलग्न करें बटन* दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए। एक से अधिक दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।
 - f) सभी मामलों में, विक्रेताओं को अपनी बोली जमा करते समय अपने स्वयं के आईडी और पासवर्ड के साथ-साथ डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करना चाहिए।
 - g) संपूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक-दूसरे से और साथ ही बाकी सभी से पूरी तरह गुमनाम रहेंगे।

- h) ई-निविदा प्रक्रिया पूर्व-घोषित तिथि और समय से लेकर ऊपर उल्लिखित अवधि तक खुली रहेगी।
- i) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां विक्रेता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा दी गई वैध बोली माना जाएगा और क्रेता द्वारा उसकी स्वीकृति क्रेता और विक्रेता के बीच आपूर्ति निष्पादन के लिए एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगी।
- j) सभी बोलियों के साथ डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- k) खरीददार बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- l) निविदा दस्तावेज की शर्तों और नियमों का कोई भी उल्लंघन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-निविदा मंच पर बोली जमा करना निविदा की शर्तों और नियमों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।

इस निविदा के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाला कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।

तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों एवं शर्तों में किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार्य नहीं है।

निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण को बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को रद्द करने या बोलियां प्राप्त करने की नियत तिथि बढ़ाने का अधिकार है।

विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे विक्रेता मार्गदर्शिका पढ़ें और पृष्ठ पर मौजूद वीडियो देखें। www.mstcecommerce.com/eproc बोली लगाने से पहले उन्हें सिस्टम से परिचित कराना।

महत्वपूर्ण नोट

दरें ऑनलाइन उद्धृत की जानी हैं। ऑनलाइन मूल्य बोली में, 1000 अक्षरों की शब्द सीमा के कारण, पूर्ण विवरण शामिल नहीं किया जा सकता है, इसलिए दिया गया विवरण संक्षिप्त है। ऑनलाइन दरें उद्धृत करने से पहले, सभी ठेकेदारों को निविदा दस्तावेज के भाग-1 में दिए गए मूल्यरहित मात्रा विवरण (BOQ) में प्रत्येक मद का पूरा विवरण पढ़ना आवश्यक है। निष्पादन और दर निर्धारण के प्रयोजन के लिए, निविदा दस्तावेज के भाग-1 में दिए गए मूल्यरहित मात्रा विवरण को ही लागू किया जाएगा।

विषयसूची

मद	विवरण
खंड I	निविदा का स्वरूप
खंड II	निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश एवं विशेष शर्तें
1.0	निविदाकर्ताओं के लिए निर्देश
2.0	निविदा प्रस्तुत करना
3.0	भाग I – तकनीकी एवं वाणिज्यिक
4.0	भाग II – कीमत
5.0	निविदा खोलना
6.0	काम की गुंजाइश
7.0	रेखाचित्र और दस्तावेज़
8.0	पैकिंग और प्रेषण
9.0	करों
10.0	निविदा की वैधता
11.0	भाषा
12.0	बयाना राशि और सुरक्षा जमा
13.0	सबसे कम बोली को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है
14.0	आंशिक निविदा स्वीकार करने का अधिकार
15.0	निविदा का मूल्यांकन
16.0	अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर
17.0	आयात और निर्यात लाइसेंस
18.0	साइट पर सामग्री/कार्यों का निरीक्षण
19.0	पूर्णता अवधि
20.0	बीमा
21.0	वारंटी और संपूर्ण रखरखाव अनुबंध
22.0	अदायगी की शर्तें
23-36	दूसरे मामले
खंड III	सुरक्षा संहिता
खंड IV	इसके बाद संदर्भित शर्तें
1.	व्याख्या खंड
2-3.	अनुबंध का दायरा
4.	ठेकेदार के कर्तव्य
5.	नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले परिवर्तन
6.	रेखाचित्र, मात्राओं की अनुसूची और समझौता
7.	कार्य क्रम
8.	ठेकेदार द्वारा संपत्ति का उपयोग
9.	ठेकेदार को आवश्यक सभी चीजें अपने खर्च पर उपलब्ध करानी होंगी।
10-12	कॉलोनी के सामान्य कार्यों में कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा।

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

मद	विवरण
13.	काम और संपत्ति की सुरक्षा
14.	प्राधिकरण, सूचनाएं और पेटेंट
15.	कार्यों की रूपरेखा तैयार करना
16.	सामग्री और कारीगरी विवरण के अनुरूप होनी चाहिए।
17.	ठेकेदार की देखरेख और कार्य स्थल पर प्रतिनिधि
18.	कामगारों की बर्खास्तगी
19.	कृतियों तक पहुंच
20.	सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी)
21-22	आवंटन और उप-किराया
23	मात्राओं की अनुसूची
24	मात्राओं की अनुसूची की पर्याप्तता
25	कार्यों का मापन
26	अतिरिक्त वस्तुओं की कीमतें
27	अस्थाई सामग्री को नियोक्ता की संपत्ति माना जाता है।
28	अनुचित कार्य को हटाना
29	आभासी पूर्णता के बाद दोष
30	आभासी पूर्णता का प्रमाण पत्र और दोष दायित्व अवधि
31	नामित उप-ठेकेदार
32	नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति
33-34	व्यक्ति और संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा
35	प्रारंभ और समापन की तिथि
36	कार्य पूरा न होने पर क्षतिपूर्ति
37	विलंब और समय का विस्तार
38	ठेकेदार द्वारा नियोक्ता के निर्देशों का पालन न करना
39	नियोक्ता द्वारा अनुबंध की समाप्ति
40	ठेकेदार द्वारा अनुबंध की समाप्ति
41	प्रमाणपत्र और भुगतान
42	विलम्बित भुगतान
43	अंतिम निर्णय नियोक्ता द्वारा किया जाएगा
44	मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटारा
45	अंतिम विधेयक की तकनीकी जांच का अधिकार
46	नियोक्ता को कामगारों को भुगतान किए गए मुआवजे की वसूली का अधिकार है।
47	कार्यों का परित्याग
48	अतिरिक्त सामग्रियों की वापसी
49	यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो नियोक्ता को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है।
50	दुर्घटना रिपोर्ट

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

मद	विवरण
51	हाशिये पर लिखे नोट्स
52-53	विशेष शर्तें
	कार्य की प्रगति
खंड V	परिशिष्ट जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है
खंड VI	परिचय
खंड VII	तकनीकी विशिष्टताएँ और कार्यसूची
खंड VIII	जाँच सूची
अनुलग्नक- I	पूर्व-योग्यता संबंधी विवरण के लिए प्रोफार्मा
अनुबंध- II	बयाना राशि जमा के बदले बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा
अनुबंध- III	निविदाकर्ता द्वारा रखरखाव की पुष्टि हेतु वचन पत्र का प्रपत्र
अनुबंध- IV	सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रपत्र
अनुलग्नक V	ठेकेदार के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक का प्रोफोर्मा प्रमाण पत्र
अनुलग्नक VI	अनुसूचित बैंक से प्राप्त बैंकर प्रमाणपत्र का प्रोफार्मा
अनुलग्नक VII	प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रोफार्मा
अनुलग्नक VIII	समझौते के अनुच्छेद
परिशिष्ट IX	भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोलीदाता द्वारा वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाण पत्र के लिए प्रपत्र
अनुलग्नक X	सार्वजनिक संस्थान(संस्थानों) द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के संबंध में निविदा में शामिल किया जाने वाला वचन पत्र
अनुलग्नक XI	सार्वजनिक संस्थान(संस्थानों) द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के संबंध में निविदा में शामिल किया जाने वाला वचन पत्र
खंड 9	मूल्यरहित मात्रा का बिल

खंड I - निविदा का प्रारूप

स्थान _____
दिनांक _____

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग
अहमदाबाद-380014.

महोदया,

हमने नीचे दिए गए ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, डिज़ाइनों और मात्राओं की अनुसूची का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थापना स्थल का दौरा और निरीक्षण किया है तथा निविदा को प्रभावित करने वाली आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली है। हम एतद्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर, संलग्न मात्राओं की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर तथा अनुबंध के अनुच्छेदों, निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देशों और विशेष शर्तों में उल्लिखित विनिर्देशों, डिज़ाइनों और लिखित निर्देशों के अनुसार, तथा पूर्वोक्त विनिर्देशों, कार्य अनुसूची, डेटा शीट और मात्राओं की अनुसूची में उल्लिखित सामग्रियों के साथ तथा अन्य सभी मामलों में, जहां तक वे लागू हों, उन शर्तों के अनुसार निष्पादित करने का प्रस्ताव करते हैं। नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों के आवासीय परिसर में 1 यात्री लिफ्ट का डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना।

ज्ञापन

(ए)	कार्य का विवरण	अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्थित बैंक के अधिकारियों के आवासीय परिसर में 1 यात्री लिफ्ट का डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना।
(बी)	कार्य की अनुमानित लागत	₹ 9.40 लाख (नौ लाख चालीस हजार रुपये मात्र)

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

(सी)	बयाना जमाराशि (ईएमडी)	सभी बोलीदाताओं को कार्य की कुल अनुमानित लागत के 2% के बराबर बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी, अर्थात्... ₹ 18,800/- निविदा में उल्लिखित नियत तिथि से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के पक्ष में एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक के प्रारूप में (अनुलग्नक II में दिए गए अनुसार) अठारह हजार आठ सौ रुपये मात्र का भुगतान करना होगा। निर्धारित ईएमडी के बिना प्रस्तुत कोई भी निविदा अमान्य होगी और उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ठेकेदारों के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तों के प्रासंगिक खंड के अनुसार, एमएसएमई उद्यम पंजीकरण संख्या (उद्योग आधार ज्ञापन संख्या) रखने वाली फर्मों को, चाहे वे किसी भी श्रेणी की हों, ईएमडी जमा करने से छूट दी गई है। हालांकि, इसका लाभ उठाने के लिए, फर्मों को भाग-आई निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पहले वैध दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
(डी)	निष्पादन सुरक्षा	इसके अतिरिक्त, सफल निविदाकर्ता अनुबंध की पूंजी लागत के 10% के बराबर मूल्य की बैंक गारंटी के रूप में प्रदर्शन सुरक्षा निर्धारित प्रारूप अनुलग्नक-IV में प्रस्तुत करेगा, जो दोष दायित्व अवधि के अंत तक वैध रहेगी।
(और)	निविदा की स्वीकृति की सूचना देने वाले पत्र की तिथि के दसवें दिन से कार्य पूर्ण करने के लिए समय दिया जाएगा।	03 महीने

- हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा निविदा के भाग I के खुलने की तिथि से 120 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और इस वैधता अवधि को बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से तय की गई अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। हम बैंक गारंटी को अपने पास रखने के लिए भी सहमत हैं। **बयाना राशि** निविदा की वैधता अवधि के दौरान, संलग्न प्रपत्र के अनुसार वैध। अनुलग्नक II).
- यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो हम एतद्वारा निविदा की सभी शर्तों और नियमों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत होते हैं, और ऐसा न करने की स्थिति में, निविदा में निहित शर्तों और अनुबंध की लिखित स्वीकृति में निर्धारित धनराशि आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या नियुक्तियों या नामित व्यक्तियों को जब्त कर ली जाएगी और उसका भुगतान किया जाएगा।

4. हम समझते हैं कि आपके पास निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, और इसके लिए आपको कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।
5. निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाती है। भाग I में सभी वाणिज्यिक नियम और शर्तें तथा तकनीकी विवरण शामिल हैं, और भाग II में केवल बैंक के प्रोफार्मा में बोली गई कीमत शामिल है।

दिनांक ____ दिन ____ 2026

मेसर्स _____ की ओर से और उनके लिए

(मुहर सहित हस्ताक्षर)

नाम _____
पद का नाम _____
जगह _____
तारीख _____

(उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता के पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए)।

गवाहों

(1) हस्ताक्षर के साथ _____
नाम, पता और तिथि _____

(2) हस्ताक्षर सहित _____
नाम, पता और तिथि _____

खंड II

निर्देश और अनुबंध की सामान्य शर्तें

1.0 निविदाकर्ताओं के लिए निर्देश

- 1.1.** अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्थित बैंक के अधिकारियों के आवासीय परिसर में 1 यात्री लिफ्ट के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने के कार्य के लिए निविदा के भाग I और भाग II दोनों के विधिवत भरे हुए विवरण सहित ई-निविदाएं आरबीआई पोर्टल के अंतर्गत एमएसटीसी वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए।
- 1.2.** इस कार्य की अनुमानित लागत **₹9.40 लाख** और इसे पूरा किया जाना है **3 (तीन) महीने**।
- 1.3.** निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा दस्तावेजों में निहित अनुबंध की सामान्य शर्तों और तकनीकी विशिष्टताओं के आधार पर ही निविदा प्रस्तुत करें और किसी भी प्रकार का विचलन न करें।

1.4. पात्रता मापदंड:

निविदा में भाग लेने के लिए इच्छुक निविदाकर्ता को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:

- (i) निविदाकर्ता को उनके द्वारा प्रस्तावित यात्री लिफ्टों का मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) होना चाहिए, कम से कम पिछले 7 वर्षों से, यानी 31 दिसंबर, 2018 से निर्माता के रूप में मौजूद होना चाहिए।

और

- (ii) निविदाकर्ता के पास बड़े कार्यालय भवनों/वाणिज्यिक परिसरों/औद्योगिक भवनों/आवासीय परिसरों के लिए यात्री लिफ्टों के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने (डीएसआईटीसी) के क्षेत्र में न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए (कार्य 31 दिसंबर, 2018 को या उससे पहले पूरा किया गया हो)।

और

- (iii) निविदाकर्ता ने पिछले 5 वर्षों के दौरान बड़े कार्यालय भवनों/वाणिज्यिक परिसरों/औद्योगिक भवनों/आवासीय परिसरों के लिए कम से कम चार मंजिलों (अर्थात् कम से कम 3 स्टॉप) की यात्रा क्षमता वाली वीवीवीएफ प्रौद्योगिकी-आधारित यात्री लिफ्टों के डीएसआईटीसी के समान कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया होना चाहिए (कार्य 31 दिसंबर, 2020 को या उसके बाद पूर्ण किए गए हों) जिनकी व्यक्तिगत लागत निम्नानुसार हो:

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

a) तीन ऐसे कार्य जिनकी लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर हो।

या

b) दो ऐसे कार्य जिनकी लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर से कम न हो।

या

c) एक कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर या उससे अधिक हो।

और

(iv) निविदाकर्ता के पास न्यूनतम वार्षिक अनुभव होना चाहिए **9.40 लाख रुपये का कारोबार** पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान

और

(v) निविदाकर्ता के पास अहमदाबाद/वडोदरा में लिफ्टों के लिए एक पूर्ण सेवा व्यवस्था होनी चाहिए।

और

(vi) निविदाकर्ता ने पिछले 7 वर्षों के दौरान अहमदाबाद/वडोदरा में इस निविदा में प्रस्तावित कंपनी के समान कम से कम दस यात्री लिफ्ट स्थापित किए हों और वर्तमान में निविदाकर्ता द्वारा एएमसी के तहत उनका रखरखाव किया जा रहा हो।

और

(vii) निविदाकर्ता के पास यात्री लिफ्टों के निर्माण, स्थापना, परीक्षण, चालू करने और रखरखाव के लिए संशोधित रूप में आईएस/आईएसओ-9001:2015 के अनुरूप वैध गुणवत्ता मानक प्रमाणन होना चाहिए।

और

(viii) वित्तीय स्थिरता: इच्छुक निविदाकर्ता को कार्य की अनुमानित लागत (9.40 लाख रुपये) के बराबर राशि के लिए संबंधित बैंक द्वारा जारी किया गया वित्तीय स्थिरता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

उपरोक्त मानदंडों को पूरा न करने वाली किसी भी फर्म द्वारा अपलोड की गई निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी। पात्रता मानदंडों और तकनीकी मापदंडों को पूरा करने वाली निविदाएं ही भाग II (मूल्य बोली) के लिए पात्र होंगी।

निविदाकर्ता को अनिवार्य रूप से नीचे दी गई जानकारी लिखित रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए और निविदा के भाग I के साथ संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करनी चाहिए। इसके अलावा, ठेकेदार को आगे की निविदा प्रक्रिया के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु बैंक द्वारा मांगे जाने पर दस्तावेजों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

(ए) फर्म की संरचना	ठेकेदार फर्म की संरचना का विस्तृत विवरण (चाहे ठेकेदार एक व्यक्ति हो, साझेदारी फर्म हो या कंपनी आदि) साझेदार के नाम और पते के साथ, एसोसिएशन के लेख/ पावर ऑफ अटॉर्नी/ अन्य प्रासंगिक दस्तावेज की प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
(बी) कार्य अनुभव और निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य के समान कार्यों का सफल निष्पादन।	योग्य कार्यों के विस्तृत कार्य आदेशों की प्रतियां, जिनमें कार्य सौंपे जाने की तिथि, कार्य का मूल्य, कार्य पूरा करने के लिए दी गई समयावधि आदि अंकित हों, और साथ ही निष्पादित समान कार्यों के वास्तविक समापन तिथि और वास्तविक मूल्य को दर्शाने वाले संबंधित समापन प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव के प्रमाण के रूप में संलग्न किए जाने चाहिए। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी केंद्र में कार्य करने का कोई पूर्व अनुभव हो, तो उसका विवरण और दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
(सी) ठेकेदार की साख और निर्दिष्ट अवधि के दौरान उनका कारोबार	ठेकेदार की साख और पिछले तीन वर्षों के कारोबार के प्रमाण के रूप में आयकर मंजूरी प्रमाणपत्र/आयकर निर्धारण आदेश की प्रतियां और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित नवीनतम अंतिम खाते संलग्न किए जाने चाहिए।
(डी) बैंकरों के नाम और पते तथा उनके वर्तमान संपर्क अधिकारियों के नाम और पते।	उनके बैंकर्स के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी के साथ-साथ संपर्क अधिकारियों (अर्थात वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उनके बैंकर्स के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) के नाम, डाक पते, ईमेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर आदि जैसे पूर्ण विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
(ई) बैंक खातों का विवरण	उनके बैंक खातों का पूरा विवरण, जैसे खाता संख्या, प्रकार, खाता खोलने की तिथि आदि, प्रदान किया जाना चाहिए।
(एफ) ग्राहकों के नाम और पते तथा उनके वर्तमान संपर्क अधिकारियों के नाम और पते।	ग्राहकों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी के साथ-साथ संपर्क अधिकारियों (अर्थात वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर ग्राहकों के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) के नाम, डाक पते, ईमेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर आदि जैसे पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
(जी) पूर्ण किए गए कार्यों का विवरण	कार्य(नों) के ग्राहकवार नाम, कार्य(नों) के निष्पादन का वर्ष, कार्य(नों) की स्वीकृत और वास्तविक लागत, अनुबंध(नों) में निर्धारित पूर्णता समय और कार्य(नों) को पूरा करने में लगा वास्तविक समय, तथा उन अधिकारियों/प्राधिकारियों/विभागों के नाम और पूर्ण संपर्क विवरण जिनके अधीन कार्य(नों) का निष्पादन किया गया था, प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

5. भाग-II, अर्थात् मूल्य-बोली, बैंक द्वारा सूचित की गई तिथि पर बाद में केवल उन्हीं ठेकेदारों/बोलीदाताओं के लिए खोली जाएगी जो भाग-I में निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करते हैं। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी ई-निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. उन्हें अपने उन ग्राहकों के नाम और पते भी प्रस्तुत करने होंगे जिनके लिए उन्होंने हाल ही में इसी तरह के कार्य/आपूर्ति की है, साथ ही लागत, प्रकार और क्षमता, आपूर्ति की गई प्रणाली/मशीन, आपूर्ति की तिथि आदि जैसे पूर्ण विवरण भी देने होंगे।

7. आवेदकों/निविदाकर्ताओं को भाग-I जमा करने की अंतिम तिथि से पहले एमएसटीसी पोर्टल पर जमा करना होगा।

a. इस नोटिस में बताए गए पात्रता (पूर्व-योग्यता) मानदंडों के अनुसार "पात्र कार्य" करने वाले ग्राहकों से अनुलग्नक-V में दिए गए प्रारूप के अनुसार ग्राहक का प्रमाण पत्र।

b. उनके बैंक/बैंकरों से अनुलग्नक-VI में दिए गए प्रारूप के अनुसार बैंकर का प्रमाण पत्र।

प्रमाण पत्र क्षेत्रीय निदेशक, संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद को संबोधित होने चाहिए और निविदा के भाग I के साथ जमा किए जाने चाहिए।

8. सरकारी/अर्ध सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के कार्यकारी अभियंता/अधीक्षक अभियंता या समकक्ष रैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित ग्राहक प्रमाणपत्र तभी स्वीकार किया जाएगा, जब ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के लिए भुगतान प्राप्त होने का पर्याप्त प्रमाण संलग्न हो। निजी संगठनों द्वारा जारी ग्राहक प्रमाणपत्र के साथ स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाणपत्र भी संलग्न होना चाहिए। बैंक को पात्रता मानदंडों के समर्थन में प्रस्तुत इन प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करने का अधिकार होगा।

9. बैंक निविदाओं की मूल्य बोली का मूल्यांकन करने से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी निविदाकर्ता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता प्राप्त नहीं होती है और/या उसके ग्राहकों और/या उसके बैंकर्स से प्राप्त प्रदर्शन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती हैं, तो बैंक निविदा के भाग-I के खुलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

10. बैंक सबसे कम बोली स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी बोली को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा बिना कोई कारण बताए सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

11. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है और साथ ही किसी भी नियम और शर्तों में छूट देने का अधिकार भी रखता है। किसी भी ठेकेदार को अपनी बोली अस्वीकृत होने पर आरबीआई के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई या दावा

करने का अधिकार नहीं होगा।

12. आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे, और ऐसा करने में विफल रहने पर बैंक को उनका आवेदन अस्वीकार करने का अधिकार होगा। किसी भी परिस्थिति में ईएमडी के बिना निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी।
13. सभी निविदाकर्ता कृपया ध्यान दें कि भविष्य में जारी किए जाने वाले ई-निविदा में किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र की सूचना केवल उपर्युक्त रूप में आरबीआई की वेबसाइट और एमएसटीसी की वेबसाइट पर ही दी जाएगी और इसे समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

- 1.5. इच्छुक निविदाकर्ताओं की एक पूर्व-निविदा परिचय बैठक 24 मार्च 2026 को सुबह 11:30 बजे आयोजित की जाएगी ताकि उन्हें निविदा के संबंध में उठाए गए किसी भी बिंदु/संदेह को स्पष्ट किया जा सके।** इस बैठक के लिए कोई अलग से सूचना नहीं भेजी जाएगी। सभी इच्छुक निविदाकर्ताओं को निविदा दस्तावेज का अध्ययन करने और उपरोक्त बैठक में उपस्थित रहने की सलाह दी जाती है। स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले सभी बिंदुओं/शर्तों/विनिर्देशों को लिखित रूप में निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए। **इच्छुक निविदाकर्ताओं द्वारा पूर्व-बोली बैठक की तिथि से पहले क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, संपदा विभाग, अहमदाबाद को सूचित किया जाना चाहिए।** इसके अलावा, वे अपनी पूछताछ इस ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं: estateAhmedabad@rbi.org.in, rthakkar@rbi.org.in और pdandaliya@rbi.org.in .प्री-बिड मीटिंग की तारीख से पहले इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और सभी निविदाकर्ताओं को उचित सलाह दी जाएगी। निविदाकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त बैठक के दौरान सभी मुद्दों को स्पष्ट करवा लें और अपनी निविदा (भाग-1 और भाग-II) में बैंक की निविदा शर्तों/विनिर्देशों से विचलित होने से बचें।
- 1.6.** सभी सूचनाएँ और पत्राचार पत्र क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, संपदा विभाग, अहमदाबाद को संबोधित करके प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

2.0 निविदा प्रस्तुत करना

निविदाकर्ता को निविदा दस्तावेज के तकनीकी और वाणिज्यिक खंड में निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेज जमा करने की नियत तिथि से पहले अपलोड करने होंगे।

2.1 इच्छुक निविदाकर्ताओं को ₹18,800/- की राशि NEFT, बैंक गारंटी या अनुसूचित बैंक पर जारी डिमांड ड्राफ्ट (DD) के माध्यम से, जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, अहमदाबाद के नाम भुगतान योग्य हो, 06 अप्रैल 2026 को दोपहर 01:00 बजे से पहले जमा करनी होगी।

सफल निविदाकर्ता की बयाना राशि भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाएगी। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में बयाना राशि को सावधि जमा रसीद, बीमा गारंटी, चेक या नकद के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैंक गारंटी जमा करने पर ही बयाना राशि जारी की जाएगी।

2.2 बैंक द्वारा निविदा की स्वीकृति की सूचना मिलने पर, सफल निविदाकर्ता अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगा और इसके चौदह दिनों के भीतर मसौदा अनुबंध और शर्तों की अनुसूची के अनुसार एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदाकर्ता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगी, चाहे ऐसा औपचारिक समझौता बाद में निष्पादित हो या न हो।

2.3 इस अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य धनराशि को उसकी बयाना राशि से काटा जा सकता है और **प्रतिभूति जमा राशि** यदि राशि अनुमति देती है, तो ठेकेदार, जब तक कि अन्यथा देय कोई जमा राशि न हो, ऐसी कटौती के दस दिनों के भीतर नकद में कटौती की गई राशि की भरपाई करेगा।

3.0 भाग I – तकनीकी एवं वाणिज्यिक

3.1 भाग I - इस भाग में मूल्यरहित निविदा शामिल होगी जिसमें संपूर्ण तकनीकी विनिर्देश, चित्र और दस्तावेज तथा वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें तथा निविदा के तकनीकी पहलू जैसे उपकरण डेटा शीट, परीक्षण और निरीक्षण, सामग्री के प्रकार, तकनीकी विवरण, चित्र आदि शामिल होंगे।

3.2 प्रस्तुत निविदा के भाग I में निम्नलिखित बातें भी शामिल होंगी:

- अनुबंध के निर्देशों और सामान्य शर्तों के खंड-II के खंड संख्या 1.4 में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अनुसार पात्रता साबित करने वाले दस्तावेज़। **अनुलग्नक I**
- भारत में किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी एनईएफटी/डीडी/बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में प्रोफार्मा के अनुसार बयाना राशि जमा की जानी चाहिए। **अनुलग्नक II**
- निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर सहित पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकरण पत्र।

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

- d) निविदा दस्तावेज के खंड VI में दिए गए प्रारूप के अनुसार तकनीकी विनिर्देश/व्यावसायिक विवरण में यदि कोई विचलन हो तो उसकी सूची प्रस्तुत करें। **अन्यत्र उल्लिखित विचलन पर विचार नहीं किया जाएगा।**
- e) विस्तृत प्रस्तावित **लेआउट ड्राइंग** और उपकरण की पूरी जानकारी।
- f) ठेकेदार संलग्न प्रपत्र के अनुसार वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा। **(अनुलग्नक III)** कि वे दोष दायित्व अवधि की समाप्ति तिथि से कम से कम 19 वर्षों की अवधि तक लिफ्ट का संतोषजनक रखरखाव करेंगे।
- g) निविदाकर्ताओं को अहमदाबाद/वडोदरा में अपने सेवा सेटअप का विवरण देना होगा, जहाँ से प्रस्तावित लिफ्ट की सेवा प्रदान की जाएगी। विवरण में तकनीकी कर्मियों की संख्या, संपर्क/सेवा अनुरोध दर्ज करने के लिए फ़ोन/मोबाइल नंबर और पते, साथ ही कार्यालय समय से पहले/बाद में उपलब्ध आपातकालीन सेवा का विवरण शामिल होना चाहिए।
- h) **संपूर्ण तकनीकी विवरण** और शामिल किए जाने वाले किसी भी विशेष फीचर का पूर्ण तकनीकी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। दावा की गई सुविधाओं/फीचर्स के लिए सहायक दस्तावेज भी तकनीकी बोली जमा करते समय संलग्न किए जाने चाहिए।
- i) तकनीकी डेटा शीट पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- j) संलग्न दस्तावेजों में दिए गए अन्य प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र प्रस्तुत किए जाने हैं।
- k) ग्राहक की रिपोर्टों की विधिवत भरी और हस्ताक्षरित प्रतियां (संलग्न प्रारूप में उन ग्राहकों से प्राप्त रिपोर्टें जिनके लिए समान योग्यता संबंधी कार्य निष्पादित किए गए हैं) और बैंकर का प्रमाण पत्र अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत करें।

3.3 निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा जमा करने से पहले स्थापना स्थल का दौरा करें और वहां की स्थितियों से भलीभांति परिचित हो जाएं।

3.4 निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा दस्तावेजों में दी गई अनुबंध की सामान्य शर्तों और तकनीकी विशिष्टताओं के आधार पर ही निविदा प्रस्तुत करें और किसी भी प्रकार का विचलन न करें। यदि निविदा दस्तावेजों में दी गई शर्तों और नियमों को स्वीकार करने से मूल्य पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो उसे ध्यान में रखते हुए उद्धृत मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए। **नियमों और शर्तों से विचलन वाले निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।**

3.5 निविदाकर्ताओं को डिजाइन या सिस्टम के किसी भी हिस्से के संबंध में उनके द्वारा धारित या किसी तीसरे पक्ष द्वारा उपयोग किए गए पेटेंट, ट्रेडमार्क, पंजीकृत डिजाइन, बौद्धिक संपदा अधिकार, कॉपीराइट, औद्योगिक संपदा अधिकारों का पूरा विवरण प्रस्तुत करना होगा।

3.6 सभी सूचनाएँ और पत्राचार पत्र श्री अमरीश रंजन, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, संपदा विभाग, अहमदाबाद को संबोधित किए जाने चाहिए।

4.0 भाग II - कीमत

- 4.1 (क) इस भाग में प्रारूप (भाग II) के अनुसार **केवल भारतीय रुपये** मूल्य शामिल होंगे। भाग II में कोई अन्य संलग्नक स्वीकार्य नहीं है। किसी अन्य मुद्रा में उद्धृत मूल्य वाले निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। सर्व-समावेशी व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (CAMC) के लिए उद्धृत दरें भी केवल भारतीय रुपये में ही होंगी।
- (b) निविदा खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (c) यह अनुबंध न तो एक निश्चित एकमुश्त राशि का अनुबंध है और न ही टुकड़ों में काम करने का अनुबंध है, बल्कि यह संपूर्ण यात्री लिफ्ट की व्यवस्था से संबंधित कार्य करने का अनुबंध है, जिसका भुगतान दरों की अनुसूची (भाग II) में दी गई दरों/मात्राओं के अनुसार वास्तविक मापी गई मात्राओं के आधार पर किया जाएगा।
- (d) उद्धृत दरें पूर्ण कार्य के लिए मानी जाएंगी और सिस्टम बैंक को सौंपे जाने तक इनमें किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी और ये दरें अटल और बाध्यकारी रहेंगी।

5.0 निविदा का उद्घाटन

- 5.1 निविदाओं का पहला भाग 06 अप्रैल 2026 को अपराह्न 03:00 बजे निविदाकर्ताओं की उपस्थिति खोला जाएगा। निविदा के भाग I की जांच के बाद पात्र पाए गए निविदाकर्ताओं की ही मूल्य बोली (भाग II) खोली जाएगी, जिसकी तिथि सभी पात्र निविदाकर्ताओं को सूचित कर दी जाएगी। निविदाकर्ताओं को निविदा के भाग I और भाग II खोलने के दौरान उपस्थित रहने की सलाह दी जाती है।

6.0 काम का दायरा

6.1 कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे।

- निविदा विनिर्देशों और फैक्ट्री निरीक्षण के अनुसार, बैटरी और इन्वर्टर का उपयोग करके आपातकालीन आपूर्ति सहित सभी सहायक उपकरण/घटकों के साथ 01 यात्री लिफ्ट का डिजाइन और निर्माण, आदि।
- अहमदाबाद स्थित बैंक के परिसर में लिफ्ट उपकरण की डिलीवरी, जिसमें पैकिंग, हैंडलिंग, परिवहन, क्लीयरेंस, भारत के बंदरगाहों पर लोडिंग/अनलोडिंग और अहमदाबाद स्थित परिसर में अनलोडिंग शामिल है।
- **तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार लिफ्ट उपकरण की स्थापना, परीक्षण और चालू करना, लिफ्ट निरीक्षणालय से परिचालन अनुमोदन/लाइसेंस प्राप्त करना और लिफ्ट को बैंक को सौंपना।**
- बैंक को नई लिफ्ट सौंपे जाने की तारीख से एक वर्ष की वारंटी अवधि के दौरान सभी स्पेयर पार्ट्स आदि सहित सभी समावेशी सेवा प्रदान करना और उसके बाद 19 वर्ष (न्यूनतम) की प्रतिबद्ध अवधि के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध प्रदान करना। **निर्धारित वार्षिक रखरखाव सेवा (एएमसी) अवधि के दौरान 19 वर्षों तक कंपनी द्वारा व्यापक रखरखाव सेवा प्रदान की जाएगी।** इस अवधि के दौरान, तकनीक के अप्रचलित होने के आधार पर लिफ्टों में किसी भी प्रकार के संशोधन/नवीनीकरण की आवश्यकता होने पर, फर्म द्वारा नवीनीकरण/संशोधन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले तकनीक के अप्रचलित होने के दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर आपसी सहमति से निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, फर्म निर्धारित अवधि के लिए संशोधन/नवीनीकरण के बावजूद वार्षिक बीमा सेवा (एएमसी) प्रदान करना जारी रखेगी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि लिफ्ट की मूल विशिष्टताएँ अपरिवर्तित रहेंगी।
- इस विनिर्देश के अनुसार लिफ्ट की स्थापना को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक सभी इंजीनियरिंग, उपकरण, श्रम और परमिट।
- **ठेकेदार के कार्यक्षेत्र में शामिल सिविल कार्य हैं: क) मचान ख) चिपिंग कार्य ग) हॉल बटनों की ग्राउटिंग घ) मशीन कक्ष के सिविल कार्य (यदि कोई हो) और एमएस चैनल की आवश्यक व्यवस्था ड) लिफ्ट शाफ्ट की सफेदी च) पॉकेट होल (यदि आवश्यक हो) छ) बफर ब्लॉक।** इसके अतिरिक्त, लिफ्ट ठेकेदार द्वारा अपेक्षित

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

और उसके ड्राइंग में दर्शाए गए सभी चेज़-कटिंग और ओपनिंग का कार्य लिफ्ट ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। लिफ्ट मशीनरी और बफर के सपोर्ट के लिए मशीन आरएस बीम और/या एमएस चैनल की आपूर्ति और स्थापना लिफ्ट ठेकेदार द्वारा की जाएगी।

- बैंक आवश्यकतानुसार स्लैब कटिंग, लिंटेल् फिक्सिंग, आर्चिटेक्चरल मॉडिफिकेशन जैसे प्रमुख सिविल कार्यों का कार्य करेगा।
- उपरोक्त कार्य से संबंधित, लेकिन ऊपर उल्लिखित न किए गए किसी भी अन्य कार्य को, जो कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हो, ठेकेदार के कार्यक्षेत्र में शामिल किया जाएगा।

6.2 निविदाकर्ता को अपनी निविदा में लिफ्ट प्रणाली/उप-प्रणालियों के कामकाज का संपूर्ण विवरण और उनकी बिजली आवश्यकताओं के साथ-साथ तकनीकी विशिष्टताओं में मांगे गए ब्रोशर/साहित्य आदि को भी शामिल करना चाहिए।

6.3 निविदाकर्ता विनिर्देशों की सावधानीपूर्वक जांच करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित उपकरण संलग्न तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार उपयुक्त है और प्रस्तावित उपकरण के कुशल संचालन की पूरी जिम्मेदारी लेगा।

6.4 निविदाकर्ता लिफ्ट की स्थापना, परीक्षण और चालू करने के लिए आवश्यक सभी उपकरण, संयंत्र, श्रम और उपभोग्य वस्तुएं आदि की आपूर्ति करेगा।

7.0 रेखाचित्र और दस्तावेज़

7.1 सफल निविदाकर्ता निविदा स्वीकृति प्राप्त होने पर, अपेक्षित सभी कार्यों का पूर्ण विवरण दर्शाने वाले विस्तृत कार्य आरेख और विनिर्देश दो प्रतियों में प्रस्तुत करेगा। निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आरेख या विवरण में किसी भी प्रकार की विसंगति, त्रुटि या चूक के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा, भले ही बैंक द्वारा इन्हें अनुमोदित कर दिया गया हो। बैंक द्वारा आरेखों की गहन जांच की जाएगी और प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर, विधिवत अनुमोदित करके या टिप्पणियों के साथ निविदाकर्ता को वापस कर दिया जाएगा।

8.0 पैकिंग और प्रेषण

8.1 उपकरण को निर्यात के लिए उपयुक्त बक्सों में ठीक से और सुरक्षित रूप से पैक किया जाएगा (जहाँ लागू हो) और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार समुद्र/हवा/रेल/सड़क मार्ग से कई बार परिवहन और ढुलाई के लिए उपयुक्त होगा। सभी उपकरण/घटक अहमदाबाद स्थित बैंक परिसर (नवरंगपुरा में आरबीआई अधिकारियों के आवासीय परिसर) में ड्यूटी डिलीवरी पेड (डीडीपी) आधार पर वितरित किए जाएंगे।

9.0 कर

- 9.1 कार्य के लिए उद्धृत कीमतों में जीएसटी और अन्य लागू कर या केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कोई अन्य कर/शुल्क, श्रम शुल्क, परिवहन शुल्क, बीमा शुल्क आदि शामिल होंगे, जब तक कि कार्य अंततः बैंक को सौंप नहीं दिया जाता। यदि आरबीआई को लेनदेन पर किसी कर जैसे टीडीएस (आईटी), टीडीएस (जीएसटी) रिवर्स मैकेनिज्म के तहत या किसी अन्य समान कर का भुगतान करना आवश्यक है, जो आरबीआई द्वारा देय है या देय हो जाता है, तो उसे ठेकेदार के बिलों से काट लिया जाएगा। यदि निविदाकर्ता निविदा में ऐसे करों और शुल्कों को शामिल करने में विफल रहता है, तो बैंक द्वारा बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारतीय कानूनों के अनुसार, आयकर और कार्य अनुबंध कर/जीएसटी आदि, जो भी लागू हो, स्रोत पर काटा जाएगा।
- 9.2 लिफ्ट के डीएसआईटीसी कार्य के लिए उद्धृत दरें लिफ्ट सौंपे जाने तक स्थिर रहेंगी। कार्य निष्पादन के दौरान मौजूदा कर/शुल्कों में किसी भी वैधानिक परिवर्तन/नए कर के अधिरोपण आदि के संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 9.3 मौजूदा कर दरों में कोई भी वैधानिक परिवर्तन/नए कर का अधिरोपण लागू होगा व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध में ऐसे बदलावों की तारीख से एएमसी अवधि के दौरान समायोजन किया जाएगा, बशर्ते दावे के साथ इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं।

10.0 निविदा की वैधता

- 10.1 निविदा और उसकी कीमतें प्रारंभ में एक निश्चित अवधि के लिए वैध रहेंगी। **120 दिनों की अवधि** निविदा के भाग। के खुलने की तिथि से, यह अवधि निविदाकर्ता द्वारा लिखित रूप में आपसी सहमति से आगे बढ़ाई जा सकती है और निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं ले सकता है।

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

11.0 भाषा

- 11.1 निविदा, जिसमें रेखाचित्रों, दस्तावेजों, कैटलॉग आदि में सभी लेबल शामिल हैं, अंग्रेजी या हिंदी में होनी चाहिए।

12.0 बयाना राशि और सुरक्षा जमा

12.1 बयाना राशि

- 12.1.1 निविदा के साथ ₹18,800/- की बयाना राशि संलग्न होनी चाहिए, जो डीडी/एनईएफटी/भारत के किसी अनुसूचित बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में अहमदाबाद में देय अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के रूप में हो सकती है। बैंक गारंटी का प्रारूप नीचे दिए गए प्रारूप में होना चाहिए। अनुलग्नक II और निविदा को खुला रखने के लिए निर्दिष्ट अवधि तक इसे भुनाया नहीं जाएगा।

एनईएफटी का विवरण नीचे दिया गया है:

लाभार्थी का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद

IFSC: RBIS0NEFTHY (0 का अर्थ शून्य है)

खाता संख्या: 8614038

- 12.1.2 **ईएमडी के लिए बीजी की** वैधता: ईएमडी के लिए प्रस्तुत बैंक गारंटी टेंडर भाग I के खोलने की नियत तिथि से 4 महीने तक मान्य रहेगी।
- 12.1.3 यदि निविदाकर्ता, मूल्य बोली खुलने के बाद, अपने प्रस्ताव से विचलित होता है या उसकी शर्तों और नियमों में संशोधन करता है, तो ईएमडी जब्त किया जा सकता है।
- 12.1.4 उचित ईएमडी के बिना निविदा अस्वीकृत की जा सकती है।
- 12.1.5 उपरोक्त बैंक गारंटी निविदा की स्वीकृति और संलग्न प्रारूप में सुरक्षा जमा के रूप में एक नई बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर निरस्त कर दी जाएगी। अनुलग्नक IV या निविदा स्वीकार न होने पर।
- 12.1.6 यदि निविदा आमंत्रण बैंक द्वारा वापस ले लिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है, जिसे किसी भी समय ऐसा करने का अधिकार होगा, तो ईएमडी का भुगतान कर दिया जाएगा।

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

12.1.7 यदि सफल निविदाकर्ता सुरक्षा जमा राशि प्रदान करने में विफल रहता है, तो ईएमडी के लिए बैंक गारंटी लागू की जाएगी, इसके बावजूद कि वह बैंक द्वारा परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी आगे की हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।

यदि आवश्यक हो, तो सफल निविदाकर्ता द्वारा ईएमडी के लिए बैंक गारंटी को बैंक द्वारा सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि तक उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा।

12.2 सुरक्षा जमा राशि:

12.2.1 **कार्य निष्पादन के दौरान बैंक गारंटी:** अनुबंध दिए जाने पर, सफल निविदाकर्ता अनुबंध मूल्य के 10% (दस प्रतिशत) के बराबर राशि प्रदान करेगा। *इस दस्तावेज़ में उल्लिखित अनुबंध मूल्य का तात्पर्य कार्य की कुल पूंजी लागत से है, जिस पर कार्य का ठेका दिया जाता है।*, किसी भी अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी के रूप में, बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में। अनुलग्नक IV (जो काम सौंपे जाने की तारीख से एक महीने के भीतर जमा किया जाएगा) अनुबंध के उचित अनुपालन के लिए सुरक्षा जमा के रूप में। **अनुबंध के विधिवत पालन के लिए सुरक्षा जमा राशि के बदले दी गई बैंक गारंटी, अनुबंध पूर्ण होने की अवधि के दौरान लिफ्ट सौंपे जाने की तिथि तक वैध रहेगी।**

12.2.2 **दोष दायित्व अवधि और सीएएमसी अवधि के दौरान बैंक गारंटी:** कार्य पूर्ण होने के बाद, लेकिन कार्य निष्पादन के लिए प्रस्तुत बैंक गारंटी की अवधि समाप्त होने से पहले, निविदाकर्ता को अनुबंध IV के अनुसार बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक नई बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी। यह गारंटी कार्य की पूंजी लागत के 10% के बराबर होगी और प्रारंभिक 10 वर्षों के लिए वैध रहेगी, तथा उसके बाद शेष 10 वर्षों के लिए कार्य की पूंजी लागत के 5% के बराबर होगी। बैंक गारंटी को पिछली गारंटी की अवधि समाप्त होने से 2 सप्ताह पहले नवीनीकृत करना होगा; ऐसा न करने पर बैंक को उपरोक्त बैंक गारंटी लागू करने का अधिकार सुरक्षित है।

12.2.3 इस अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को देय सभी मुआवजे या अन्य धनराशि को सुरक्षा जमा राशि से काटा जा सकता है, यदि राशि इसकी अनुमति देती है, बशर्ते कि ठेकेदार बैंक द्वारा मांग नोटिस जारी किए जाने के दस दिनों के भीतर ऐसी राशि नकद में जमा न कर दे।

13.0 सबसे कम बोली को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है

- 13.1 बैंक सबसे कम/किसी भी निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकृति का कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
- 13.2 जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार नहीं की जाती है, वह निविदा प्रस्तुत करने के दौरान या उससे संबंधित किसी भी प्रकार की लागत, शुल्क, क्षति और व्यय का दावा करने का हकदार नहीं होगा, भले ही बैंक निविदा को संशोधित/वापस लेने का विकल्प चुने।

14.0 आंशिक निविदा स्वीकार करने का अधिकार

- 14.1 बैंक निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत कीमतों पर निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

15.0 निविदा का मूल्यांकन

- 15.1 निविदाओं का मूल्यांकन कुल स्वामित्व लागत के आधार पर किया जाएगा।(टीसीओ)जिसमें शुद्ध पूंजी लागत शामिल होगी(सी)लिफ्ट के लिए उद्धृत दरें और व्यापक, सभी समावेशी वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए उद्धृत दरें।(ए)एक वर्ष की वारंटी अवधि (दोष दायित्व अवधि) की समाप्ति के बाद 19 वर्षों की अवधि के लिए, शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) विधि का उपयोग करके एएमसी राशि का एनपीवी निकाला जाता है। एएमसी राशि का एनपीवी निकालने के लिए, एक गुणक कारक का प्रयोग किया जाता है।(एमएफ)निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार गणना की जाएगी:

(ए)	छूट कारक	8% प्रति वर्ष
(बी)	एएमसी में वार्षिक वृद्धि	प्रति वर्ष 5%
(सी)	एएमसी की अवधि	19 वर्ष
(डी)	एएमसी की भुगतान शर्तें	सेवा के संतोषजनक समापन के बाद त्रैमासिक भुगतान।

निवल पूंजी लागत = C

कुल लागत (TCO) = पूंजी लागत + पूंजीगत व्यय * वार्षिक प्रबंधन राशि / वर्ष

(एमएफ = 13.17)

व्यापक एएमसी के लिए न्यूनतम आधार दर

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

व्यापक वार्षिक प्रबंधन (एएमसी) के लिए न्यूनतम आधार दर कुल पूंजी लागत का 4% (चार प्रतिशत) है। यदि निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित व्यापक एएमसी की दरें उद्धृत पूंजी लागत के 4% (चार प्रतिशत) से कम हैं, तो कुल स्वामित्व लागत की गणना के लिए उद्धृत पूंजी लागत का 4% (चार प्रतिशत) एएमसी के रूप में माना जाएगा।

नोट: उपरोक्त के बावजूद, बैंक निविदा में उल्लिखित नवीनीकरण सूत्रों के अधीन, प्रतिबद्ध अनुबंध अवधि के दौरान केवल एएमसी की उद्धृत दर का भुगतान करेगा।

16.0 अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर

- 16.1 निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें, उपर्युक्त उल्लिखित शर्तें, अनुबंध की शर्तें और तकनीकी विनिर्देश, निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न कार्यों की अनुसूची और बैंक तथा निविदाकर्ता के बीच हुए पत्राचार सफल निविदाकर्ता के साथ किए जाने वाले क्रय आदेश/अंतिम अनुबंध का आधार होंगे।
- 16.2 निविदाकर्ता को अनुबंध की सामान्य शर्तों में दिए गए नियमों और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और उसका प्रस्ताव इन शर्तों के अनुरूप होना चाहिए। निर्धारित नियमों और शर्तों से किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करके निविदाकर्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि उसने अनुबंध की सामान्य शर्तों, तकनीकी विशिष्टताओं आदि को पढ़ लिया है।
- 16.3 किसी फर्म की ओर से प्रस्तुत निविदा पर फर्म के सभी साझेदारों या फर्म की ओर से प्रस्तावित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक अधिकार रखने वाले साझेदार के हस्ताक्षर होने चाहिए। अन्यथा निविदा अस्वीकृत की जा सकती है।
- 16.4 बैंक से निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगा और इसके चौदह दिनों के भीतर, सफल निविदाकर्ता मसौदा समझौते के अनुसार एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। **समझौता लागू स्टांप अधिनियम के अनुसार आवश्यक मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर होना चाहिए और इसकी लागत पूरी तरह से निविदाकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।** समझौते पर हस्ताक्षर होने के बावजूद, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति अपने आप में भारतीय रिजर्व बैंक और निविदाकर्ता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगी, चाहे ऐसा समझौता बाद में निष्पादित हो या न हो।
- 16.5 ठेकेदार अनुबंध का हस्तांतरण नहीं करेगा। वह नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना अनुबंध के किसी भी भाग को उप-किराए पर नहीं देगा। इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, नियोक्ता ठेकेदार को लिखित नोटिस भेजकर अनुबंध रद्द कर सकता है, जिसके बाद सुरक्षा जमा राशि नियोक्ता के पास जब्त हो जाएगी, और ठेकेदार के विरुद्ध नियोक्ता के अन्य कानूनी अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

17.0 आयात और निर्यात लाइसेंस

- 17.1 यदि आवश्यक हो, तो आयात लाइसेंस निविदाकर्ता द्वारा प्राप्त किया जाएगा। आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत किए जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज/शुल्क का भुगतान निविदाकर्ता की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
- 17.2 निविदाकर्ता को सक्षम प्राधिकारियों से भारत में मशीनें आयात करने हेतु आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना और उसे बनाए रखना होगा तथा इससे संबंधित सभी लागत और शुल्क का भुगतान करना होगा। लाइसेंस प्राप्त करने और उसे बनाए रखने में विफलता को अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेजर) नहीं माना जाएगा। यदि निविदाकर्ता लाइसेंस प्राप्त करने या उसे बनाए रखने में विफल रहता है, या यदि लाइसेंस रद्द कर दिए जाते हैं, तो निविदाकर्ता को रद्द/वापस लिए जाने की तिथि से दो माह के भीतर उन्हें पुनः प्राप्त करना होगा। यदि निविदाकर्ता लाइसेंस पुनः प्राप्त करने में विफल रहता है, तो बैंक को अनुबंध को पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार होगा और निविदाकर्ता को रद्द की गई आपूर्ति और सेवाओं के संबंध में बैंक द्वारा निविदाकर्ता को भुगतान की गई सभी राशियाँ, साथ ही बैंक को हुए सभी नुकसानों की भरपाई तुरंत करनी होगी। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

18.0 साइट पर सामग्री/कार्य का निरीक्षण

- 18.1 उपकरण को साइट पर भेजने से पहले, बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्माता के कारखाने में उसका निरीक्षण किया जा सकता है और फिर उसे शिपमेंट के लिए मंजूरी दी जा सकती है। ठेकेदार निरीक्षक को निरीक्षण के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपकरण इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न विशिष्ट विनिर्देशों के अनुसार निर्मित किया जा रहा है या किया गया है, सभी आवश्यक सुविधाएं ठेकेदार के खर्च पर उपलब्ध कराएंगे। बैंक के इंजीनियर के दौरे और ठहरने का सारा खर्च बैंक द्वारा वहन किया जाएगा। बैंक के इंजीनियर डिलीवरी के बाद भी साइट पर सामग्री का निरीक्षण करेंगे, इससे पहले कि उसका उपयोग कार्य में किया जाए।
- 18.2 अनुबंध के निष्पादन के दौरान बैंक के अभियंता को ठेकेदार के कार्यों या स्थल तक किसी भी समय पूर्ण और स्वतंत्र पहुंच प्राप्त होगी, यदि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए कार्य का निष्पादन किया जा रहा हो, और वह ठेकेदार से अपने परिसर में या बैंक के अभियंता द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर कार्य या उसके किसी भाग या किसी सामग्री के निरीक्षण की व्यवस्था करने की मांग कर सकता है, और यदि ठेकेदार को उप-ठेकेदार की सेवाएं लेने की अनुमति दी गई है, तो बैंक के अभियंता के पास समान अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- 18.3 हालांकि, उपरोक्त प्रावधान किसी भी तरह से ठेकेदार को निर्दिष्ट स्थान पर सिस्टम/घटकों की स्थापना और चालू होने के बाद उनके उचित प्रदर्शन के संबंध में अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा।
- 18.4 बैंक के इंजीनियर को यह अधिकार होगा-
- a) किसी भी उपकरण या उसके किसी भाग को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने से पहले यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि निर्माण की किसी असंतोषजनक विधि को अपनाने के कारण वे या उनका कोई भाग अनुबंध के अनुरूप नहीं हैं;
 - b) विनिर्देशों के अनुरूप न होने के कारण प्रस्तुत किए गए किसी भी उपकरण या पुर्जे को अस्वीकार करना;

- c) निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी उपकरणों को अस्वीकार करने का अधिकार, यदि निरीक्षण के बाद वह अपने विवेकानुसार यह पाता है कि वे उपकरण असंतोषजनक हैं; और
- d) अस्वीकृत उपकरण या पुर्जों पर अस्वीकृति चिह्न लगाना ताकि पुनः प्रस्तुत किए जाने पर उनकी आसानी से पहचान की जा सके।

18.5 अस्वीकृति का परिणाम यदि उपकरण या उसके किसी भाग को बैंक के इंजीनियर द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, और ठेकेदार निर्धारित वितरण/पूर्णता अवधि के भीतर संतोषजनक आपूर्ति करने या किए गए दोषपूर्ण कार्य को सुधारने में विफल रहता है, तो बैंक को निम्नलिखित करने की स्वतंत्रता होगी:

- i) ठेकेदार को अस्वीकृत उपकरणों या पुर्जों के स्थान पर निर्दिष्ट समय के भीतर नए उपकरण या पुर्जे पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए, और ऐसे प्रतिस्थापन पर यदि कोई माल ढुलाई लागत हो तो ठेकेदार स्वयं वहन करे, तथा इस मद पर ठेकेदार किसी भी अतिरिक्त भुगतान का हकदार न हो; या
- ii) अस्वीकृत उपकरण या पुर्जों या समान प्रकार के अन्य उपकरणों या पुर्जों की मात्रा/कार्य की खरीद/निष्पादन करना या खरीद/निष्पादन को अधिकृत करना (जब विनिर्देशों के अनुरूप उपकरण या पुर्जे, बैंक के अंतिम मत के अनुसार, आसानी से उपलब्ध न हों) ठेकेदार को उसके जोखिम और लागत पर और अनुबंध के तहत आपूर्ति के संबंध में ठेकेदार के दायित्व को प्रभावित किए बिना; या
- iii) अनुबंध रद्द करें और ठेकेदार के जोखिम और खर्च पर उपकरण या समान प्रकार के अन्य उपकरणों की खरीद/निष्पादन करें या खरीद/निष्पादन को अधिकृत करें (जब बैंक की राय में, जो अंतिम होगी, विनिर्देशों के अनुरूप उपकरण या पुर्जे आसानी से उपलब्ध न हों)। उपरोक्त खंड (ii) या इस खंड के तहत कार्रवाई किए जाने की स्थिति में, जहां तक लागू हो, सुपुर्दगी खंड के प्रावधान लागू होंगे।

18.6 बैंक के इंजीनियर का अस्वीकृति संबंधी निर्णय अंतिम है:- अस्वीकृति के संबंध में बैंक के इंजीनियर का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार की अपील के अधीन ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

19.0 पूर्णता अवधि

- 19.1 कार्य को पूरा करने के लिए अनुबंध में उल्लिखित समय सीमा का ठेकेदार द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा और इसकी गणना 10 तारीख से की जाएगी।^{वां}कार्य शुरू करने का लिखित आदेश जारी होने के बाद अगले दिन से कार्य शुरू किया जाएगा। अनुबंध की निर्धारित अवधि के दौरान कार्य पूरी सावधानी और तत्परता से किया जाएगा और यदि ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो वह अनुबंध के खंड V में उल्लिखित शर्तों के अनुसार हर्जाना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 19.2 ठेकेदार को आशय पत्र जारी होने के दसवें दिन से संविदा में निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने हेतु बार चार्ट/गैट चार्ट प्रस्तुत करना होगा। इस चार्ट में साइट पर सामग्री की आपूर्ति की तिथि, कार्य की मदवार पूर्णता आदि जैसी सभी गतिविधियाँ शामिल होनी चाहिए।
- 19.3 बैंक भवन परिसर के भीतर भंडारण स्थान उपलब्ध कराएगा। हालांकि, संग्रहित सामग्री की सुरक्षा और जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। बैंक द्वारा किसी भी श्रमिक के लिए आवास की व्यवस्था नहीं की जाएगी।

20.0 बीमा

- 20.1 ठेकेदार को बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नाम से (बैंक का नाम पहले) बीमा पॉलिसियां लेनी होंगी, जो 1 के प्रेषण की तारीख से लागू होंगी।^{अनुसूचित जनजाति}कार्य पूर्ण होने तक सामग्री की खेप। उद्धृत दरों में बीमा पॉलिसियों की लागत शामिल होगी। पॉलिसियों में निम्नलिखित जोखिम शामिल होंगे:
- ठेकेदारों के लिए पूर्ण अनुबंध मूल्य के लिए अग्नि, भंडारण, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग पॉलिसी सहित सभी जोखिमों का बीमा।
 - साइट पर ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए श्रमिक क्षतिपूर्ति नीति।
 - कुल 10 लाख रुपये की तृतीय पक्ष देयता पॉलिसी, जिसमें प्रति दुर्घटना 2.00 लाख रुपये की सीमा है।

टिप्पणी: ये बीमा पॉलिसियाँ कार्य पूर्ण होने तक वैध रहेंगी। यदि ठेकेदार द्वारा ये पॉलिसियाँ उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, तो बैंक को स्वयं उपरोक्त बीमा पॉलिसियाँ लेने और ठेकेदार के बिल से उनकी लागत वसूलने का अधिकार सुरक्षित है।

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

21.0 वारंटी और सर्वांगीण रखरखाव अनुबंध

21.1 सभी उपकरणों पर निर्माण कार्य पूरा होने और सौंपे जाने की तिथि से 12 महीने की वारंटी होगी, जिसमें यह गारंटी दी जाएगी कि उनमें कोई दोषपूर्ण कारीगरी या सामग्री नहीं होगी। यदि 12 महीनों के भीतर कोई दोष दिखाई देता है, जो नियोक्ता की राय में खराब कारीगरी या सामग्री के कारण हुआ है, तो नियोक्ता द्वारा सूचित किए जाने पर ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपने खर्च पर उसकी मरम्मत की जाएगी। उक्त 12 महीनों की अवधि के दौरान, ठेकेदार (सफल निविदाकर्ता) लिफ्ट के कामकाज का आवधिक निरीक्षण कम से कम महीने में एक बार या आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले करेगा, और लिफ्ट की खराबी की स्थिति में उसकी मरम्मत करेगा और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करेगा। प्रत्येक निरीक्षण की रिपोर्ट बैंक को प्रस्तुत की जाएगी।

21.2 सभी सुविधाओं सहित व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (CAMC)

निविदाकर्ता को दरों का उद्घरण देना होगा। प्रति लिफ्ट प्रति वर्ष रुपये सभी लागू करें सहित व्यापक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) के लिए, आयातित स्पेयर पार्ट्स, परिवहन, बीमा, हैंडलिंग आदि पर जीएसटी सहित सभी लागू कर शामिल हैं, जो 12 महीने की वारंटी अवधि समाप्त होने के बाद लागू होते हैं। ये दरें एएमसी के पहले वर्ष के लिए स्थिर रहेंगी और निविदा मूल्यांकन के दौरान "निविदाओं का मूल्यांकन" अनुभाग में निर्धारित अनुसार इन शुल्कों पर भी विचार किया जाएगा। एएमसी के नवीनीकरण की राशि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित की जाएगी:

$$\text{एसी} = \frac{\text{एपीडीआईसी}}{100} (50 \times \text{सांसदसी} + 50 \times \text{वाई केसी})$$

एसी	=	चालू वर्ष के लिए अनुबंध राशि।
एपी	=	पिछले वर्ष की अनुबंध राशि।
सांसदसी	=	चालू वर्ष के अनुबंध की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले के धातु उत्पादों के थोक मूल्य सूचकांक।
सांसदपी	=	पिछले वर्ष के अनुबंध की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले के धातु उत्पादों का थोक मूल्य सूचकांक।
वाई केसी	=	चालू वर्ष के अनुबंध की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अहमदाबाद)।

वाई के = पिछले वर्ष के लिए अनुबंध की शुरुआत की तारीख से 6 महीने पहले के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अहमदाबाद)।

21.3 सीएएमसी के दौरान किए जाने वाले कार्यों का दायरा

(ए) कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (i) लिफ्ट के सुचारू और परेशानी मुक्त संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित सर्विसिंग/ समस्या निवारण/ सेटिंग/ समायोजन/ सफाई/ स्नेहन/ सुरक्षा की जाँच आदि।
- (ii) लिफ्ट की मरम्मत/प्रतिस्थापन, जिसमें किसी भी खराबी की स्थिति में सॉफ्टवेयर आदि को पुनः लोड करना शामिल है, साथ ही स्पेयर पार्ट्स/घटकों/उप-प्रणाली/कार्ड/मोटर/रस्सी और किसी भी अन्य घटक, भाग या संपूर्ण इकाई का प्रतिस्थापन, जिसे प्रतिस्थापन/मरम्मत की आवश्यकता हो सकती है।
- (iii) अतिरिक्त पुर्जों का आयात और उनका भंडारण निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी। पुर्जों/घटकों की अनुपलब्धता को शीघ्र सेवा प्रदान करने में विलंब के लिए दंड माफ करने का कारण नहीं माना जाएगा।
- (iv) रस्सियों, विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों जैसे घटकों के सभी निर्माताओं के निवारक रखरखाव कार्यक्रम/प्रतिस्थापन आवधिकता, जिसमें सुरक्षा उपकरणों की जाँच, रस्सी फिसलने जैसी सुरक्षा, भार परीक्षण आदि शामिल हैं, का निर्माता की आवधिकता के अनुसार या ऊपर बताए गए रखरखाव के दायरे के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सख्ती से पालन किया जाएगा।
- (v) आवधिक रखरखाव के अतिरिक्त रखरखाव के दायरे में किसी भी संख्या में खराबी की शिकायतों पर ध्यान देना भी शामिल होगा।

(बी) दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) और सीएएमसी अवधि के दौरान सेवा में देरी के लिए जुर्माना:-

- i. वार्षिक रखरखाव सेवा अनुबंध/डीएलपी की अवधि के दौरान, यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सावधानी बरती जाएगी कि लिफ्ट का डाउनटाइम न्यूनतम रहे और शिकायत प्राप्त होने के तुरंत बाद और अधिकतम 3 घंटे के भीतर लिफ्ट की मरम्मत की जाए।
- ii. यदि लिफ्ट एक दिन से अधिक समय तक खराब रहती है (जिसमें बड़ी मरम्मत के अलावा अन्य मरम्मत की आवश्यकता होती है), तो ठेकेदार को देय भुगतान से प्रति

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

लिफ्ट व्यापक एएमसी शुल्क की दैनिक दर के 4 गुना के बराबर जुर्माना वसूला जाएगा, जो एएमसी अवधि के दौरान कुल एएमसी शुल्क के अधिकतम 50% के अधीन होगा। साथ ही, वारंटी अवधि (डीएलपी) को डीएलपी के दौरान दोषों के निवारण में हुई देरी के दिनों की संख्या के 4 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा।

- iii. यदि लिफ्ट के रुकने का कारण बनने वाली कोई बड़ी मरम्मत 3 दिनों के भीतर ठीक नहीं की जाती है, तो ठेकेदार को देय भुगतान में प्रति लिफ्ट व्यापक एएमसी शुल्क की दैनिक दर के 4 गुना के बराबर जुर्माना लगाया जाएगा, जो एएमसी अवधि के दौरान कुल एएमसी शुल्क के अधिकतम 50% के अधीन होगा। साथ ही, वारंटी अवधि (डीएलपी) को खराबी को ठीक करने में हुई देरी के दिनों की संख्या के 4 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा। जुमनि के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित मदों को बड़ी मरम्मत माना जाएगा:

(ए) मोटर की रिवाइंडिंग

(ख) रस्सी का प्रतिस्थापन

(ग) गियर बॉक्स में बियरिंग, गियर आदि का प्रतिस्थापन

(घ) कार और काउंटर वेट के लिए गाइड शूज़ का प्रतिस्थापन

(ई) ट्रेलिंग केबल/कंट्रोल वायरिंग का प्रतिस्थापन

(फ) वीवीवीएफ नियंत्रक का प्रतिस्थापन

सी) कंपनी यह भी सुनिश्चित करेगी कि लिफ्ट के पूरे जीवनकाल के दौरान उचित रखरखाव के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स आदि उनके पास आसानी से उपलब्ध हों।

डी) एएमसी शुल्क का भुगतान सेवा के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के बाद प्रत्येक तिमाही में किया जाएगा।

22.0 भुगतान की शर्तें

इस अनुबंध के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के लिए भुगतान निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:

एक। **प्रथम चरण का भुगतान:** उद्धृत दरों का 60% आनुपातिक रूप से साइट पर सामग्री की डिलीवरी और निम्नलिखित जमा करने पर देय होगा:

- i) निविदा में सूचीबद्ध विभिन्न उपकरणों के परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

- ii) ठेकेदार द्वारा यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सिस्टम की सफल स्थापना, चालू करने और परीक्षण के लिए सभी घटक, पुर्जे, उप-प्रणालियाँ, उपभोग्य वस्तुएँ आदि साइट पर अच्छी स्थिति में प्राप्त हो गए हैं और यदि स्थापना, चालू करने और परीक्षण के दौरान कोई कमी पाई जाती है, तो उन्हें बैंक को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आपूर्ति की जाएगी।
- iii) निविदा के अनुसार सभी बीमा पॉलिसियाँ।
- iv) सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी(परिशिष्ट IV)
- बी। **दूसरे चरण का भुगतान:** लिफ्ट की स्थापना और परीक्षण के लिए उद्धृत दर का 25% अनुपातिक रूप से देय होगा।
- सी। **अंतिम चरण का भुगतान:** लिफ्ट लाइसेंस (यदि कोई हो) और डीएलपी और सीएएमसी के लिए बैंक गारंटी जमा करने के बाद शेष 15% भुगतान जारी किया जाएगा।

यदि लागू हो, तो परिचालन लाइसेंस जारी करने की तिथि को प्रत्येक लिफ्ट के सौंपे जाने की तिथि माना जाएगा।

दूसरे मामले

- 23. ठेकेदार संलग्न प्रपत्र के अनुसार वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा। **(अनुलग्नक III)** वे इस अनुबंध में उल्लिखित सभी समावेशी रखरखाव सेवा अनुबंध के तहत, दोष दायित्व अवधि की समाप्ति तिथि से कम से कम 19 वर्षों की अवधि के लिए लिफ्ट का संतोषजनक रखरखाव करेंगे, जो सेवा अनुबंध के दायरे में उल्लिखित शर्तों, नियमों और दायरे के अधीन होगा।
- 24. ठेकेदार बैंक के इंजीनियर द्वारा दिए गए चित्र, विवरण और निर्देशों के अनुसार ही सभी कार्य करेगा। यदि बैंक के इंजीनियर की राय में, स्थल की स्थिति के अनुरूप मामूली बदलाव आवश्यक हों और नियोक्ता की पूर्व लिखित स्वीकृति से ठेकेदार ऐसा करना चाहे, तो ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ये बदलाव करेगा।
- 25. निविदाकर्ता को निविदा प्रस्तुत करने और अनुबंध करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी स्वयं अपने उत्तरदायित्व और खर्च पर प्राप्त करनी होगी। उसे रेखाचित्रों की जांच करनी होगी, कार्यस्थल का निरीक्षण करना होगा और सभी स्थानीय परिस्थितियों, कार्यस्थल तक पहुंचने के साधनों, कार्य की प्रकृति और उससे संबंधित सभी मामलों से अवगत होना होगा। ऐसे मामलों में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा और मध्यस्थता के लिए खुला नहीं होगा।

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

26. प्रत्येक कार्य के लिए संभावित मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देश इन विशेष शर्तों के साथ संलग्न हैं।
नियोक्ता के विवेकानुसार संभावित मात्राओं की अनुसूची में बदलाव, कटौती या परिवर्धन किया जा सकता है। प्रत्येक निविदा में न केवल दरें बल्कि प्रत्येक कार्य मद का मूल्य भी अलग-अलग कॉलम में दर्ज होना चाहिए और सभी मदों का योग करके पूरी निविदा का कुल मूल्य दर्शाया जाना चाहिए।
27. **दनिविदा में उद्धृत दरें शामिल होगी**मचान, निगरानी और दिन-रात की रोशनी के सभी शुल्क, जिनमें शनिवार/रविवार और छुट्टियां भी शामिल हैं, ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे। ठेकेदार को आवश्यकतानुसार या आदेश मिलने पर मचान आदि को हटाना होगा और कार्य निष्पादन के दौरान बाधित हुई सभी चीजों को पूरी तरह से पुनर्स्थापित करके बैंक की संतुष्टि के अनुरूप बनाना होगा।
28. साइट पर कार्य की शुरुआत की तिथि से **होइस्ट वे की रक्षा और रखवाली करने** की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
29. बैंक लिफ्ट के लिए आवश्यक क्षमता की 1 टीपीएन स्विच डिस्कनेक्टर फ्यूज यूनिट (एसडीएफयू) और लिफ्ट की बिजली और रोशनी की प्रत्येक मशीन के लिए आवश्यक अर्थ लीड के साथ उपयुक्त क्षमता की एमसीबीडीबी प्रदान करेगा।
30. ठेकेदार को कार्य प्रारंभ करने या उसे पूरा करने में हुई किसी भी देरी के कारण हुए किसी भी नुकसान के लिए किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलेगा, चाहे देरी का कारण कुछ भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए कार्य में संशोधन या उससे संबंधित किसी उप-अनुबंध में संशोधन, परियोजना के अन्य कार्यों के लिए अनुबंध देने में देरी, या ऐसे कार्यों के प्रारंभ या समापन में देरी शामिल है। नियोक्ता निविदा राशि के अतिरिक्त किसी भी राशि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, बशर्ते कि इसमें दिए गए प्रावधानों के अनुसार बदलाव किए जा सकें।
31. सफल निविदाकर्ता कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक सभी कार्यों को करने के लिए बाध्य है, भले ही वे कार्य मात्रा और दरों में शामिल न हों। ऐसे अतिरिक्त कार्यों और उनकी मात्राओं के संबंध में निर्देश पुस्तिका बैंक द्वारा लिखित रूप में जारी की जाएगी।
32. इन विशेष शर्तों के साथ संक्षिप्त विनिर्देश और डिज़ाइन संबंधी जानकारी भी दी गई है। इसे किसी भी तरह से अंतिम नहीं माना जाना चाहिए। निविदाकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे लिफ्ट तंत्र के विभिन्न डिज़ाइनों का विस्तृत विवरण दें, जो बेहतर कार्यक्षमता और उत्कृष्ट फिनिश प्रदान करेंगे।

33. सफल निविदाकर्ता को बैंक द्वारा नियुक्त अन्य ठेकेदारों के साथ सहयोग करना होगा ताकि कार्य सुचारू रूप से और कम से कम विलंब के साथ संपन्न हो सके। उसे अपने द्वारा आपूर्ति की गई सभी सामग्रियों के भंडारण और सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
34. यह कार्य किसी व्यस्त परिसर में किया जाना है। इसलिए, परिसर में रहने वालों/कार्यालय में काम करने वालों को असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।
35. ठेकेदार को यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी कार्य नियोक्ता द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार और स्थानीय सार्वजनिक प्राधिकरणों की आवश्यकताओं तथा लिफ्ट निरीक्षणालय की आवश्यकताओं तथा अन्य सभी लागू अधिनियमों/नियमों/विनियमों के अनुपालन में ही किए जाएंगे और किसी भी कारण से कोई विचलन स्वीकार्य नहीं होगा।
36. निविदाकर्ता की यह जिम्मेदारी है कि वह निरीक्षणालय या राज्य में उपलब्ध किसी भी वैधानिक निकाय से लाइसेंस प्राप्त करे। यदि कोई वैधानिक शुल्क लागू होता है, तो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है।

गवाह

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

पता

पता

तारीख

तारीख

खंड III - सुरक्षा संहिता

सामान्य सुरक्षा

1. प्राथमिक चिकित्सा के उपकरण, जिनमें पर्याप्त मात्रा में कीटाणुरहित पट्टियाँ और रुई शामिल हैं, आसानी से सुलभ स्थान पर रखे जाने चाहिए।
2. यदि चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो, तो घायल व्यक्ति को बिना किसी विलंब के सरकारी अस्पताल ले जाया जाएगा।
3. वे सभी कार्य जो जमीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते, उनके लिए श्रमिकों को उपयुक्त और मजबूत मचान उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
4. किसी भी पोर्टेबल सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर (स्पष्ट) से कम नहीं होनी चाहिए और दो आसन्न पायदानों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीढ़ी का उपयोग करते समय, सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त श्रमिक को नियुक्त किया जाना चाहिए।
5. खुदाई से प्राप्त सामग्री को खाई के किनारे से 1.5 मीटर की दूरी के भीतर या खाई की गहराई के आधे भाग से अधिक दूरी के भीतर नहीं रखा जाना चाहिए। सभी खाइयों और खुदाई स्थलों को कम से कम एक मीटर की ऊंचाई तक आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
6. किसी भी इमारत या कार्य मंच के फर्श में बने प्रत्येक खुले स्थान पर उपयुक्त बाड़ या रेलिंग लगाकर व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी, जिसकी न्यूनतम ऊंचाई एक मीटर होगी।
7. इमारत के किसी भी तल, छत या अन्य हिस्से पर इतना अधिक मलबा या सामग्री नहीं डाली जानी चाहिए जिससे वह असुरक्षित हो जाए।
8. डामर, सीमेंट, मोर्टार या कंक्रीट और चूने के मोर्टार जैसी सामग्री को मिलाने और संभालने का काम करने वाले श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
9. वेल्डिंग के काम में लगे लोगों को वेल्डर के सुरक्षात्मक आई-शील्ड और दस्ताने उपलब्ध कराए जाएंगे।
10. सीसा या सीसा युक्त उत्पादों से युक्त किसी भी प्रकार के पेंट का उपयोग पेस्ट या तैयार पेंट के रूप में ही किया जाएगा।
11. पेंट को स्प्रे के रूप में लगाते समय या सीसे के पेंट से सने सतह को रगड़कर खुरचते समय श्रमिकों के उपयोग के लिए उपयुक्त फेस मास्क उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
12. कार्य में प्रयुक्त उत्पादन मशीनें और उपकरण, जिनमें उनके सहायक उपकरण, लंगर और समर्थन शामिल हैं, उत्तम स्थिति में होने चाहिए।

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

13. सामग्री को ऊपर उठाने या नीचे उतारने में या लटकाने के साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली रस्सियाँ टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त मजबूती की होनी चाहिए और दोष रहित होनी चाहिए।
14. कार्य निष्पादन के दौरान कार्यरत कर्मचारियों को सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे और ठेकेदार द्वारा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। कार्य ठेकेदार के पर्यवेक्षक की देखरेख में किया जाएगा।

आग सुरक्षा

- i. साइट पर उपयोग की जाने वाली कटिंग/ड्रिलिंग मशीन और अन्य विद्युत चालित उपकरणों को सही रेटिंग वाले विद्युत आउटलेट में प्लग किया जाना चाहिए।
- ii. केवल आईएसआई चिह्न वाले 3 पिन प्लग और अन्य उपकरण एवं सामग्री का ही उपयोग किया जाना चाहिए।
- iii. उपयोग किए जाने वाले विद्युत शक्ति केबल/तारों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए और वे उचित रेटिंग के होने चाहिए।
- iv. सभी विद्युत उपकरण, जैसे वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि, संचालन के दौरान रिसाव धारा को रोकने के लिए सुरक्षित रूप से अर्थिंग किए जाने चाहिए।
- v. किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग का काम शुरू करने से पहले, अग्निशमन विभाग को सूचित किया जाना चाहिए और अग्निशमन अधिकारियों/कर्मियों द्वारा स्थल का निरीक्षण करने के बाद ही काम शुरू किया जाना चाहिए।
- vi. साइट पर आसानी से पहुंच योग्य स्थान पर पानी और रेत की दो बाल्टियाँ रखी जानी चाहिए।
- vii. दमकल अधिकारियों द्वारा अनुशंसित और जारी किए गए अग्निशामक यंत्र घटनास्थल पर रखे जाने चाहिए।
- viii. इस्तेमाल किए गए पेंट के ड्रमों को ठीक से बंद करने के बाद ही निर्दिष्ट भंडार में रखा जाना चाहिए।
- ix. कार्य की आवश्यकता के अनुसार, ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाने के लिए सुरक्षा जूते, दस्ताने, वेल्डर का मास्क, ईयर प्लग आदि जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
- x. सुरक्षा बेल्ट ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और श्रमिकों द्वारा ऊंचाई से काम करते समय इसका उपयोग किया जाएगा।

- xi. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास के किसी भी मार्ग का उपयोग किसी भी प्रकार की सामग्री/कचरा जमा करने/फेंकने के लिए नहीं किया जाएगा।
- xii. सीढ़ियों के दोनों दरवाजे सामान्यतः बंद रखे जाने चाहिए।
- xiii. किसी भी अग्निशामक यंत्र को उसके निर्धारित स्थान से हटाया/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
- xiv. जब उपकरण उपयोग में न हो तो बिजली की आपूर्ति मुख्य बिजली आपूर्ति से बंद कर देनी चाहिए।
- xv. काम के दौरान उत्पन्न होने वाले लकड़ी के बुरादे और चूरा को प्रतिदिन एकत्र किया जाएगा, कार्यस्थल से हटाया जाएगा और उचित तरीके से निर्धारित स्थान पर संग्रहित किया जाएगा।
- xvi. कार्य से उत्पन्न होने वाले किसी भी मलबे को प्रतिदिन एकत्र किया जाएगा, कार्यस्थल से हटाया जाएगा और उचित तरीके से निर्धारित स्थान पर संग्रहित किया जाएगा।
- xvii. कार्यालय समय के बाद काम करने वाले श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा बैटरी से चलने वाली आपातकालीन लाइट/टॉर्च उपलब्ध कराई जाएगी।

स्थान: ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर
तारीख :

खंड IV - इसके बाद संदर्भित शर्तें

व्याख्या खंड

1. इन शर्तों, विशिष्टताओं, मात्राओं की अनुसूची और अनुबंध समझौते की व्याख्या करते समय, निम्नलिखित शब्दों का वही अर्थ होगा जो यहाँ उन्हें दिया गया है, सिवाय इसके कि जहाँ विषय या संदर्भ अन्यथा अपेक्षित हो।
 - (ए) "नियोक्ता" इसका तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक से होगा और इसमें इसके उत्तराधिकारी और नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे।
 - (बी) "ठेकेदार" "ठेकेदार" से तात्पर्य _____ और (साझेदारी के मामले में) _____ से है जो _____ के नाम और शैली में व्यापार करते हैं और जिनका व्यवसाय स्थल _____ पर है और इसमें उक्त फर्म के वर्तमान साझेदार और एक मृत साझेदार के कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
(व्यक्तिगत मामले में) "ठेकेदार" से तात्पर्य श्री _____ से है जो _____ के नाम से व्यापार करते हैं और इसमें उनके उत्तराधिकारी, वारिस और कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
(कंपनी के मामले में) "ठेकेदार" से तात्पर्य _____ कंपनी से है जो _____ के अंतर्गत निगमित है और जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में है, और इसमें इसके उत्तराधिकारी और असाइनमेंट शामिल होंगे।
 - (सी) "साइट" इसका अर्थ अनुबंध कार्यों का स्थल होगा जिसमें उस पर बने सभी भवन और संरचनाएं तथा नियोक्ता द्वारा ठेकेदार के उपयोग के लिए आवंटित कोई अन्य भूमि (सम्मिलित रूप से) शामिल होगी।
 - (डी) "इक्करारनामा" इससे तात्पर्य अनुबंध के अनुच्छेद, विशेष शर्तें, शर्तें, परिशिष्ट, मात्राओं और विशिष्टताओं की अनुसूची आदि से है, जो इसके साथ संलग्न हैं और विधिवत हस्ताक्षरित हैं।
 - (और) "लिखित सूचना" या लिखित सूचना का अर्थ लिखित, टाइप किए गए या मुद्रित अक्षरों में दी गई सूचना होगी, जिसे (जब तक कि व्यक्तिगत रूप से वितरित न किया गया हो या अन्यथा प्राप्त होने का प्रमाण न हो) पंजीकृत डाक द्वारा उस अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते पर भेजा गया हो, जहां सामान्य डाक प्रक्रिया के अनुसार इसे प्राप्त किया जाना था।
 - (ए) "दिवालियापन का" इसका तात्पर्य प्रेसिडेंसी टाउन्स इनसॉल्वेंसी एक्ट या प्रोविंशियल इनसॉल्वेंसी एक्ट या ऐसे मूल अधिनियम में संशोधन करने वाले किसी भी अधिनियम द्वारा परिभाषित दिवालियापन अधिनियम से होगा।
 - (फ) "अधिनियम"
 - (जी) "शुद्ध कीमतें" यदि ठेकेदार द्वारा अनुबंध राशि निर्धारित करते समय निविदा में उल्लिखित मदों के कुल योग में कोई राशि, चाहे प्रतिशत के रूप में हो या किसी अन्य रूप में, जोड़ी या घटाई गई हो, तो निविदा में उल्लिखित किसी भी मद का शुद्ध मूल्य वह राशि होगी जो निविदा में उस मद के वास्तविक मूल्य में ठेकेदार द्वारा जोड़ी या घटाई गई राशि के समान प्रतिशत या अनुपात को जोड़कर या घटाकर प्राप्त की गई हो। किसी भी मूल लागत मद और अनंतिम राशियों को निविदा की कुल राशि से घटा दिया जाएगा। अनुबंध या खातों के

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

संदर्भ में प्रयुक्त "शुद्ध दरें" या "शुद्ध मूल्य" शब्द का अर्थ इस प्रकार निर्धारित
 (एच "काम") यहाँ उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्थित
 आरबीआई के अधिकारियों के आवासीय परिसर में यात्री लिफ्ट का डिजाइन,
 आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना शामिल होगा।

व्यक्तियों को दर्शाने वाले शब्दों में फर्म और निगम भी शामिल हैं। एकवचन को दर्शाने वाले शब्दों में
 बहुवचन भी शामिल होता है और संदर्भ के अनुसार इसका विपरीत भी लागू होता है।

अनुबंध का दायरा

2. इस कार्य में यात्री लिफ्ट की संपूर्ण स्थापना शामिल है। ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसार और
 नियोक्ता के निर्देशों के अनुरूप तथा नियोक्ता की संतुष्टि के अनुरूप उक्त कार्य को हर तरह से
 पूरा करेगा। नियोक्ता अपने पूर्ण विवेकाधिकार से और समय-समय पर अतिरिक्त चित्र और/या
 लिखित निर्देश, विवरण, दिशा-निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिन्हें आगे सामूहिक
 रूप से "नियोक्ता के निर्देश" कहा जाएगा।

- (a) किसी भी कार्य के डिजाइन, गुणवत्ता या मात्रा में भिन्नता या संशोधन, या किसी भी
 कार्य का जोड़, हटाना या प्रतिस्थापन।
- (b) रेखाचित्रों में या मात्राओं की अनुसूची और/या रेखाचित्रों और/या विशिष्टताओं के बीच
 कोई भी विसंगति।
- (c) ठेकेदार द्वारा साइट पर लाई गई किसी भी सामग्री को साइट से हटाना और उसके
 स्थान पर किसी अन्य सामग्री को प्रतिस्थापित करना।
- (d) ठेकेदार द्वारा किए गए किसी भी कार्य को हटाना और/या पुनः निष्पादित करना।
- (e) वहाँ कार्यरत किसी भी व्यक्ति को कार्यस्थल से बर्खास्त करना।
- (f) किसी भी ढके हुए काम का निरीक्षण करने के लिए उसे खोलना।
- (g) इस अनुबंध के खंड 29 के अंतर्गत किसी भी दोष का संशोधन और निवारण करना।

ठेकेदार नियोक्ता के निर्देशों में उल्लिखित किसी भी कार्य का तुरंत पालन करेगा और उसे
 विधिवत निष्पादित करेगा, बशर्ते कि नियोक्ता द्वारा ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों को कार्य
 संबंधी मौखिक निर्देश, दिशा-निर्देश और स्पष्टीकरण, यदि उनमें कोई परिवर्तन शामिल है, तो
 ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जानी चाहिए, और यदि नियोक्ता द्वारा
 अगले सात दिनों के भीतर लिखित रूप में असहमति व्यक्त नहीं की जाती है, तो ऐसे निर्देशों को
 अनुबंध के दायरे में नियोक्ता के निर्देश माना जाएगा।

नियोक्ता द्वारा दिए गए दैनिक निर्देशों को दर्ज करने के उद्देश्य से, ठेकेदार अपने खर्च पर तीन
 प्रतियों में एक "साइट निर्देश पुस्तिका" रखेगा, जिसमें नियोक्ता द्वारा निर्देश दर्ज किए जाएंगे और
 ठेकेदार के प्रभारी अभियंता द्वारा इसकी देखरेख की जाएगी। ठेकेदार को निर्देश बैंक के
 अभियंता/प्रभारी अभियंता के माध्यम से जारी किए जाएंगे।

3. अनुबंध के दायरे में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

ए) घटक आपूर्तिकर्ताओं और उपठेकेदारों के काम का समन्वय, समय-निर्धारण और प्रबंधन।

ख) निर्दिष्ट अनुसार उपकरणों का आधुनिकीकरण करना या मौजूदा, नए या संशोधित लिफ्ट वेल और ओवरहेड का उपयोग करना।

ठेकेदार के कर्तव्य

4. ठेकेदार के कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - क) निर्दिष्ट कार्यों के उचित निष्पादन और समापन के लिए आवश्यक श्रम, सामग्री और उपकरण, औजार, निर्माण उपकरण और मशीनरी तथा अन्य सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करना और उनका भुगतान करना।
 - ख) आवश्यक कार्यों के उचित निष्पादन और समापन के लिए आवश्यक परमिट, वैधानिक श्रमिक क्षतिपूर्ति बीमा, शुल्क और लाइसेंस प्राप्त करना और उनका भुगतान करना।
 - ग) आवश्यक सूचनाएँ दें।
 - घ) इस विनिर्देश के कानूनी आवश्यकताओं से विचलन पाए जाने पर नियोक्ता को तुरंत लिखित सूचना प्रस्तुत करें।
 - e) कर्मचारियों के बीच सख्त अनुशासन और सुव्यवस्था लागू करें। सौंपे गए कार्य में अकुशल व्यक्तियों को नियुक्त न करें।

नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले परिवर्तन

5. ठेकेदार को मात्रा और दरों का विवरण देते हुए, दरों के विश्लेषण, वाउचर आदि के साथ संशोधनों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। नियोक्ता द्वारा जांच और अंतिम स्वीकृति के बाद प्राप्त दरें पूरक निविदा का रूप लेंगी। नियोक्ता इन विवरणों की स्वीकृति होने तक ऐसे संशोधनों के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

रेखाचित्र, मात्राओं की अनुसूची और समझौता

6. यह अनुबंध दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा और ठेकेदार को अपने उपयोग के लिए एक निष्पादित प्रति प्राप्त करने का अधिकार होगा। ठेकेदार को अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने से पहले, उसे नियोक्ता को सभी चित्र और विनिर्देश तुरंत वापस करने होंगे।

कार्य क्रम

7. सफल ठेकेदार को निविदा में सभी लागतें शामिल करनी होंगी ताकि कार्य अनुसूची तालिका में दिए गए समय के अनुसार कार्य पूरा हो सके। निविदा जमा करके, ठेकेदार यह स्वीकार करता है कि उसने परियोजना विनिर्देशों और रेखाचित्रों की समीक्षा कर ली है, कार्यस्थल का दौरा कर लिया है, और अनुमोदित अनुसूची के अनुसार कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 3 महीने की कुल समयसीमा के भीतर सभी कार्य पूरा करेगा। अनुसूची की समयसीमा नियोक्ता से कार्य शुरू करने की सूचना या अनुबंध प्राप्त होने के बाद शुरू होती है। ठेकेदार को परियोजना आवंटित

होने से पहले, कार्य अनुसूची के अनुसार अनुमोदित समयसीमा के अनुरूप एक विस्तृत निर्माण अनुसूची प्रदान करनी होगी।

ठेकेदार द्वारा संपत्ति का उपयोग

8. कार्य स्थल एक कब्जे वाली इमारत है। ठेकेदार द्वारा संपत्ति का उपयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा: -

- कार्यस्थल पर संचालन को कानून, अध्यादेशों, परमिटों, विशिष्टताओं और नियोक्ता के विशिष्ट निर्देशों द्वारा अनुमत क्षेत्रों तक ही सीमित रखें।
- सामग्री या उपकरणों से परिसर को अनावश्यक रूप से न भरें। सामान रखने का स्थान नियोक्ता के निर्देशानुसार निर्धारित किया जाएगा।
- एस्टेट के अंदर या बाहर रखे गए औजारों और उत्पादों की सुरक्षा और हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी लें।
- उन संग्रहित उत्पादों को हटा दें जो भवन के संचालन या अन्य व्यवसायों के संचालन में बाधा डालते हैं।
- संचालन के लिए आवश्यक अतिरिक्त भंडारण या कार्य क्षेत्रों के उपयोग के लिए राशि प्राप्त करें और भुगतान करें।

ठेकेदार को आवश्यक सभी चीजें अपने खर्च पर उपलब्ध करानी होंगी।

9. ठेकेदार अपने खर्च पर, रेखाचित्रों, मात्रा सूची और विनिर्देशों के उद्देश्य और अर्थ के अनुसार कार्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराएगा, चाहे वह रेखाचित्रों, मात्रा सूची और विनिर्देशों में स्पष्ट रूप से दर्शायी गई हो या नहीं, बशर्ते कि यह उनसे उचित रूप से समझा जा सके। यदि ठेकेदार को रेखाचित्रों में या रेखाचित्रों, मात्रा सूची और विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति मिलती है, तो वह तुरंत लिखित रूप में नियोक्ता को इसकी सूचना देगा, जो यह तय करेगा कि किसका पालन किया जाना है। ठेकेदार इस विनिर्देश के अंतर्गत सभी कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा विनियमों के पूर्ण अनुपालन में प्रदान करेगा।

कॉलोनी के सामान्य कार्यों में कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा।

10. यह परियोजना एक मौजूदा इमारत में लिफ्ट लगाने का एक बड़ा कार्य है। ठेकेदार के लिए यह आवश्यक है कि वह सुरक्षा, धूल और ढीले पदार्थों से बचाव, शोर कम करने, इमारत में पानी और हवा के रिसाव से बचाव और इमारत के अंदर और बाहर कार्य क्षेत्रों में साफ-सफाई और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित सभी मामलों पर विशेष ध्यान दे और उन्हें प्राथमिकता दे। पैकेजिंग सामग्री, स्क्रेप सामग्री और विध्वंस का मलबा प्रतिदिन इमारत और कार्यस्थल से तुरंत हटाया जाना चाहिए।
- 11। यदि अनुबंध में ऐसे कार्य शामिल हैं जो भवन में रहने वालों के लिए व्यवधान उत्पन्न करने वाले और खतरनाक हो सकते हैं, तो उक्त कार्य नियोक्ता द्वारा निर्धारित समय के दौरान किए जाएंगे।

ऐसे कार्यों के उदाहरणों में कंक्रीट की कटाई, जैक हैमरिंग, वेल्डिंग, धातु की कटाई, कंक्रीट डालना, भवन के कब्जे वाले हिस्सों के ऊपर स्टील या उठाने वाले उपकरण लगाना या लिफ्ट की आवश्यकता वाले परीक्षण करना शामिल हैं। ठेकेदार नियोक्ता द्वारा निर्धारित समय के दौरान ऐसे कार्य करेगा और अपने निविदा में सभी लागतों को शामिल करेगा।

- 12 ठेकेदार को निर्माण कार्य के सामान्य समय के दौरान शोर का स्तर 75 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना होगा। यदि इस स्तर से अधिक शोर उत्पन्न करना आवश्यक हो, तो ठेकेदार नियोक्ता को इसकी सूचना देगा और समय का निर्धारण निर्देशानुसार किया जाएगा। ठेकेदार को अत्यधिक शोर उत्पन्न करने वाली किसी भी प्रक्रिया का अनुमान लगाना होगा और निविदा में इसके लिए प्रावधान शामिल करना होगा।

कार्य और संपत्ति की सुरक्षा

- 13 ठेकेदार को कार्य स्थल के सभी तैयार फर्शों पर उपयुक्त सुरक्षात्मक आवरण लगाना होगा। तैयार फर्शों पर या उनके ऊपर किसी भी प्रकार के सामग्री ढोने वाले उपकरण की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि उक्त फर्शों को नियोक्ता द्वारा अनुमोदित तरीके से सुरक्षित न किया गया हो। ठेकेदार द्वारा भवन की सतह को हुए किसी भी नुकसान की मरम्मत नियोक्ता को बिना किसी अतिरिक्त लागत के करनी होगी। ठेकेदार को कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त होने वाली किसी भी आस-पास की सतह की तस्वीरें लेनी होंगी ताकि रिकॉर्ड रखा जा सके।

प्राधिकरण, सूचनाएं और पेटेंट

14. ठेकेदार को कार्य से संबंधित विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों, किसी भी प्राधिकरण के नियमों और उपनियमों, तथा विद्युत आपूर्ति और अन्य कंपनियों और/या प्राधिकरणों के नियमों और उपनियमों का पालन करना होगा, जिनके सिस्टम से इंस्टॉलेशन को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। ठेकेदार को, यदि आवश्यक हो तो, डाइंग या विनिर्देशों में कोई भी परिवर्तन करने से पहले, नियोक्ता को लिखित सूचना देनी होगी, जिसमें प्रस्तावित परिवर्तन और उसका कारण स्पष्ट रूप से बताया गया हो, और उस पर निर्देश प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। यदि ठेकेदार को दस दिनों के भीतर ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तो उसे संबंधित प्रावधानों, नियमों या उपनियमों के अनुरूप कार्य करना होगा, और इस प्रकार आवश्यक किसी भी परिवर्तन पर खंड संख्या 22 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

ठेकेदार उक्त अधिनियमों, विनियमों या उपनियमों के तहत किसी भी प्राधिकरण को दी जाने वाली सभी सूचनाओं को नियोक्ता के ध्यान में लाएगा और ऐसे प्राधिकरण या किसी भी सार्वजनिक कार्यालय को कार्यों के संबंध में उचित रूप से प्रभार्य सभी शुल्क का भुगतान करेगा और रसीदें नियोक्ता के पास जमा करेगा।

ठेकेदार, नियोक्ता को अधिकारों से संबंधित सभी दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा, दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों का बचाव करेगा, और स्वयं सभी प्रकार की रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, क्षतिपूर्ति, लागत और शुल्क का भुगतान करेगा जो कानूनी रूप से इस संबंध में खर्च किए जा सकते हैं।

काम शुरू करना

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

15. ठेकेदार कार्यों का लेआउट तैयार करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि लेआउट सही और सटीक हो, साथ ही सभी भागों की स्थिति, स्तर, आयाम और संरेखण भी सही हों। यदि कार्यों की प्रगति के दौरान, कार्यों के पूरा होने के एक वर्ष के भीतर इस संबंध में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो ठेकेदार, यदि आवश्यक हो, तो अपने खर्च पर, नियोक्ता की संतुष्टि के अनुसार ऐसी त्रुटि को ठीक करेगा।

सामग्री और कारीगरी विवरण के अनुरूप होनी चाहिए।

16. सभी सामग्रियां और कारीगरी, जहां तक संभव हो, मात्रा अनुसूची और/या विनिर्देशों में वर्णित संबंधित प्रकारों की होनी चाहिए और नियोक्ता के निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए। ठेकेदार नियोक्ता के अनुरोध पर, सामग्रियों के अनुपालन को प्रमाणित करने वाले सभी चालान, खाता रसीदें और अन्य प्रमाण प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार नियोक्ता द्वारा अपेक्षित किसी भी सामग्री के परीक्षण की व्यवस्था स्वयं करेगा और/या उसे संपन्न कराएगा।

ठेकेदार की देखरेख और कार्य स्थल पर प्रतिनिधि

17. ठेकेदार कार्य निष्पादन के दौरान और उसके बाद भी, जब तक नियोक्ता आवश्यक समझे, इस अनुबंध के परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष दायित्व अवधि" की समाप्ति तक, सभी आवश्यक व्यक्तिगत पर्यवेक्षण प्रदान करेगा। ठेकेदार कार्य प्रगति के पूरे समय के दौरान एक सक्षम प्रतिनिधि को नियुक्त करेगा जो श्रमिकों के कार्य करते समय लगातार कार्यस्थल पर उपस्थित रहेगा। नियोक्ता द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए किसी भी निर्देश, स्पष्टीकरण, अनुदेश या सूचना को ठेकेदार को दिया गया माना जाएगा।

कामगारों की बर्खास्तगी

18. ठेकेदार, नियोक्ता के अनुरोध पर, अपने द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को, जो नियोक्ता की राय में अक्षम हो या दुर्व्यवहार करता हो, तुरंत कार्यस्थल से बर्खास्त कर देगा और ऐसे व्यक्तियों को नियोक्ता की अनुमति के बिना कार्यस्थल पर पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा।

कृतियों तक पहुंच

19. नियोक्ता और उनके संबंधित प्रतिनिधियों को सभी उचित समयों पर कार्यस्थल और/या कार्यशालाओं, कारखानों या अन्य स्थानों तक निर्बाध पहुंच प्राप्त होगी जहां सामग्री रखी है या जहां से सामग्री प्राप्त की जा रही है। ठेकेदार नियोक्ता और उनके प्रतिनिधियों को सामग्री और कारीगरी के निरीक्षण, परीक्षण और जांच के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं प्रदान करेगा। सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को छोड़कर, नियोक्ता द्वारा अधिकृत न किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्यस्थल पर उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी।

सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी)

20. "सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी)" शब्द का अर्थ नियोक्ता द्वारा कार्यों के निरीक्षण के लिए नियुक्त और वेतनभोगी व्यक्ति से है। ठेकेदार सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) को कार्यों और सामग्रियों के निरीक्षण तथा समय और सामग्रियों की जाँच और माप के लिए सभी सुविधाएँ और सहायता प्रदान करेगा। सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) को कार्यों को निर्धारित करने, अनुबंध की किसी भी शर्त को रद्द करने, बदलने, बढ़ाने या शिथिल करने, या किसी भी कार्य, परिवर्धन, परिवर्तन, विचलन या चूक या किसी भी अतिरिक्त कार्य को स्वीकृत करने का अधिकार होगा, सिवाय इसके कि ऐसा अधिकार नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति से लिखित आदेश द्वारा विशेष रूप से प्रदान किया गया हो।

सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) या नियोक्ता के किसी भी प्रतिनिधि को ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को किसी भी कार्य या सामग्री की अस्वीकृति की सूचना देने का अधिकार होगा और ऐसे कार्य को निलंबित कर दिया जाएगा या ऐसी सामग्री का उपयोग सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) द्वारा बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी जांच किसी भी तरह से ठेकेदार को कार्य के किसी भी चरण में या उसके पूरा होने के बाद पाई जाने वाली किसी भी खामी को दूर करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी।

आवंटन और उप-किराया

21. इस अनुबंध में शामिल सभी कार्य ठेकेदार द्वारा निष्पादित किए जाएंगे और ठेकेदार नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुबंध या उसके किसी भाग या उसमें किसी भी हित को हस्तांतरित, सौंप या उप-किराए पर नहीं देगा, और कोई भी वचनबद्धता ठेकेदार को अनुबंध की पूर्ण और संपूर्ण जिम्मेदारी से या कार्यों की प्रगति के दौरान सक्रिय पर्यवेक्षण से मुक्त नहीं करेगी।
22. किसी भी प्रकार का परिवर्तन, कमी या बदलाव इस अनुबंध को अमान्य नहीं करेगा, लेकिन यदि नियोक्ता कार्य प्रगति के दौरान किसी भी समय कार्य में कोई परिवर्तन, परिवर्धन या कमी करना उचित समझता है, या उसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री के प्रकार या गुणवत्ता में कोई परिवर्तन करना चाहता है, और इसकी सूचना ठेकेदार को अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में देता है, तो ठेकेदार ऐसी सूचना के अनुसार परिवर्तन, परिवर्धन या कमी करेगा, लेकिन ठेकेदार नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा, न ही कार्य में कोई परिवर्तन, परिवर्धन या कमी करेगा, या अनुबंध, शर्तों, विनिर्देशों या अनुबंध रेखाचित्रों के किसी भी प्रावधान से विचलित होगा। ऐसे अतिरिक्त कार्यों, परिवर्तनों, परिवर्धनों या कमी का मूल्य, सभी मामलों में, नियोक्ता की पूर्व लिखित स्वीकृति से, इस अनुबंध के खंड 26 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, और तदनुसार अनुबंध राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा।

मात्राओं की अनुसूची

23. जब तक अन्यथा न कहा गया हो, मात्राओं की अनुसूची को माप की मानक विधि के अनुसार तैयार किया गया माना जाएगा।

विवरण में, मात्रा में, या मात्रा अनुसूची से किसी मद के छूट जाने में कोई त्रुटि इस अनुबंध को अमान्य नहीं करेगी, बल्कि उसे सुधारा जाएगा और खंड 26 के तहत निर्धारित मूल्य को अनुबंध

राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा (जैसा भी मामला हो), बशर्ते कि ठेकेदार की दर अनुसूची में किसी भी त्रुटि का सुधार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मात्राओं की अनुसूची की पर्याप्तता

24. ठेकेदार को निविदा प्रस्तुत करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसकी निविदा कार्य के लिए और मात्रा अनुसूची तथा/या दर एवं मूल्य अनुसूची में उल्लिखित कीमतों के लिए सही और पर्याप्त है, और ये दरें एवं मूल्य अनुबंध के अंतर्गत उसके सभी दायित्वों तथा कार्यों के उचित समापन के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को कवर करते हैं।

कार्यों का मापन

25. सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) समय-समय पर ठेकेदार और नियोक्ता को सूचित कर सकता है कि उसे कार्यों की माप की आवश्यकता है, और ठेकेदार को तुरंत उपस्थित होना होगा या एक योग्य एजेंट को सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) की सहायता के लिए भेजना होगा ताकि वे माप और गणना कर सकें और सभी विवरण प्रदान कर सकें या उनमें से किसी को भी आवश्यक सहायता प्रदान कर सकें।

यदि ठेकेदार उपस्थित न हो, लापरवाही करे या एजेंट को भेजने में चूक करे, तो सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) द्वारा लिए गए माप को ही कार्य का सही माप माना जाएगा। ये माप विनिर्देशों में उल्लिखित मापन विधि के अनुसार लिए जाएंगे।

माप लेते समय ठेकेदार या उसका एजेंट आवश्यकतानुसार नोट्स और माप ले सकता है।

नियोक्ता की पूर्व लिखित स्वीकृति से किए गए सभी अधिकृत अतिरिक्त कार्य, चूक और सभी बदलाव ऐसे मापों में शामिल किए जाएंगे।

अतिरिक्त वस्तुओं की कीमतें

26. ठेकेदार, नियोक्ता द्वारा अधिकृत किए जाने पर, रेखाचित्रों में दर्शाए गए कार्यों, विनिर्देशों में वर्णित कार्यों या मात्राओं की अनुसूची में शामिल कार्यों में कुछ जोड़ सकता है, कुछ हटा सकता है या उनमें परिवर्तन कर सकता है, लेकिन ठेकेदार ऐसी अनुमति या निर्देश के बिना कोई जोड़, हटाव या परिवर्तन नहीं करेगा। नियोक्ता द्वारा दिया गया मौखिक अधिकार या निर्देश, यदि नियोक्ता द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि कर दी जाती है, तो उसे लिखित रूप में दिया गया माना जाएगा।

किसी भी अतिरिक्त खर्च के लिए दावा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अनुबंध के खंड 9 के प्रावधानों के तहत नियोक्ता की सहमति से निष्पादित न किया गया हो। ऐसे किसी भी अतिरिक्त खर्च को अधिकृत अतिरिक्त खर्च कहा जाएगा और वह निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

- (ए) (मै) मूल निविदा में उल्लिखित शुद्ध दरें या कीमतें अतिरिक्त कार्य के मूल्यांकन का निर्धारण करेंगी, यदि ऐसा अतिरिक्त कार्य उसी प्रकार का हो और उसी प्रकार की परिस्थितियों में निष्पादित किया गया हो जैसा कि उसमें मूल्यांकित कार्य है।
- (ii) जहां तक संभव हो, सभी वस्तुओं के लिए दरें मात्रा की मूल्य सूची में दी गई दरों से प्राप्त की जानी चाहिए।
- (बी) मूल निविदा की शुद्ध कीमतें छोड़े गए मदों का मूल्य निर्धारित करेंगी, बशर्ते कि यदि छोड़े गए मदों के कारण शेष कार्यों को पूरा करने की शर्तें बदल जाती हैं, तो उनके मूल्य का मूल्यांकन इस उपखंड (सी) के तहत किया जाएगा।
- (सी) जहां अतिरिक्त कार्य उपर्युक्त कार्यों के समान प्रकृति के न हों और/या समान परिस्थितियों में निष्पादित न किए गए हों, या जहां चूक के कारण शेष कार्यों को पूरा करने की शर्तें बदल जाती हों, या यदि किसी चूक या अतिरिक्त कार्य की राशि, अनुबंध के संपूर्ण कार्य या उसके किसी भाग की राशि के सापेक्ष इतनी अधिक हो कि नियोक्ता की राय में, मात्राओं की मूल्य सूची या निविदा में उल्लिखित शुद्ध दर या मूल्य, ठेकेदार द्वारा उचित रूप से अनुमानित हानि या व्यय से अधिक हो, या ऐसी चूक या अतिरिक्त कार्य के कारण वह दर या मूल्य अनुचित या अनुपयुक्त हो जाए, तो नियोक्ता ऐसी अन्य दर या मूल्य निर्धारित करेगा जिसे वह परिस्थितियों के अनुसार उचित और उपयुक्त समझे।
- (डी) जहां अतिरिक्त कार्य का उचित मापन या मूल्यांकन संभव न हो, वहां ठेकेदार को जिले के स्थानीय दैनिक कार्य दरों और मजदूरी के अनुसार शुद्ध दरों पर दैनिक कार्य मूल्य दिया जाएगा, बशर्ते कि दोनों ही मामलों में, उपयोग किए गए दैनिक समय और सामग्री को निर्दिष्ट करने वाले वाउचर, कार्य निष्पादन के बाद वाले सप्ताह के अंत तक या उससे पहले सत्यापन के लिए नियोक्ता को सौंप दिए जाएं, साथ ही स्थापना शुल्क, ठेकेदार के ओवरहेड और मुनाफे के लिए 15% अतिरिक्त राशि भी दी जाए।

अनुबंध के संबंध में माप और मूल्यांकन परिशिष्ट में उल्लिखित "अंतिम माप की अवधि" के भीतर पूरा किया जाएगा, या यदि उल्लिखित नहीं है, तो इस अनुबंध के खंड 30 में परिभाषित अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

अस्थाई सामग्री को नियोक्ता की संपत्ति माना जाता है।

27. यदि किसी प्रमाण पत्र (जिसके लिए ठेकेदार को भुगतान प्राप्त हो चुका है) में नियोक्ता द्वारा कार्य स्थल पर या उसके आस-पास रखे गए किसी भी अस्थाई सामग्री का मूल्य शामिल किया गया है, तो ऐसी सामग्री नियोक्ता की संपत्ति बन जाएगी और नियोक्ता की लिखित अनुमति के बिना कार्य स्थल पर उपयोग के अलावा उसे हटाया नहीं जा सकेगा। ऐसी सामग्री के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

अनुचित कार्य को हटाना

28. कार्य की प्रगति के दौरान, नियोक्ता को समय-समय पर लिखित रूप में यह आदेश देने का अधिकार होगा कि वह उचित समय सीमा के भीतर, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, उन सामग्रियों को कार्यस्थल से हटा दे जो नियोक्ता की राय में विनिर्देशों या निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं, उचित सामग्रियों का प्रतिस्थापन करे, और उन कार्यों को हटा दे और उनका उचित पुनः निष्पादन करे जो रेखाचित्रों, विनिर्देशों या निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं, और ठेकेदार ऐसे आदेश

का तुरंत अपने खर्च पर पालन करेगा। यदि ठेकेदार ऐसे आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता को कार्य पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करने और उन्हें भुगतान करने का अधिकार होगा, और इसके परिणामस्वरूप होने वाले या इससे संबंधित सभी खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे, या नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी राशि से काटे जा सकते हैं।

आभासी पूर्णता के बाद दोष

29. इस अनुबंध के परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष दायित्व अवधि" के भीतर, यदि कोई अवधि उल्लिखित नहीं है, तो कार्य के वस्तुतः पूर्ण होने के 12 महीनों के भीतर, यदि नियोक्ता की राय में अनुबंध के अनुरूप सामग्री या कारीगरी न होने के कारण कोई दोष, सिकुड़न, धंसाव या अन्य खराबी दिखाई देती है, तो नियोक्ता के लिखित निर्देशों पर और उसमें निर्दिष्ट उचित समय के भीतर, ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर उसे ठीक किया जाएगा। यदि ठेकेदार ऐसा करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता ऐसे दोषों और अन्य खराबी को ठीक करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है और उन्हें भुगतान कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप या इससे संबंधित सभी क्षति, हानि और व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे और ऐसी क्षति, हानि और व्यय नियोक्ता द्वारा उससे वसूल किए जा सकते हैं या नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय किसी भी राशि से काटे जा सकते हैं। या नियोक्ता ठेकेदार द्वारा ऐसे सुधार और सुधार के बदले में ठेकेदार को देय किसी भी राशि से नियोक्ता द्वारा निर्धारित राशि को ऐसे कार्य के सुधार की लागत के बराबर काट सकता है। सुरक्षा जमा के रूप में रखी गई राशि अपर्याप्त होने की स्थिति में, ठेकेदार से शेष राशि, साथ ही नियोक्ता द्वारा इससे संबंधित किए गए किसी भी खर्च की वसूली की जाएगी। यदि नियोक्ता द्वारा इस अनुबंध के विभिन्न खंडों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार नामित या अनुमोदित किसी उप-ठेकेदार द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया हो या सामग्री की आपूर्ति की गई हो, तो ठेकेदार उसी प्रकार क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि वह कार्य या सामग्री ठेकेदार द्वारा की गई हो और इस खंड और खंड 2 के प्रावधानों के अधीन हो। नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने या किसी भी खाते को पारित करने के बावजूद, ठेकेदार इस खंड के प्रावधानों के तहत उत्तरदायी बना रहेगा।

आभासी पूर्णता का प्रमाण पत्र और दोष दायित्व अवधि

30. जब तक नियोक्ता लिखित रूप से यह प्रमाणित नहीं कर देता कि कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, तब तक कार्य पूर्ण नहीं माना जाएगा। दोष दायित्व अवधि ऐसे प्रमाण पत्र की तिथि से प्रारंभ होगी।

नामित उप-ठेकेदार

31. सभी विशेषज्ञ, व्यापारी, कारीगर और अन्य जो किसी भी प्रकार की वस्तुओं की आपूर्ति और स्थापना का कार्य करते हैं, जिनके लिए मूल लागत मूल्य या अनंतिम राशि मात्रा अनुसूची और/या विनिर्देशों में शामिल हैं, जिन्हें नियोक्ता द्वारा नामित या चयनित किया जा सकता है, उन्हें ठेकेदार द्वारा नियोजित उप-ठेकेदार घोषित किया जाता है और यहाँ उन्हें नामित उप-ठेकेदार के रूप में संदर्भित किया जाता है।

किसी भी नामित उप-ठेकेदार को उन कार्यों पर या उनसे संबंधित कार्यों के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा जिनके खिलाफ ठेकेदार उचित आपत्ति जताएगा या (सिवाय इसके कि जहां नियोक्ता और ठेकेदार अन्यथा सहमत हों) जो अनुबंध में प्रवेश नहीं करेगा।

- (ए) नामित उप-ठेकेदार, ठेकेदार को इस अनुबंध के संबंध में ठेकेदार पर लागू होने वाले दायित्वों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्रदान करेंगे।
- (बी) नामित उप-ठेकेदार, ठेकेदार को उप-ठेकेदार, उसके कर्मचारियों या एजेंटों द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही या ठेकेदार की संपत्ति, मचान या अन्य उपकरण के उसके या उनके द्वारा किसी भी प्रकार के दुरुपयोग या लागू किसी भी श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत उत्पन्न दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा।
- (सी) नामित उप-ठेकेदार को भुगतान चौदह दिनों के भीतर किया जाएगा, बशर्ते कि पिछले प्रमाणपत्रों में शामिल नामित उप-ठेकेदार के सभी खाते विधिवत रूप से निपटा दिए गए हों। ऐसा न होने की स्थिति में, नियोक्ता भुगतान कर सकता है और ठेकेदार को देय किसी भी राशि में से उस राशि की कटौती कर सकता है। इस अधिकार का प्रयोग नियोक्ता और उप-ठेकेदार के बीच अनुबंध का कोई संबंध स्थापित नहीं करेगा।

नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति

32. नियोक्ता को इस अनुबंध में शामिल न किए गए किसी भी कार्य को अन्य व्यक्तियों द्वारा संपन्न कराने के लिए संपत्ति और उसके किसी भी भाग का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित है। ठेकेदार को ऐसे कार्य के निष्पादन हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी, लेकिन ऐसे कार्य के निष्पादन हेतु किसी भी प्रकार की मशीनरी या सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा कार्य इस प्रकार किया जाएगा जिससे अनुबंध में शामिल कार्यों की प्रगति में कोई बाधा न आए और ठेकेदार ऐसे कार्य के कारण होने वाली किसी भी क्षति या विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

व्यक्ति और संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा

33. ठेकेदार स्वयं या किसी नामित उप-ठेकेदार या किसी कर्मचारी या दोनों के संचालन या लापरवाही से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे वह क्षति लापरवाही, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से हुई हो और इस अनुबंध के निष्पादन से किसी भी प्रकार से संबंधित हो। इस खंड के अंतर्गत यह दायित्व अन्य बातों के अलावा, आस-पास या दूर स्थित भवनों को हुई किसी भी प्रकार की क्षति, सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों या मार्गों को हुई किसी भी प्रकार की क्षति, साथ ही इस अनुबंध के विषयवस्तु वाले भवनों और अन्य संरचनाओं और कार्यों को हुई सभी क्षति को भी शामिल करेगा। ठेकेदार इस अनुबंध के विषयवस्तु वाले भवनों और अन्य संरचनाओं और कार्यों को पाला, बारिश, हवा या अन्य प्रतिकूल मौसम के कारण हुई किसी भी क्षति के लिए भी उत्तरदायी होगा। ठेकेदार नियोक्ता को उपर्युक्त व्यक्तियों या संपत्ति को हुई किसी भी प्रकार की चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाली सभी हानियों और खर्चों के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगा और उसे क्षतिपूर्ति से मुक्त रखेगा, साथ ही किसी भी कानून या अन्यथा के तहत चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के विरुद्ध और ऐसे दावे के परिणामस्वरूप दिए गए किसी भी मुआवजे या हर्जाने के संबंध में भी क्षतिपूर्ति करेगा। **ठेकेदार, इस अनुबंध के तहत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने तक, नियोक्ता द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी से, अपने**

स्वयं के खर्च पर, अनुबंध की राशि के बराबर राशि का सर्व-जोखिम बीमा पॉलिसी (भूकंप का जोखिम सहित) नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नाम पर (पॉलिसी में नियोक्ता का नाम पहले रखा जाएगा) ठेकेदारों के लिए मानक सर्व-जोखिम पॉलिसी के अनुसार सभी जोखिमों के लिए बीमा पॉलिसी बनवाएगा और उसे बनाए रखेगा। कार्य शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को नियोक्ता के पास जमा करना होगा। ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित सभी प्रकार की क्षति की भरपाई करेगा, ताकि अनुबंध के संपूर्ण कार्य को हर तरह से पूर्ण और सही ढंग से पूरा किया जा सके और तीसरे पक्ष की संपत्ति को हुए नुकसान के सभी दावों का समाधान किया जा सके या उन्हें संतुष्ट किया जा सके। ठेकेदार नियोक्ता को उन सभी दावों से क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा जो किसी भी व्यक्ति/जनता के सदस्य या अन्य तीसरे पक्ष द्वारा नियोक्ता के विरुद्ध कार्य के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज के संबंध में किए जा सकते हैं। ठेकेदार अपने खर्च पर, अनुबंध की समाप्ति तक, नियोक्ता द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी से नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नाम से (पॉलिसी में नियोक्ता का नाम पहले रखा जाएगा) ऐसे जोखिमों के लिए बीमा पॉलिसी जारी करवाएगा और उसे बनाए रखेगा, और कार्य प्रारंभ होने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को नियोक्ता के पास जमा करवाएगा। पॉलिसी के अंतर्गत न्यूनतम कवरेज सीमा निविदाकर्ता को दिए गए सामान्य निर्देशों में परिभाषित की जाएगी। ठेकेदार नियोक्ता को उन सभी दावों से भी क्षतिपूर्ति करेगा जो नियोक्ता पर किए जा सकते हैं, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों। कामगार मुआवजा अधिनियम या इस अनुबंध की अवधि के दौरान लागू कोई अन्य क़ानून या ठेकेदार या किसी उप-ठेकेदार के किसी कर्मचारी के संबंध में सामान्य क़ानून के तहत लागू कोई अन्य क़ानून और ठेकेदार अपने स्वयं के खर्च पर, अनुबंध की समाप्ति तक, नियोक्ता द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी से नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नाम से (पॉलिसी में नियोक्ता का नाम पहले रखा जाएगा) ऐसे जोखिमों के विरुद्ध बीमा पॉलिसी कराएगा और उसे बनाए रखेगा, और अनुबंध की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को नियोक्ता के पास जमा करता रहेगा। ठेकेदार द्वारा उपरोक्त प्रावधान के अनुसार बीमा न कराने की स्थिति में, नियोक्ता बीमा करा सकता है और ठेकेदार को देय या भविष्य में देय होने वाली किसी भी राशि में से भुगतान किए गए प्रीमियम की कटौती कर सकता है।

ठेकेदार उपरोक्त उल्लिखित बीमा पॉलिसियों से बाहर रखी गई किसी भी देनदारी के लिए और इस अनुबंध के लापरवाहीपूर्ण या दोषपूर्ण निष्पादन से उत्पन्न किसी भी व्यक्ति, पशु या संपत्ति को हुए अन्य सभी नुकसानों के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे नुकसान का कारण कुछ भी हो। वह कार्य से संबंधित किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न सभी लागतों, शुल्कों या खर्चों के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा, और साथ ही उससे उत्पन्न किसी भी मुआवजे या हर्जाने के लिए भी उत्तरदायी होगा। इस प्रकार की चूक के संबंध में ठेकेदार के विरुद्ध नियोक्ता के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी राशि से उस नुकसान, मुआवजे, लागत, शुल्क और अन्य खर्चों की राशि काटने का हकदार होगा जो नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई है और जो इस खंड के तहत ठेकेदार द्वारा देय है। इस खंड के तहत ली गई पॉलिसी के अनुसार बीमाकर्ता के विरुद्ध किए गए किसी भी दावे के बीमाकर्ता द्वारा निपटान के बाद, ठेकेदार नष्ट या क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए उचित तत्परता से कार्य करेगा। इस स्थिति में, बीमाकर्ता से इस प्रकार की क्षति के संबंध में प्राप्त सभी धनराशि ठेकेदार को दी जाएगी और ठेकेदार नष्ट या क्षतिग्रस्त सामग्री या सामान के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए किए गए व्यय के संबंध में किसी भी अतिरिक्त भुगतान का हकदार नहीं होगा।

क्षति के बाद पुनर्निर्माण या मरम्मत के मामले में ठेकेदार को कार्य पूरा करने के लिए नियोक्ता द्वारा उचित समझे जाने वाले समय में विस्तार का अधिकार होगा, लेकिन ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा बीमाकर्ता द्वारा इस अनुबंध में उल्लिखित किसी भी दावे के निपटान में अंततः भुगतान की गई राशि में किसी भी कमी या घाटे की प्रतिपूर्ति का अधिकार नहीं होगा।

34. इस खंड के अंतर्गत ठेकेदार की देयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेकेदार अपने सभी नामित उप-ठेकेदारों से भी उनके कार्य के संबंधित भागों के लिए इस खंड के प्रावधानों के अनुसार समान बीमा पॉलिसियाँ लेने की व्यवस्था करेगा और ऐसी पॉलिसियाँ नियोक्ता को प्रस्तुत करेगा या करवाएगा। ठेकेदार किसी भी नामित उप-ठेकेदार को उक्त बीमा पॉलिसियाँ प्रस्तुत किए बिना कार्यस्थल पर कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं देगा। यदि उप-ठेकेदार कार्यस्थल पर कार्य प्रारंभ करने से पहले ऐसी बीमा पॉलिसी नहीं लेता है, तो ठेकेदार उक्त उप-ठेकेदार के कारण होने वाले किसी भी दावे या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।

प्रारंभ और समापन की तिथि

35. ठेकेदार को इस अनुबंध के परिशिष्ट में उल्लिखित "कार्य प्रारंभ तिथि" या नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट किसी बाद की तिथि पर साइट पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और वह तुरंत कार्य प्रारंभ करेगा तथा नियमित रूप से कार्य को आगे बढ़ाएगा और उसे (नंबर द्वारा विलंबित किए जाने वाले पेंटिंग या अन्य सजावटी कार्यों को छोड़कर) परिशिष्ट में उल्लिखित "पूर्णता तिथि" को या उससे पहले पूरा करेगा, हालांकि इसमें समय विस्तार के लिए दिए गए प्रावधान लागू होंगे।

कार्य पूरा न होने पर क्षतिपूर्ति

36. यदि ठेकेदार कार्य की अपेक्षित प्रगति बनाए रखने में विफल रहता है और अनुबंध में निर्धारित समय सीमा के भीतर या अनुबंध के खंड 37 के तहत विस्तारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, और नियोक्ता लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि उसकी राय में कार्य यथोचित रूप से पूरा हो जाना चाहिए था, तो ठेकेदार नियोक्ता को उस अवधि के लिए "क्षतिपूर्ति" नामक राशि का भुगतान करेगा जिसके दौरान उक्त कार्य अधूरा रहेगा, और नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी राशि से ऐसी क्षतिपूर्ति काट सकता है। ठेकेदार एतद्वारा विशेष रूप से सहमत होता है और नियोक्ता को इस अनुबंध के अनुसार ठेकेदार को देय किसी भी किस्त या प्रतिधारण राशि से ऐसी क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, काटने के लिए अधिकृत करता है। ठेकेदार के कारण हुई देरी के लिए कार्य के वास्तविक मूल्य के 0.25% प्रति सप्ताह की दर से क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी, जो अनुबंध मूल्य के 10% की अधिकतम सीमा के अधीन होगी।

विलंब और समय का विस्तार

37. यदि नियोक्ता की राय में, कार्य में विलंब हो (क) अप्रत्याशित घटना के कारण, या (ख) किसी असाधारण रूप से प्रतिकूल मौसम के कारण, या (ग) ठेकेदार की स्वयं की चूक के अलावा अन्य कारणों से आस-पास के मालिकों या सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा की गई या धमकी दी गई कार्यवाही या विवाद के कारण, या (घ) नियोक्ता द्वारा नियुक्त या नामित अन्य ठेकेदारों या कारीगरों के कार्यों या विलंब के कारण, जिनका उल्लेख मात्रा अनुसूची और/या विनिर्देश में नहीं है, या (ङ) इस अनुबंध के खंड 2 के अनुसार नियोक्ता के निर्देशों के कारण, या (च) नागरिक

अशांति, कामगारों के कानूनी संगठन या किसी भी भवन निर्माण व्यवसाय को प्रभावित करने वाली हड़ताल या तालाबंदी के कारण, या (छ) ठेकेदार को नियोक्ता से समय पर आवश्यक निर्देश प्राप्त न होने के परिणामस्वरूप, जिसके लिए उसने विशेष रूप से लिखित में आवेदन किया हो, या (ज) अन्य कारणों से, जिन्हें नियोक्ता ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर प्रमाणित कर सकता है, या (झ) यदि परिवर्तन के कारण कार्य का मूल्य मात्रा की मूल्य अनुसूची के मूल्य से अधिक हो जाता है, तो नियोक्ता एक ठेके के कार्यों को पूरा करने के लिए उचित और तर्कसंगत समय विस्तार दिया जाए। हड़ताल या तालाबंदी की स्थिति में भी ठेकेदार विलंब को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करेगा और नियोक्ता की संतुष्टि के लिए कार्य जारी रखने हेतु जो भी आवश्यक हो, वह सब करेगा।

यदि ठेकेदार को कार्य पूरा करने के लिए समय विस्तार की आवश्यकता हो या अनुबंध में निर्धारित समय सीमा से आगे कार्य पूरा होने में किसी कारणवश विलंब हो जाए, तो ठेकेदार को निर्धारित समय समाप्त होने से कम से कम 7 दिन पहले नियोक्ता को लिखित में समय विस्तार हेतु आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय ठेकेदार को विलंब के विस्तृत कारण और औचित्य के साथ दस्तावेजी साक्ष्य (बाधा रजिस्टर के प्रासंगिक पृष्ठों की प्रति, यदि कोई हो) प्रस्तुत करने होंगे। केवल नियोक्ता द्वारा स्वीकृत समय विस्तार की अवधि (ठेकेदार से आवेदन प्राप्त होने पर या ऐसे किसी आवेदन के अभाव में भी विलंब के कारणों की तर्कसंगतता का प्रमाण पत्र) ही क्षतिपूर्ति से छूट के लिए पात्र होगी। मूल निर्धारित अवधि और नियोक्ता द्वारा स्वीकृत समय विस्तार से अधिक शेष अवधि के लिए, खंड 36 के अंतर्गत वर्णित क्षतिपूर्ति का प्रावधान लागू होगा।

इसके अतिरिक्त, ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा करने के लिए समय विस्तार हेतु आवेदन किया गया हो या न किया गया हो, अनुबंध नियत तिथि के बाद भी लागू रहेगा, जब तक कि नियोक्ता अनुबंध समाप्त करने का निर्णय न ले ले। किसी भी कारण से कार्य पूरा होने में देरी होने पर ठेकेदार को दरों में संशोधन या किसी भी कारण से अतिरिक्त मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

ठेकेदार द्वारा नियोक्ता के निर्देशों का पालन न करना

38. यदि ठेकेदार, नियोक्ता से दस दिनों के भीतर अनुपालन करने के लिए लिखित नोटिस प्राप्त होने के बाद भी ऐसे अतिरिक्त रेखाचित्रों/निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता ऐसे किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है और उन्हें भुगतान कर सकता है जो इसके लिए आवश्यक हो, और इससे संबंधित सभी लागतें नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से ऋण के रूप में वसूल की जा सकती हैं या ठेकेदार को देय किसी भी राशि से काटी जा सकती हैं।

नियोक्ता द्वारा अनुबंध की समाप्ति

39. यदि ठेकेदार, चाहे वह व्यक्ति हो या फर्म, दिवालियापन का कोई कार्य करता है, या उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, या यदि वह निगमित कंपनी है, तो उसके विरुद्ध अनिवार्य परिसमापन का आदेश जारी किया जाता है, या वह स्वैच्छिक रूप से या न्यायालय और आधिकारिक असाइनी या परिसमापक की देखरेख में परिसमापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित करता है, तो दिवालियापन या परिसमापन के ऐसे कार्यों में, जैसा भी मामला हो, उसे ऐसा करने के लिए नोटिस दिए जाने के सात दिनों के भीतर, नियोक्ता को यह संतुष्ट करने में असमर्थ होना चाहिए कि वह अनुबंध को पूरा करने और उसके लिए सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है, यदि नियोक्ता द्वारा ऐसा आवश्यक हो।

या यदि ठेकेदार (चाहे वह व्यक्ति हो, फर्म हो या निगमित कंपनी हो) के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने के लिए न्यायालय द्वारा निष्पादन या अन्य प्रक्रिया जारी की जाती है,

या ठेकेदार के किसी भी लेनदार द्वारा या उनकी ओर से इस अनुबंध के तहत किए गए किसी भी भुगतान को कुर्क किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

या नियोक्ता की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना इस अनुबंध को किसी अन्य को हस्तांतरित या उप-किराए पर दे सकता है।

या इस अनुबंध या इसके अंतर्गत ठेकेदार को देय या भविष्य में देय होने वाले किसी भी भुगतान पर कोई शुल्क लगाएगा या उसे गिरवी रखेगा।

या यदि नियोक्ता यह निर्धारित करता है कि ठेकेदार

- (मैं) अनुबंध को त्याग दिया है, या
- (ii) कार्य शुरू करने में विफल रहा है, या उन शर्तों के तहत बिना किसी वैध कारण के नियोक्ता से कार्य शुरू करने का नोटिस प्राप्त करने के बाद 14 दिनों के लिए कार्य की प्रगति को निलंबित कर दिया है, या
- (iii) कार्य को उचित तत्परता से आगे बढ़ाने में विफल रहा है और ऐसी प्रगति करने में विफल रहा है जिससे कार्य सहमत समय के भीतर पूरा हो सके, या
- (iv) यदि नियोक्ता द्वारा इन शर्तों के तहत उक्त सामग्री या कार्य को अनुपयुक्त घोषित किए जाने की लिखित सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर भी सामग्री को स्थल से हटाने या उसे ध्वस्त करने और उसकी जगह नया कार्य करने में विफल रहा है, तो
- (में) यदि ठेकेदार को लिखित सूचना दिए जाने के सात दिनों के भीतर भी, ठेकेदार द्वारा अनुबंध के तहत पालन किए जाने वाले सभी या किसी भी कार्य, मामले या चीजों का पालन करने या उन्हें पूरा करने में लापरवाही बरती गई है या लगातार विफल रहा है।

तब और उपरोक्त किसी भी मामले में, नियोक्ता, पूर्व में दी गई किसी भी छूट के बावजूद, ठेकेदार को सात दिन का लिखित नोटिस देकर अनुबंध और ठेकेदार के दायित्वों को समाप्त कर सकता है, जो पूरी तरह से लागू रहेगा मानो अनुबंध समाप्त नहीं किया गया हो, और मानो बाद में निष्पादित कार्य ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किए गए हों। इसके अलावा, नियोक्ता अपने एजेंटों या कर्मचारियों के माध्यम से संपत्ति या आस-पास की भूमि या सड़कों पर स्थित कार्यों और सभी संयंत्र, औजार, मचान, मशीनरी और सामग्री पर प्रवेश कर सकता है और उस पर कब्जा कर सकता है, और उसे अपनी संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकता है, या कार्यों को जारी रखने और पूरा करने के लिए अपने स्वयं के कर्मचारियों और कामगारों के माध्यम से उसका उपयोग कर सकता है, या कार्यों को पूरा करने के लिए किसी अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति को कार्यों को पूरा करने और समाप्त करने या कार्यों के लिए सामग्री और संयंत्र का उपयोग करने से रोकने या बाधा डालने के लिए कोई कार्य, मामला या चीज नहीं करेगा। जब कार्य पूर्ण हो जाए या उसके तुरंत बाद, नियोक्ता ठेकेदार को अपने अतिरिक्त सामान और उपकरण हटाने के लिए लिखित सूचना देगा। यदि ठेकेदार सूचना प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता सार्वजनिक नीलामी द्वारा उन्हें बेच सकता है और प्राप्त शुद्ध राशि ठेकेदार को क्रेडिट के रूप में दे सकता है। इसके बाद नियोक्ता अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में यह

निर्धारित और प्रमाणित करेगा कि नियोक्ता द्वारा कब्जे में लिए गए उक्त उपकरण और सामग्री के मूल्य और कार्य पूर्ण कराने में नियोक्ता को हुए व्यय या हानि के लिए नियोक्ता को (यदि कुछ भी हो) क्या देय है या नियोक्ता द्वारा क्या देय है। इस प्रकार प्रमाणित राशि का भुगतान नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को, जैसा भी मामला हो, किया जाएगा और नियोक्ता का निर्णय दोनों पक्षों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।

ठेकेदार द्वारा अनुबंध की समाप्ति

40. यदि बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र के तहत नियोक्ता द्वारा देय राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को उपर्युक्त राशि के भुगतान के लिए लिखित नोटिस दिए जाने के तीस दिन बाद भी बकाया रहता है या नहीं किया जाता है, या यदि नियोक्ता अनुबंध को रद्द कर देता है, या यदि नियोक्ता के आदेश पर या किसी न्यायालय के किसी निषेधाज्ञा या अन्य आदेश द्वारा कार्य तीन महीने के लिए रोक दिया जाता है, तो उक्त सभी मामलों में, ठेकेदार नियोक्ता को लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा और वह नियोक्ता से किए गए सभी कार्यों के लिए और अनुबंध के प्रयोजन के लिए आपूर्ति, खरीदे या तैयार किए गए किसी भी संयंत्र या सामग्री पर हुए किसी भी नुकसान की वसूली का हकदार होगा।

इस प्रकार के भुगतान की राशि निर्धारित करने में, ठेकेदार की मूल निविदा में निहित शुद्ध दरों का पालन किया जाएगा, या जहां यह लागू न हो, वहां खंड 26 के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रमाणपत्र और भुगतान

41. ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा समय-समय पर किशतों में भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान बैंक के इंजीनियर द्वारा जारी किए जाने वाले अंतरिम प्रमाण पत्र के अनुसार किया जाएगा। यह भुगतान अनुबंध के अनुसार किए गए कार्यों के लिए किया जाएगा, जिनका अनुमानित मूल्य परिशिष्ट में "अंतरिम प्रमाण पत्र हेतु कार्य का मूल्य" के रूप में उल्लिखित है (या नियोक्ता के विवेकानुसार इससे कम भी हो सकता है)। नियोक्ता अपने विवेकानुसार, अंतरिम प्रमाण पत्र में ठेकेदार द्वारा कार्य में उपयोग के लिए साइट पर पहुँचाई गई सामग्री की राशि भी शामिल कर सकता है। जब कार्य लगभग पूर्ण हो जाए और नियोक्ता लिखित रूप से प्रमाणित कर दे कि कार्य पूर्ण हो गया है, तो बैंक के इंजीनियर द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र के अनुसार नियोक्ता ठेकेदार को शेष राशि का भुगतान करेगा। ठेकेदार, अनुबंध के परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष दायित्व अवधि" की समाप्ति पर, या कार्य के पूर्ण होने और इस अनुबंध के वास्तविक आशय और अर्थ के अनुसार दोषों को दूर किए जाने के बाद, नियोक्ता द्वारा लिखित रूप में जारी किए जाने वाले अंतिम प्रमाण पत्र के अनुसार, सुरक्षा जमा के रूप में बैंक गारंटी की रिहाई का हकदार होगा, बशर्ते कि नियोक्ता द्वारा इस अवधि के दौरान जारी किया गया कोई भी प्रमाण पत्र मान्य न हो। कार्य की प्रगति, चाहे वह कार्य पूर्ण होने के समय हो या उसके बाद, ठेकेदार को खंड 2 और 29 के तहत उसकी देयता से मुक्त नहीं करेगी, न ही ठेकेदार को कार्यों या सामग्रियों से संबंधित या प्रमाण पत्र में उल्लिखित किसी भी मामले से संबंधित धोखाधड़ी, बेईमानी या कपटपूर्ण छिपाव के मामलों में, और कार्यों या सामग्रियों में उन सभी दोषों और कमियों के मामले में, जिनका उचित जांच से पता नहीं चलता, उसकी अक्षमता से मुक्त करेगी। कोई भी प्रमाण पत्र स्वयं में इस बात का निर्णायक प्रमाण नहीं होगा कि उससे संबंधित कोई भी कार्य या सामग्री अनुबंध के अनुसार है, न ही ठेकेदार किसी भी ऐसी राशि के लिए दावा कर सकता है जिसे नियोक्ता ने किसी अंतरिम बिल में प्रमाणित किया हो और नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया हो और जो बाद में देय न पाई जाए, और इस संबंध में नियोक्ता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

यदि कार्य या उसके किसी भाग का निष्पादन नियोक्ता की संतुष्टि के अनुरूप नहीं किया जा रहा है, तो नियोक्ता को कोई भी प्रमाण पत्र रोकने का अधिकार होगा।

नियोक्ता किसी भी प्रमाण पत्र के माध्यम से अपने द्वारा जारी किए गए किसी भी पूर्व प्रमाण पत्र में कोई भी संशोधन कर सकता है।

भुगतान परिशिष्ट में "प्रमाणपत्रों को मान्य करने की अवधि" के रूप में उल्लिखित अवधि के भीतर किया जाएगा, प्रमाणपत्र नियोक्ता को सौंपे जाने के बाद।

विलम्बित भुगतान

42. यदि नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय कोई भी राशि परिशिष्ट में उल्लिखित "प्रमाणपत्रों को मान्य करने की अवधि" के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो उस राशि के भुगतान की तिथि से लेकर भुगतान होने तक परिशिष्ट में उल्लिखित "विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर" की दर से ब्याज लगेगा।

अंतिम निर्णय नियोक्ता द्वारा किया जाएगा

43. इस अनुबंध के खंड 2, 9, 16, 21, 28, 39, 41 के अंतर्गत किसी भी मामले से संबंधित निर्णय, राय, निर्देश, प्रमाण पत्र (भुगतान को छोड़कर) (जिन्हें यहां अपवादित मामले कहा गया है) अंतिम और बाध्यकारी होगा तथा इस अनुबंध के पक्षों पर लागू होगा और इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकेगी। नियोक्ता का कोई अन्य निर्णय, राय, निर्देश, प्रमाण पत्र या मूल्यांकन, या नियोक्ता द्वारा इनमें से किसी को भी देने से इनकार करना, इस अनुबंध के खंड 44 के अंतर्गत मध्यस्थता और समीक्षा के अधिकार के अधीन होगा, ठीक उसी तरह जैसे कि वह नियोक्ता का निर्णय हो (संदर्भ खोलने के प्रावधान सहित)।

मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटारा

44. इस अनुबंध या कार्य निष्पादन से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद (चाहे कार्य प्रगति के दौरान हों या पूर्ण होने के बाद, और चाहे अनुबंध के समापन, परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में हों) नियोक्ता को संदर्भित किए जाएंगे और उनके द्वारा निपटाए जाएंगे, जो अपना निर्णय लिखित रूप में देंगे। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या किसी अन्य रूप में हो सकता है। इस अनुबंध के खंड 43 में उल्लिखित अपवादित मामलों के संबंध में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा और उस पर अपील नहीं की जा सकेगी। लेकिन यदि कोई भी पक्ष उपरोक्त अपवादित मामलों को छोड़कर किसी भी मामले पर असंतुष्ट है, तो वह पक्ष ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त होने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को लिखित सूचना देकर विवादित मामलों पर मध्यस्थता का अनुरोध कर सकता है। ऐसी लिखित सूचना में उन मामलों का उल्लेख होगा, जिन पर विवाद या मतभेद है और जिनके लिए ऐसी लिखित सूचना दी गई है। यदि दोनों पक्ष सहमत हों, तो इस उद्देश्य के लिए एक एकल मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमति नहीं बन पाती है, तो दोनों पक्ष अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। पक्षों द्वारा नामित दोनों मध्यस्थ एक और व्यक्ति को तीसरे मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थों को, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रमाण पत्र, राय, निर्णय, अनुरोध या नोटिस को खोलने, उसकी समीक्षा करने और उसमें संशोधन करने का अधिकार होगा, सिवाय उन

अपवादों के जो पूर्ववर्ती खंड में निर्दिष्ट हैं, और उन सभी विवादित मामलों का निर्धारण करने का अधिकार होगा जिन्हें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और जिनकी सूचना उपर्युक्त अनुसार दी गई होगी।

मध्यस्थ या मध्यस्थगण, जैसा भी मामला हो, मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर (या पक्षकारों की सहमति से उनके द्वारा निर्धारित अतिरिक्त समय सीमा के भीतर) अपना निर्णय देंगे। यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवाद या मतभेद का निपटारा कर लेते हैं, तो उनके द्वारा निपटारे या समझौते का संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत करने पर, मध्यस्थ या मध्यस्थगण, जैसा भी मामला हो, ऐसे निपटारे या समझौते के अनुसार निर्णय देंगे।

ऐसे किसी भी संदर्भ पर, संदर्भ और पुरस्कार से संबंधित लागतों पर निर्णय मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक पर होगा, जैसा भी मामला हो, जो इसकी राशि निर्धारित कर सकते हैं या इसे पक्षकारों के बीच निर्धारित करने का निर्देश दे सकते हैं, और यह निर्देश दे सकते हैं कि इसे किसके द्वारा, किसे और किस तरीके से वहन और भुगतान किया जाएगा।

यह निवेदन भारतीय मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अर्थ में मध्यस्थता के लिए निवेदन माना जाएगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। यह सहमति है कि ठेकेदार किसी भी ऐसे मामले, प्रश्न या विवाद के मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के कारण कार्यों के निष्पादन में विलंब नहीं करेगा, बल्कि पूरी तत्परता से कार्यों को जारी रखेगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय आने तक बैंक के निर्णय का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी निर्णय ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक निष्पादन के संबंध में बैंक के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। नियोक्ता और ठेकेदार एतद्वारा यह भी सहमति देते हैं कि इस खंड के अंतर्गत मध्यस्थता अनुबंध के तहत किसी भी कार्रवाई के अधिकार की पूर्व शर्त होगी।

मध्यस्थता का स्थान अहमदाबाद, भारत होगा।

अंतिम विधेयक की तकनीकी जांच का अधिकार

45. नियोक्ता को अंतिम बिल के भुगतान के समय ठेकेदार द्वारा किए गए कार्यों और अंतिम बिल, जिसमें सभी सहायक प्रमाण पत्र, सारांश आदि शामिल हैं, की तकनीकी जांच कराने का अधिकार होगा। यदि इस जांच के परिणामस्वरूप या किसी अन्य कारण से, कोई राशि अधिक भुगतान की गई हो या अधिक प्रमाणित की गई हो, तो नियोक्ता को वह राशि वसूल करने का अधिकार होगा।

नियोक्ता को कामगारों को भुगतान किए गए मुआवजे की वसूली का अधिकार है।

46. यदि किसी कारणवश, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 या इसके किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन के प्रावधान के तहत नियोक्ता, ठेकेदार द्वारा कार्य निष्पादन में नियोजित किसी कामगार को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए बाध्य है, तो नियोक्ता उक्त अधिनियम के तहत अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भुगतान की गई क्षतिपूर्ति राशि को ठेकेदार से वसूल करने का हकदार होगा। नियोक्ता ऐसी राशि या उसके किसी भाग को सुरक्षा जमा राशि या इस अनुबंध के तहत या अन्यथा नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय किसी भी राशि से काटकर

वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा। नियोक्ता उक्त अधिनियम के तहत अपने विरुद्ध किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखित अनुरोध पर और ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को उन सभी लागतों के लिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने पर, जिनके लिए नियोक्ता ऐसे दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी हो सकता है।

कार्यों का परित्याग

47. निविदा स्वीकार किए जाने के बाद यदि किसी भी समय नियोक्ता किसी भी कारण से संपूर्ण या आंशिक कार्य को पूरा करने की अपेक्षा न करे, तो नियोक्ता ठेकेदार को लिखित सूचना देगा। ठेकेदार को संपूर्ण कार्य के निष्पादन से प्राप्त किसी भी लाभ या फायदे के लिए किसी भी प्रकार के मुआवजे या अन्य भुगतान का कोई दावा नहीं होगा।

अतिरिक्त सामग्रियों की वापसी

48. इस अनुबंध की किसी भी या सभी धाराओं में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, यदि अनुबंध के निष्पादन के लिए कोई सामग्री नियोक्ता की सहायता से सरकार द्वारा जारी आदेशों, परमिटों या लाइसेंसेसों के तहत की गई खरीद द्वारा प्राप्त की जाती है, तो ठेकेदार उक्त सामग्री को किफायती रूप से और केवल अनुबंध के प्रयोजन के लिए ही रखेगा और नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उसका निपटान नहीं करेगा तथा नियोक्ता द्वारा आवश्यक होने पर उसे नियोक्ता को लौटा देगा। यह वापसी नियोक्ता द्वारा सामग्री की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मूल्य पर की जाएगी, जो कि बिक्री कर, चुंगी और ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए अन्य ऐसे शुल्कों सहित खरीद मूल्य से अधिक नहीं होगा। उपरोक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदार लाइसेंस या परमिटों की शर्तों के उल्लंघन और/या आपराधिक विश्वासघात के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने के अतिरिक्त, नियोक्ता को उन सभी धन, लाभों या मुनाफे के लिए उत्तरदायी होगा जो उसे ऐसे उल्लंघन के कारण प्राप्त हुए हैं, या सामान्य परिस्थितियों में प्राप्त होते।

यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो नियोक्ता को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है।

49. इस अनुबंध के अंतर्गत किसी भी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ठेकेदार, जो एक व्यक्ति है, की मृत्यु हो जाती है, तो नियोक्ता के पास अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा और इस समाप्ति के लिए नियोक्ता पर कोई दायित्व नहीं होगा।

दुर्घटना रिपोर्ट

50. किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की स्थिति में, ठेकेदार ग्राहक को सभी दुर्घटना रिपोर्टों की प्रतियां उपलब्ध कराएगा। ये रिपोर्टें बिना किसी देरी के और उसी समय भेजी जाएंगी जब इन्हें अन्य पक्षों को भेजा जाता है।

हाशिये पर लिखे नोट्स

51. इस दस्तावेज़ और इसके अनुलग्नकों में दिए गए बॉक्स और कैच लाइनों में दिए गए नोट्स केवल संदर्भ की सुविधा के लिए हैं और इन्हें किसी भी तरह से इस दस्तावेज़ और इसके अनुलग्नकों की व्याख्या में ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

विशेष शर्तें

कार्य की प्रगति

52. कार्य आवंटित होने पर, ठेकेदार को कार्य पूरा होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर बार चार्ट/गैट चार्ट प्रस्तुत करना होगा।^{iv}कार्य आदेश जारी करने का दिन।
53. ठेकेदार को लिखित रूप में मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिसमें वर्तमान उपकरण वितरण तिथियां और प्रत्येक इकाई के लिए अनुमानित पूर्णता तिथियां दर्शाई गई हों।

54. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न

ए) ठेकेदार/एजेंसी "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। बैंक परिसर के भीतर किसी भी कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न की स्थिति में, ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी उक्त अधिनियम के तहत शिकायत के संबंध में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

ख) ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति के संज्ञान में ली जाएगी।

सी) ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा जो घटना में ठेकेदार के कर्मचारियों के शामिल होने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।

डी) ठेकेदार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

ई) ठेकेदार बैंक परिसर में तैनात कर्मचारियों की एक पूर्ण और अद्यतन सूची प्रदान करेगा।

55. गोपनीयता खंड

ठेकेदार अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के निर्वहन के दौरान बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणाली/उपकरण आदि से संबंधित कोई भी जानकारी, सामग्री प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेगा और इसे हर समय पूरी तरह गोपनीय रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके कि अनुबंध के तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक हो। ठेकेदार नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापारिक या

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

तकनीकी पत्रिका या अन्य किसी भी स्थान पर कार्यों का कोई भी विवरण प्रकाशित नहीं करेगा, न ही प्रकाशित करने की अनुमति देगा और न ही प्रकट करेगा। गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए ठेकेदार नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन न करना ठेकेदार द्वारा अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता क्षतिपूर्ति का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-खुलासे संबंधी दायित्वों का पूरी तरह से पालन किया जाए।

जानकारी गुप्त रखने और गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में ठेकेदार के दायित्व, किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या निरस्तीकरण के बाद भी लागू रहेंगे।

56.बीओसीडब्ल्यू अधिनियम और बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूसी अधिनियम:

ठेकेदार को भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (आर एंड ई एंड सीएस) अधिनियम, 1996 और भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996 (बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूसी) की शर्तों और नियमों के अनुसार पंजीकरण और अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

57.कार्यों/खरीदों/संचालनों का आउटसोर्सिंग (देश के भीतर/विदेश में):

ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना देश के भीतर या बाहर किसी भी कार्य/खरीद/संचालन का आउटसोर्सिंग नहीं कर सकता है।

58. उप-अनुबंध

बैंक की स्पष्ट लिखित सहमति के बिना ठेकेदार द्वारा इस अनुबंध के किसी भी निष्पादन को उप-अनुबंध पर नहीं दिया जा सकता है। बैंक की स्पष्ट लिखित सहमति के बिना फर्म द्वारा अनुबंध के किसी भी निष्पादन को उप-अनुबंध पर देने का कोई भी प्रयास अमान्य होगा और इस अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा।

59.लागू श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन करना

संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम;

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923; मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; कर्मचारी भविष्य निधि (और विविध प्रावधान) अधिनियम, 1952; बोनस भुगतान अधिनियम, 1965; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; नियोक्ता दायित्व अधिनियम, 1938; बाल रोजगार अधिनियम, 1938, मातृत्व लाभ अधिनियम और/या कोई अन्य नियम/विनियम और/या क़ानून जो उन पर लागू हो सकते हैं और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन करना।

60. सफल निविदाकर्ता केवल विश्वसनीय श्रमिकों को ही नियुक्त करेगा और अपने खर्च पर पुलिस सत्यापन करवाएगा। श्रमिक की ओर से किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में, ठेकेदार पूर्णतः उत्तरदायी होगा और उसे ठीक करने के लिए कार्रवाई करेगा।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है।

जगह:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर:

तारीख:

पता:

संपर्क नंबर:

खंड (V) - परिशिष्ट जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है

1.	दोष दायित्व अवधि	बारह महीने वर्चुअल पूर्णता प्रमाणपत्र की तिथि से।
2.	अंतिम माप की अवधि	3 महीने
3.	प्रारंभण की तिथि	10 ^{वां} कार्य आवंटन पत्र की तिथि से दिन।
4.	पूरा होने की तारीख	लिफ्ट सौंपे जाने के बाद आभासी पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि और सभी लिफ्टों के लिए ऑपरेटिंग लाइसेंस।
5.	कार्य पूरा होने में देरी के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति	ठेकेदार की गलती के कारण हुई देरी के लिए कार्य के वास्तविक मूल्य का 0.25% प्रति सप्ताह की दर से, अनुबंध मूल्य के 10% की अधिकतम सीमा के अधीन।
7.	प्रमाणपत्रों को मान्य करने की अवधि	3 महीने
8.	विलंबित भुगतान पर ब्याज	3% प्रति वर्ष

परिचय

अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्थित बैंक के अधिकारियों के आवासीय परिसर में एक लिफ्ट की व्यवस्था करना।

बैंक अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्थित अपने अधिकारियों के आवासीय परिसर के डी ब्लॉक में अत्याधुनिक तकनीक से लैस एक यात्री लिफ्ट लगवाना चाहता है। ग्राउंड फ्लोर और दूसरी मंजिल के लिए एमएस शाफ्ट बिछाने का काम चल रहा है। प्रस्तावित लिफ्ट में 6 यात्रियों की क्षमता और 1.0 मीटर प्रति सेकंड की गति होनी चाहिए।

खंड (सातवां) – तकनीकी विनिर्देश एवं कार्यसूची

1. सामान्य: इन विनिर्देशों का उद्देश्य रेखाचित्रों और विनिर्देशों के अनुसार सभी सामग्रियों के साथ लिफ्ट की संपूर्ण स्थापना को कवर करना है।

1.1 लागू कोड

नियामक एजेंसियों का अनुपालन: निम्नलिखित संहिताओं, कानूनों और/या प्राधिकरणों के सबसे सख्त लागू प्रावधानों का अनुपालन करें, जिसमें हाल ही में प्रभावी संशोधन भी शामिल हैं।

लिफ्टों के लिए कोड आईएस-14655 भाग 1, 2, 3, 4 और 5, जिसमें सभी प्रासंगिक भाग, अभ्यास संहिताएं और उपयुक्त राष्ट्रीय भिन्नताएं शामिल हैं।

आईएस-15330 2003 संस्करण या उसका वैधानिक संशोधन, जो अद्यतन रूप से संशोधित हो।

संबंधित क्षेत्राधिकार में लागू सभी अन्य संहिताओं, अध्यादेशों और कानूनों तथा नवीनतम भारतीय मानकों की आवश्यकताओं का अनुपालन करें। विद्युत वायरिंग आईएस:732 के अनुरूप होनी चाहिए और संपूर्ण इंस्टॉलेशन भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 तथा भारतीय विद्युत नियम 1956 या उनके नवीनतम संशोधनों के अनुसार होना चाहिए।

ठेकेदार लिफ्ट को चालू करने और संचालन के लिए सौंपने हेतु लिफ्ट अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा।

1.2 स्टेज का जगह

बैंक ठेकेदार के उपयोग के लिए एक उपकरण भंडारण क्षेत्र निर्धारित करेगा। ठेकेदार को निर्धारित क्षेत्र का ही उपयोग करना होगा और फर्श पर अत्यधिक भार डालने वाले किसी भी बड़े उपकरण को रखने से पहले बैंक को सूचित करना होगा। ठेकेदार को अनुमोदन प्राप्त होने तक ऐसे उपकरण नहीं रखने चाहिए।

1.3 अन्य लोगों द्वारा कब्जा और काम

ठेकेदार स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट कार्य के संबंध में अन्य ठेके देने और अन्य व्यवसायों को नियुक्त करने के बैंक के अधिकारों की पुष्टि करता है। ठेकेदार अन्य व्यवसायों को उनके कार्य निष्पादन के लिए सामग्री

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

और उपकरण लाने और भंडारण करने का उचित अवसर प्रदान करेगा। ठेकेदार अपने सभी उप-ठेकों में भी तुलनीय प्रावधान शामिल करेगा।

ठेकेदार यह घोषणा करता है कि वह ग्राहक द्वारा नियुक्त अन्य व्यवसायों के साथ सहयोग करेगा और अपने काम का समन्वय करेगा।

2. सामान्य प्रस्तुतियाँ

अनुबंध मिलने के 30 कैलेंडर दिनों के भीतर और उपकरण निर्माण शुरू होने से पहले, समीक्षा के लिए शॉप ड्राइंग और आवश्यक सामग्री के नमूने जमा करें। प्रारंभिक प्रस्तुति पर प्रतिक्रिया के लिए 15 दिन का समय दें।

- ए) स्केल किया हुआ या पूर्ण रूप से आयामित लेआउट: गड्ढे, लिफ्ट वेल और मशीन के स्थानों का प्लान जिसमें उपकरण व्यवस्था और लिफ्ट वेल का एलिवेशन सेक्शन दर्शाया गया हो। इस विनिर्देश के भाग के रूप में प्रदान किए गए सभी नए उपकरणों के विस्तृत चित्र प्रदान करें, जिनमें कार एनक्लोजर, लैंडिंग प्रवेश द्वार और कार/लैंडिंग सिग्नल फिक्स्चर शामिल हैं।
- बी) डिजाइन संबंधी जानकारी: लेआउट पर उपकरण सूची, प्रतिक्रियाएं और डिजाइन संबंधी जानकारी दर्शाएं।
- सी) फिक्स्चर: कट, सैंपल या शॉप ड्राइंग।
- डी) अंतिम सामग्री: रंग, पैटर्न और बनावट की समीक्षा के लिए तैयार सामग्री के नमूने प्रस्तुत करें। अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन ठेकेदार की एकमात्र जिम्मेदारी है। इसमें सिग्नल फिक्स्चर, लाइट, ग्राफिक्स, ब्रेल प्लेट और माउंटिंग व्यवस्था का विवरण शामिल करें।

प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की समीक्षा को इस रूप में नहीं माना जाना चाहिए कि प्रस्ताव सही या उपयुक्त है, या प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव में वर्णित कार्य विनिर्देशों के अनुरूप है। विनिर्देशों, कोड आवश्यकताओं, आयामों, फिटिंग और अन्य कार्यों के साथ तालमेल का पूर्ण अनुपालन ठेकेदार की जिम्मेदारी है।

समीक्षा संबंधी टिप्पणियों को प्राप्त होने के 5 कैलेंडर दिनों के भीतर स्वीकार करें और/या उनका उत्तर दें। गलत डेटा या अपूर्ण परिभाषा के कारण आवश्यक परिवर्तनों को तुरंत शामिल करें ताकि डिलीवरी और इंस्टॉलेशन शेड्यूल प्रभावित न हों। प्रत्येक पुनः प्रस्तुति पर ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले वैकल्पिक संशोधनों सहित ड्राइंग संशोधनों की पहचान करें और उन्हें लागू करें। ठेकेदार द्वारा संशोधन पर

प्रतिक्रिया देने में लगने वाला समय उपकरण की डिलीवरी या इंस्टॉलेशन में देरी का औचित्य नहीं माना जाएगा।

3. चित्रकारी

इन विनिर्देशों में उल्लिखित सभी खुले धातु कार्यों को, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, लिफ्ट ठेकेदार के कारखाने में जंगरोधी प्राइमर कोट के ऊपर अच्छी गुणवत्ता वाले पेंट से स्प्रे-पेंट/पाउडर कोटेड किया जाएगा और स्थापना के बाद, यदि पेंट में कोई दोष पाया जाता है तो उसे ठीक किया जाएगा।

4. साइट की स्थिति का निरीक्षण

- 4.01 उपकरण स्थापित करने से पहले, लिफ्ट वेल और मशीन लगाने के स्थानों का निरीक्षण करें। सुनिश्चित करें कि कोई ऐसी अनियमितता मौजूद न हो जो निर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन को प्रभावित कर सकती हो।
- 4.02 जब तक मौजूदा कार्य परियोजना की आवश्यकताओं के अनुरूप न हो जाए, तब तक स्थापना कार्य शुरू न करें।

5. उत्पाद वितरण, भंडारण और प्रबंधन

- 5.01 सामग्री को ठेकेदार की मूल, बिना खुली सुरक्षात्मक पैकेजिंग में ही वितरित करें।
- 5.02 सामग्री को उसकी मूल सुरक्षात्मक पैकेजिंग में ही रखें। गंदगी, भौतिक क्षति या नमी से होने वाले नुकसान से बचाएं।
- 5.03 परिवहन, स्थापना और निर्माण के दौरान उपकरणों और बाहरी सतहों को क्षति और दाग-धब्बों से बचाएं।
- 5.04 उपलब्ध स्थल भंडारण क्षेत्रों का आवंटन करें और ग्राहक तथा अन्य व्यवसायों के साथ उनके उपयोग का समन्वय करें।
- 5.05 खुले में रखी जाने वाली सामग्रियों के लिए आवश्यकतानुसार उपयुक्त, मौसमरोधी और अस्थायी भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराएं। किसी भी प्रकार की सामग्री को सीढ़ियों पर संग्रहित न करें।

6. स्थापना आवश्यकताएं

- 6.01 सभी उपकरणों को निर्दिष्ट कोड, विनिर्देशों और अनुमोदित प्रस्तुतियों के अनुसार स्थापित करें।

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

- 6.02 मशीन लोकेशन उपकरण को निर्दिष्ट कोड और विनिर्देशों के अनुसार निर्धारित क्लीयरेंस के साथ स्थापित करें।
- 6.03 सभी उपकरणों को इस प्रकार स्थापित करें कि उन्हें रखरखाव और मरम्मत के लिए आसानी से हटाया जा सके।
- 6.04 सभी उपकरणों को इस तरह स्थापित करें जिससे उनकी रखरखाव में आसानी हो।
- 6.05 सभी उपकरणों को इस प्रकार स्थापित करें जिससे अधिकतम सुगमता, सुरक्षा और संचालन की निरंतरता सुनिश्चित हो सके।
- 6.06** निम्नलिखित उपकरणों से तेल, ग्रीस, स्केल और अन्य बाहरी पदार्थों को हटा दें और उन पर फील्ड-एप्लाइड मशीनरी इनेमल की एक परत लगाएं।
- a) इस कार्य के अंतर्गत स्थापित सभी खुले उपकरण और धातु के कार्य, जिन पर वास्तुशिल्पीय फिनिश नहीं है।
 - b) मशीन लोकेशन उपकरण, गाइड रेल सहित लिफ्ट वेल उपकरण, गाइड रेल ब्रैकेट और पिट उपकरण।
 - c) ग) कारखाने में रंगी हुई क्षतिग्रस्त सतहों को मूल रंग से सावधानीपूर्वक ठीक करें। मशीन से तैयार सतहों को जंग से बचाएं।
 - d) इस विनिर्देश के भाग के रूप में स्थापित किए गए नए उपकरणों से सटे हुए कार्य क्षेत्र।

7. निर्माता की नामपट्टियाँ

- 7.01 सार्वजनिक दृश्य के अंतर्गत आने वाली सतहों पर निर्माता के नामपट्ट और अन्य पहचान चिह्न नहीं लगाए जाने चाहिए। यह नियम संहिता के अनुसार आवश्यक लेबलों पर लागू नहीं होता है।
- 7.01 यांत्रिक और विद्युत उपकरणों के प्रत्येक प्रमुख घटक पर निर्माता का नाम, पता, मॉडल नंबर, रेटिंग और शासी संहिता द्वारा आवश्यक अन्य सभी जानकारी वाली पहचान प्लेट होनी चाहिए।

8. कारखाने में तैयार उपकरणों के रंग

- 8.01 यदि यहां कस्टम रंगों का उल्लेख नहीं किया गया है, तो सभी रंग निर्माता की मानक रेंज से चुने जाएंगे।

8.02 समीक्षा और अनुमोदन के लिए उपलब्ध सभी मानक रंगों और/या निर्दिष्ट कस्टम रंगों के नमूने प्रस्तुत करें।

8.03 समीक्षा और अनुमोदन के लिए निर्दिष्ट सभी वास्तुशिल्पीय धातुओं के नमूने प्रस्तुत करें।

9. सामग्री और फिनिश

9.01 इस्पात: शीट इस्पात (खुले कार्यों के लिए फर्नीचर इस्पात): स्ट्रेचर-लेवल वाला, कोल्ड-रोल्ड, वाणिज्यिक गुणवत्ता वाला कार्बन इस्पात।

9.02 स्टेनलेस स्टील: टाइप 304, जिसमें निर्माण, मजबूती और टिकाऊपन के लिए आवश्यक मानक टेम्पर और कठोरता होती है।

9.03 एल्युमिनियम: कोड के अनुसार एक्सट्रूजन के साथ-साथ शीट और प्लेट।

10. उत्पादों

10.01

यात्री लिफ्ट का डेटा शीट

क्रमांक	विवरण	बैंक की आवश्यकता	बोलीदाता द्वारा अनुपालन (हाँ/नहीं)
1	लिफ्टों की संख्या	सिंपलेक्स नियंत्रण में एक लिफ्ट	
2	क्षमता:	प्रत्येक यात्री लिफ्ट की क्षमता 6 यात्रियों की होनी चाहिए।	
3	रफ़्तार:	प्रत्येक यात्री लिफ्ट के लिए 1.0 मीटर/सेकंड	
4	मशीन:	वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर (PMSM) वाली गियरलेस मशीनें, जो मशीन रूमलेस (MRL) इंस्टॉलेशन के लिए उपयुक्त हैं। आवश्यकता पड़ने पर नई मशीन बीम भी उपलब्ध कराई जाती हैं।	
5	मशीन का स्थान:	मशीन रूम कम	

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्रमांक	विवरण	बैंक की आवश्यकता	बोलीदाता द्वारा अनुपालन (हाँ/नहीं)
6	परिचालनात्मक नियंत्रण:	माइक्रोप्रोसेसर आधारित पूर्ण सामूहिक चयनात्मक सिंपलेक्स नियंत्रण, पूरी तरह से प्रोग्राम करने योग्य, सहायक के साथ या बिना सहायक के।	
7	मोटर नियंत्रण:	डिजिटल क्लोज्ड-लूप फीडबैक के साथ माइक्रोप्रोसेसर आधारित नए एसी वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी उपकरण उपलब्ध कराएं।	
8	लेवलिंग	क्लोज लूप कंट्रोल, वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर, प्रॉक्सिमिटी/मैग्नेटिक स्विच आदि के साथ सटीक लेवलिंग सटीकता (+/- 5 मिमी किसी भी लोड स्थिति में)।	
9	बिजली की आवश्यकता	415V +/- 5%, 3 फेज, 50Hz	
10	गाड़ियों का रुकना और खुलना:	(i) 3 स्टॉप (भूतल + 2 ऊपरी मंजिलें) और 3-खुले द्वार। सभी खुले द्वार सामने की तरफ हैं।	
11	होइस्ट वे का आकार:	प्रत्येक लिफ्ट का माप: - 1800 (चौड़ाई) x 1600 (गहराई) मिमी में। साइट पर इसकी पुष्टि की जा सकती है।	
12	गड्ढे की गहराई उपलब्ध है	2000 मिमी (लगभग) (निविदाकर्ता द्वारा अपनी दर प्रस्तावित करने से पहले मौके पर इसकी पुष्टि की जानी चाहिए)	
13	दरवाजे का स्पष्ट रूप से खुलना आवश्यक है	दरवाजे के खुलने की न्यूनतम चौड़ाई 800 मिमी होनी चाहिए।	
14	प्रवेश द्वार का प्रकार:	प्रत्येक यात्री लिफ्ट के लिए स्वचालित रूप से संचालित दो पैनल केंद्र खुलते हैं	

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्रमांक	विवरण	बैंक की आवश्यकता	बोलीदाता द्वारा अनुपालन (हाँ/नहीं)
15	कार के दरवाजे और लैंडिंग के दरवाजे	यात्री लिफ्ट के लिए 1.5 मिमी मोटाई वाले स्टेनलेस स्टील के कार और लैंडिंग दरवाजे, 800 मिमी चौड़े x 2000 मिमी ऊंचे, स्वचालित दो पैनल वाले मध्य खुलने की सुविधा के साथ। बचाव कार्य में आसानी के लिए दरवाजे में कांच की खिड़की होनी चाहिए ताकि बाहर का स्पष्ट दृश्य दिखाई दे सके। लिफ्ट परिसर में लगे लिफ्ट लैंडिंग दरवाजों की न्यूनतम अग्नि प्रतिरोधक क्षमता एनबीसी मानकों के अनुसार 60 मिनट होनी चाहिए।	
16	दरवाजा संचालन:	साइट पर समायोज्य दरवाजा खोलने के समय की सेटिंग के साथ एसी वीवीवीएफ डोर ऑपरेटर प्रदान करें।	
17	दरवाजे की सुरक्षा:	फुल स्क्रीन इन्फ्रारेड डिटेक्टर और सुरक्षा।	
18	गाइड रेल:	संबंधित आई.एस. के अनुसार कार और काउंटरवेट गाइड रेल, जिसमें रोलर/स्लाइडिंग गाइड आदि शामिल हैं, प्रदान करें।	
19	बफ़र्स:	कार और काउंटरवेट के लिए आईएस के अनुसार बफर प्रदान करें।	
20	कार बाड़ा:	1.5 मिमी मोटाईएसएस हनीकॉम्ब फिनिशआधुनिक डिजाइन की स्टेनलेस स्टील की छत और पर्याप्त वेंटिलेशन और प्रकाश व्यवस्था के साथ दीवार पैनल। - बैंक द्वारा अनुमोदित 10 मिमी मोटाई वाली ग्रेनाइट टाइलों के स्वीकृत शेड से फर्श का निर्माण।	
21	सिग्नल फिक्स्चर:	बैंक द्वारा अनुमोदित निर्माता के मानक फिक्स्चर. इसके संपूर्ण उत्पाद श्रृंखला की सूची भाग I के साथ प्रस्तुत की जानी है।	

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्रमांक	विवरण	बैंक की आवश्यकता	बोलीदाता द्वारा अनुपालन (हाँ/नहीं)
	(क) सभी निचली मंजिल की लॉबियों में	● प्रत्येक लिफ्ट के लिए ऑडियो अलार्म और दिशा संकेतक ● सबसे निचली मंजिल पर ऊपर जाने वाला बटन और सबसे ऊपरी मंजिल पर नीचे जाने वाला बटन है। ● दमकलकर्मी स्विच ● आपातकालीन अलार्म हूटर	
	(ख) भूतल की लॉबी सहित सभी लैंडिंग पर	● लिफ्ट के लिए डिजिटल कार स्थिति संकेतक ● लिफ्ट के लिए ऑडियो अलार्म और दिशा सूचक ● सामान्य ऊपर/नीचे कॉल बटन (सबसे निचली मंजिल पर केवल ऊपर जाने का बटन और सबसे ऊपरी मंजिल पर नीचे जाने का बटन) –<u>लिफ्ट द्वारा सेवा प्रदान की जाने वाली सभी मंजिलों पर 2 कॉल बटन उपलब्ध कराए जाएंगे।</u> ● ब्रेल सभी बटनों पर निशान ● लैंडिंग डोर अनलॉकिंग डिवाइस	

क्रमांक	विवरण	बैंक की आवश्यकता	बोलीदाता द्वारा अनुपालन (हाँ/नहीं)
	(ग) कार में	• ऑटो/मैनुअल सेलेक्टर कुंजी स्विच • ब्लोअर/फैन स्विच • ब्रेल लिपि चिह्नों वाले चमकदार फ्लोर सेलेक्टर बटन • सूचना सहित ओवरलोड चेतावनी उपकरण (ओवरलोड की स्थिति में लिफ्ट चालू नहीं होनी चाहिए) • अलार्म बटन • फ्लोर पोजीशन वॉइस अनाउंसमेंट • टेलीफोन, स्पीकर के साथ पाइप संगीत और टेलीफोन उपकरण के लिए वायरिंग • प्रकाश व्यवस्था, आपातकालीन अलार्म और ब्लोअर/फैन को आवश्यक क्षमता वाले इन्वर्टर के माध्यम से आपातकालीन आपूर्ति प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें कम से कम एक घंटे का बैटरी बैकअप हो और इन्वर्टर/यूपीएस की व्यवस्था भी शामिल हो। • कार की स्थिति और दिशा संकेतक • आगे/पीछे के पैनल पर स्टेनलेस स्टील की रेलिंग • दरवाजा खोलने/बंद करने के बटन • ब्रेलसभी बटनों पर निशान	
22	संचार प्रणाली:	a) कार से निर्दिष्ट स्थानों पर या निर्माता के मानक के अनुसार स्वचालित रूप से डायल करने योग्य दो-तरफ़ा संचार प्रणाली। b) कार में डायल करने की सुविधा सहित एक EPABX टेलीफोन उपकरण उपलब्ध कराएं; इसके लिए वायरिंग का काम लिफ्ट ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।	

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्रमांक	विवरण	बैंक की आवश्यकता	बोलीदाता द्वारा अनुपालन (हाँ/नहीं)
23	स्वचालित बचाव उपकरण (एआरडी)	मुख्य बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में, लिफ्ट की अपनी रिचार्जबल और रखरखाव-मुक्त बैटरी लिफ्ट को निकटतम मंजिल तक ले जाएगी और यात्रियों की स्वचालित बचाव के लिए दरवाजा स्वतः खुल जाएगा। बिजली आपूर्ति में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, जैसे कि सिंगल फेजिंग, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज आदि, जिसके कारण लिफ्ट सामान्य बिजली आपूर्ति पर काम करने में असमर्थ हो जाती है, की स्थिति में भी एआरडी (ARD) सक्रिय हो जाएगा।	
24	कार के अंदर और लिफ्ट लॉबी में नियंत्रण पैनलों की स्थिति।	लिफ्ट के अंदर और सभी लैंडिंग पर कार ऑपरेटिंग पैनल की उचित स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक अलग लिफ्ट में सुविधा हो।	
	नोट: सफल बोलीदाता को कार के इंटीरियर पैनल और फॉल्स सीलिंग के डिजाइन को दर्शाने वाला एक चित्र बैंक की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना होगा। बैंक द्वारा अनुमोदित प्रस्तावित सभी फिटिंग के नमूने, जैसे पुश बटन, पोजीशन इंडिकेटर, लाइट फिटिंग, फ्लोरिंग पैटर्न आदि, कार्य में उपयोग करने से पहले बैंक के अधिकारियों को दिखाए जाने चाहिए और उनसे पुष्टि प्राप्त की जानी चाहिए।		

10.02 लिफ्ट का न्यूनतम गारंटीकृत प्रदर्शन:

- कार की गति: किसी भी लोडिंग स्थिति में अनुबंध गति का $\pm 3\%$ ।
- कार की क्षमता: निर्धारित भार के 125% भार को सुरक्षित रूप से नीचे उतारने, रोकने और स्थिर रखने में सक्षम।
- कार की सवारी की गुणवत्ता: कार की सवारी में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कंपन और झटके न्यूनतम होने चाहिए।

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

- कार की ब्रेक क्षमता: यह निर्धारित भार के 125% भार के साथ लिफ्ट कार को गति करने से रोकने में सक्षम होनी चाहिए।
- कार रोकने का क्षेत्र: किसी भी लोडिंग स्थिति में ± 5 मिमी।

10.03 संचालन:

ए) माइक्रोप्रोसेसर आधारित पूर्ण सामूहिक चयनात्मक सिम्प्लेक्स नियंत्रण

बी) ओवरलोड सुरक्षा: जब गाड़ी निर्धारित क्षमता के पूर्व निर्धारित प्रतिशत तक भरी हो और नीचे की ओर चल रही हो, तो हॉल कॉल बाय-पास सुविधा प्रदान करें। फील्ड एडजस्टमेंट रेंज: 10% से 100%।

कार में अधिक भार होने की स्थिति में, एक ऑडियो अलार्म बजना चाहिए और कार के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए और कार स्टार्ट नहीं होनी चाहिए।

सी) स्वतंत्र सेवा प्रत्येक डिब्बे के संचालन के लिए केवल उसके पुश बटन का उपयोग करें। वांछित गंतव्य तल के बटन या दरवाजा बंद करने वाले बटन को लगातार दबाकर दरवाजे बंद करें और चयनित तल पर पहुंचने पर दरवाजे स्वचालित रूप से खुल जाएं।

डी) दरवाजा संचालन: गाड़ी के चुने हुए तल पर पहुँचने पर दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। सामान्य ठहराव समय समाप्त होने पर दरवाजे बंद हो जाएंगे।

10.04 मशीन कक्ष (उपकरण रहित)

ट्रैक्शन होइस्ट मशीन:

ब्रेक, ड्राइव शीव और डिफ्लेक्टर शीव के साथ एक सामान्य, पृथक बेडप्लेट पर उचित संरेखण में लगे हुए AC P.M.S.M. ACVVVF गियरलेस ट्रैक्शन टाइप मोटर प्रदान करें।

सॉलिड स्टेट पावर कन्वर्जन और रेगुलेशन यूनिट:

निर्माता के मानक के अनुसार ACVVVF गियरलेस मशीनों के लिए प्रत्यावर्ती धारा, परिवर्तनीय वोल्टेज, परिवर्तनीय आवृत्ति (ACVVVF), IGBT कनवर्टर और इन्वर्टर ड्राइव प्रदान करें।

करंट को सीमित करने, शोर को कम करने और बिल्टिंग की बिजली आपूर्ति में क्षणिक वोल्टेज फीडबैक को रोकने के लिए यूनिट को डिज़ाइन करें। कनवर्टर पैनल के पावर ड्राइव भाग के लिए आंतरिक हीट सिंक कूलिंग पंखे प्रदान करें।

नियंत्रक:

कम्पार्टमेंट: उपकरणों को पूरी तरह से कवर से ढक दें। सभी पुर्जे निर्माता के मानक विनिर्देशों के अनुरूप होने चाहिए।

वायरिंग: लेबल किया गया **एफआरएलएसफैक्ट्री** वायरिंग के लिए तांबे का तार। सभी वायरिंग इंटरकनेक्शन को व्यवस्थित रूप से रूट करें और वायरिंग कनेक्शन को स्टड या टर्मिनलों से मजबूती से जोड़ें।

इन्वर्टर पावर सप्लाई:

आवश्यक क्षमता वाला इन्वर्टर जिसमें कम से कम एक घंटे का बैटरी बैकअप हो। **कार को बिजली की आपूर्ति करने के लिए** प्रकाश व्यवस्था, आपातकालीन अलार्म और ब्लोअर/फैन की व्यवस्था की जाएगी।

मशीन और उपकरण के लिए सहायक बीम:

एमआरएल प्रकार की लिफ्ट के लिए लागू होने के अनुसार, यदि आवश्यक हो, तो होइस्ट मशीन, डिपलेक्टर शीव्स, ओवरहेड शीव्स, गवर्नर और होइस्ट रोप डेड-एंड हिच असेंबली के भवन संरचना को सीधे समर्थन और अटैचमेंट के लिए नए संरचनात्मक स्टील बीम प्रदान करना।

मशीन बीम या उपकरणों को भवन संरचना से सहारा देने और जोड़ने के लिए बेयरिंग प्लेट, एंकर, शेल्फ एंगल, ब्लॉकिंग, एम्बेडमेंट आदि प्रदान करें।

राज्यपाल: लिफ्ट के लिए उपयुक्त नए ओवर स्पीड गवर्नर सुरक्षा उपकरण प्रदान करें।

आपातकालीन रोधक:

नियमों के अनुसार, वाहन की ऊपर की ओर गति बढ़ने और अनियंत्रित गति को रोकने के लिए उपाय प्रदान करें। सहायक ब्रेक को उपयुक्त संरचनात्मक इस्पात आधारों पर स्थापित करें। नियमों के अनुसार उपकरण को कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए नियंत्रण सर्किट प्रदान करें।

ध्वनि/कंपन पृथक्करण: लिफ्ट के सभी उपकरण, जिनमें उनके सपोर्ट और बिल्टिंग से जुड़े फास्टनिंग्स शामिल हैं, को बिल्टिंग स्ट्रक्चर से यांत्रिक रूप से अलग किया जाएगा ताकि कार, बिल्टिंग स्ट्रक्चर या बिल्टिंग के आस-पास के कब्जे वाले क्षेत्रों में अप्रिय शोर और कंपन के संचरण को कम किया जा सके।

10.05 लिफ्ट वेल उपकरण

गाइड रेल: कार और काउंटरवेट के लिए उपयुक्त आकार और वजन के नए, समतल स्टील टी-सेक्शन प्रदान करें, जिसमें भवन संरचना से जोड़ने के लिए ब्रैकेट भी शामिल हों।

कार और काउंटरवेट के लिए बफर: संबंधित आईएस के अनुसार ब्लॉकिंग और सपोर्ट चैनलों के साथ नए बफर प्रदान करें।

डायवर्टर या सेकेंडरी शीव्स: नई बालियाँ प्रदान करें।

प्रतिभार: स्टील फ्रेम के साथ नया काउंटरवेट प्रदान करें **धातु भराव भार** और संबंधित आईएस के अनुसार गाइड शूज़।

गवर्नर पिट टेंशनिंग शीव्स:

नए पुली उपलब्ध कराएं और उन्हें गड्ढे के फर्श या गाइड रेल पर लगाएं। पुली गार्ड और विद्युत सुरक्षा स्विच भी लगाएं।

होइस्ट और गवर्नर रस्सियाँ: मशीन निर्माताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप कर्षण स्टील प्रकार की रस्सियाँ प्रदान करें।

टर्मिनल स्टॉपिंग: सामान्य और अंतिम उपकरण प्रदान करें।

विद्युत तार और तार कनेक्शन:

- i. नियंत्रण वायरिंग, पावर वायरिंग और विभिन्न उपकरणों के अंतर्संबंध के लिए ज्वाला मंदक / एफआरएलएस तांबे के तारों का उपयोग किया जाएगा।
- ii. सभी तारों को सुरक्षित स्थान पर बिछाया जाएगा।
- iii. निर्दिष्ट वस्तुओं को जोड़ने के लिए आवश्यक तारों के अतिरिक्त, भविष्य में उपयोग के लिए चार जोड़ी अतिरिक्त परिरक्षित संचार तार प्रदान करें।
- iv. यात्रा करने वाले केबल: अग्निरोधी और नमीरोधी। यह केबल को लिफ्ट के कुएं या उसके अंदर मौजूद उपकरणों से रगड़ने या घर्षण होने से बचाता है।
- v. सभी इंसुलेटेड कंडक्टर और कंड्यूट या ट्यूबिंग के साथ-साथ बॉक्स, ट्रफ और डक्ट सहित सभी फिटिंग संबंधित आईएस विनिर्देश या बीएस विनिर्देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।

प्रवेश उपकरण: निम्नलिखित नए उपकरण उपलब्ध कराएं:

दरवाजे पर टांगने वाले हैंगर।
दरवाजे की पटरियाँ
डोर इंटरलॉक।
दरवाजे बंद करने वाले यंत्र।
जहां आवश्यक हो वहां फेसिया प्लेटें लगाएं

10.06 लिफ्ट वेल प्रवेश द्वार

आर्चट्रेक्स: मौजूदा स्थिति को बरकरार रखें।

दरवाजे के पैनल: निर्माता के मानक के अनुसार या बिना बाइंडर एंगल के स्टेनलेस स्टील की सैंडविच संरचना प्रदान करें। प्रवेश द्वारों पर बारीक स्टेनलेस स्टील की फिनिशिंग प्रदान करें।

चौखटें: एक्सट्रूडेड एल्युमिनियम से निर्मित उत्पाद उपलब्ध कराएं।

फेसिया, टो गार्ड और हैंगर कवर: ठेकेदार के मानक फिनिश के साथ फर्नीचर स्टील उपलब्ध कराएं।

दरवाजों की फिनिशिंग: हेयरलाइन स्टेनलेस स्टील

10.07 कार उपकरण

कार स्लिंग: वेल्ड या बोल्टेड, रोल्ल या फॉर्मेट स्टील चैनल संरचना प्रदान करें।

सुरक्षा सामग्री: आईएस के अनुसार गवर्नर द्वारा संचालित सुरक्षा उपकरण प्रदान करें।

प्लेटफॉर्म: स्टील या स्टील और लकड़ी से निर्मित पृथक प्रकार की सामग्री प्रदान करें।

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

गाइड शूज़:आईएस के अनुसार लचीले स्लाइडिंग या रोलर प्रकार के शूज़ प्रदान करें।

कार की चौखटें:एक-टुकड़ा एक्सट्रूजन से निर्मित एल्युमिनियम कार सिल प्रदान करें।

कार के दरवाजे:लिफ्ट के प्रवेश द्वारों के लिए निर्दिष्ट व्यवस्था करें।

दरवाजा संचालक: एक सॉलिड-स्टेट डोर कंट्रोल सिस्टम प्रदान करें जिसमें एसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव और क्लोज्ड-लूप सर्किटरी हो, जो वेग, स्थिति और मोटर करंट के आधार पर दरवाजे के संचालन की निरंतर निगरानी और स्वचालित रूप से समायोजन कर सके। दरवाजे के संचालन का समय साइट पर समायोज्य होगा। दरवाजे के वजन या बदलते वायु दाब के बावजूद, सभी मंजिलों पर दरवाजे का संचालन एकसमान, सुचारू और शांत बना रहे।

इन्फ्रारेड डोर रीओपनिंग डिवाइस प्रदान करें:

- यह पूर्णतः संलग्न उपकरण प्रत्येक दरवाजे के पैनल के अग्र भाग के साथ लंबवत रूप से फैली हुई पूर्ण स्क्रीन इन्फ्रारेड मैट्रिक्स बीमों से युक्त है, जो तैयार फर्श से कम से कम 2 मीटर की ऊंचाई तक जाती हैं। यदि दरवाजे बंद होते समय बीम बाधित होती हैं, तो यह उपकरण दरवाजों को बंद होने से रोकेगा और सामान्य खुलने की गति से दरवाजों को उल्टा कर देगा।
- डिवाइस में खराबी आने की स्थिति में, दरवाजे खुले रहते हुए कार को फर्श के स्तर पर स्वचालित रूप से बंद करने की व्यवस्था करें।

स्वचालित बचाव उपकरण:बिजली आपूर्ति ठप होने की स्थिति में कार को निकटतम पार्किंग स्थल तक लाना।

कार ऑपरेटिंग पैनल:

प्रत्येक कार में स्टेनलेस स्टील फेसप्लेट वाला एक कार ऑपरेटिंग पैनल।

पुश बटनों पर ब्रेल लिपि अंकित होनी चाहिए। वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार फ्लोर बटन, अलार्म बटन, दरवाजा खोलने का बटन और दरवाजा बंद करने का बटन उचित रूप से पहचानें और स्थापित करें।

दरवाजों को रोकने और फिर से खोलने या दरवाजों को खुली स्थिति में रखने के लिए "दरवाजा खोलें" बटन प्रदान करें।

दरवाजा बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए "दरवाजा बंद करें" बटन प्रदान करें।

कार टॉप कंट्रोल स्टेशन: इसे ऐसी जगह पर लगाएं जिससे कार की छत पर सीधे खड़े होकर सुरक्षित रूप से इसका उपयोग किया जा सके।

संचार प्रणाली:

- कार में स्वचालित डायलिंग सुविधा वाला दो-तरफ़ा संचार उपकरण प्रदान करें, जो अलार्म की घंटी दबाने पर या निर्माता के मानक के अनुसार सक्रिय हो।
- कार में डायल करने की सुविधा वाला ईपीएबीएक्स टेलीफोन उपकरण उपलब्ध कराएं।

कार बाड़ा

यात्री लिफ्ट कार संलग्नक:यहां निर्दिष्ट अनुसार नया और पूर्ण रूप से उपलब्ध कराएं। निम्नलिखित विशेषताएं प्रदान करें:

शेल, कैनोपी:निर्माता के मानक विनिर्देशों के अनुसार निर्मित स्टील पैनल।

आधारनियोक्ता द्वारा अनुमोदित डिज़ाइन के साथ न्यूनतम 10 मिमी मोटाई वाली ग्रेनाइट स्लैब/टाइल का अनुमोदित शेड।

वेंटिलेशन:पर्याप्त सीएफएम क्षमता वाला पंखा/ब्लोअर, जिसे कार की छत पर अलग-अलग रबर ग्रोमेट्स पर लगाया गया है।

प्रकाश व्यवस्था:प्रतिष्ठित ब्रांड के recessed टाइप एलईडी फिक्स्चर

रेलिंगस्टेनलेस स्टील फिनिश

लैंडिंग नियंत्रण स्टेशन

पुशबटन:प्रत्येक मंजिल पर फ्लश माउंटेड फेसप्लेट वाले नए पुश बटन लगाएं। यात्रा की प्रत्येक दिशा के लिए पुश बटन लगाएं, जो कॉल पंजीकरण को दर्शाने के लिए रोशन हों। आवश्यकतानुसार कटिंग और पैविंग की व्यवस्था करें।

सिग्नल

- I. बैंक द्वारा अनुमोदित निर्माता के मानक विनिर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रवेश द्वार पर व्यवस्था करें।
- II. ऊपर या नीचे की ओर रोशनी जलाएं और **ध्वनि स्वरकार** के फ्लोर पर पहुंचने से पहले। ध्वनि स्तर समायोज्य होगा।
- III. फ्लोर पदनाम और दिशा तीर वाले अल्फा-न्यूमेरिक डिजिटल संकेतक से सेवा प्रदान किए जाने वाले फ्लोर और कार की यात्रा की दिशा का संकेत मिलेगा।

कार की स्थिति का संकेतक:लिफ्ट के अंदर एक डिजिटल इंडिकेटर लगाएं जिसमें फ्लोर का नाम और दिशा बताने वाले तीर हों, ताकि लिफ्ट में मौजूद फ्लोर और कार की दिशा का पता चल सके। जब कोई कार किसी फ्लोर से निकलती है या उससे गुजरती है, तो लिफ्ट में कार की स्थिति बताने वाला इंडिकेटर जल जाए।

फेसप्लेट की सामग्री और फिनिश:सभी फिटिंग स्टेनलेस स्टील की हैं।

दमकलकर्मि स्विच:दमकलकर्मियों के आपातकालीन वापसी स्विच और संकेतक जिन पर लाल रंग से उत्कीर्ण निर्देश हैं।

11.0 कार्यान्वयन

क्षेत्र गुणवत्ता नियंत्रण

स्थापना कार्य के दौरान कार्यस्थल पर कार्य की जाँच की जाएगी। समीक्षा करने वाले कर्मियों के साथ पूर्ण सहयोग अनिवार्य है। आगे की स्थापना करने से पहले आवश्यक सुधारात्मक कार्य पूर्ण करें।

12.0 लिफ्ट सुरक्षा: लिफ्ट की सुरक्षा निम्नलिखित तरीके से की जाएगी।

- (ए) विद्युत रूप से ओवरलोड के विरुद्ध
- (बी) कार में सुरक्षा उपकरण इस प्रकार लगाए जाने चाहिए कि रस्सी टूटने या ढीली होने की स्थिति में कार तुरंत रुक जाए।
- (सी) कार और लैंडिंग के दरवाजों में ताले लगे होने चाहिए ताकि किसी भी दरवाजे के खुले रह जाने की स्थिति में लिफ्ट चालू न हो।
- (डी) नियंत्रण सर्किट पर काम करने वाले स्पीड गवर्नर द्वारा, कार के किसी भी दिशा में अत्यधिक गति से चलने की स्थिति में ब्रेक लगाकर।
- (और) ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में ओवर ट्रैवल लिमिट स्विच के माध्यम से।
- (एफ) फेज रिवर्सल रिले के माध्यम से।
- (जी) सिंगल फेजिंग रिले के माध्यम से।
- (एच) एक ऐसे उपकरण द्वारा जो यह सुनिश्चित करता है कि जैसे ही कोई फेजिंग होती है या किसी भी कारण से ड्राइव स्टार्ट होने में विफल रहती है, ब्रेक तुरंत लग जाएं।
- (मै) लिफ्ट पिट में उपयुक्त प्रकार और क्षमता वाले बफरों के माध्यम से।
- (जे) जब लिफ्ट कार लेवलिंग जोन के भीतर न हो, तो कार और लैंडिंग का दरवाजा न तो स्वचालित रूप से खुलेगा और न ही दरवाजा खोलने वाले पुश बटन को दबाने से खुलेगा।
- (के) वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार कोई अन्य सुरक्षा उपकरण

13.0. लिफ्ट सौंपने से पहले लिफ्ट इंस्टॉलेशन पर निम्नलिखित परीक्षण किए जाएंगे। लिफ्ट तभी सौंपी जाएगी जब सभी परीक्षण परिणाम निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगे।

- (ए) लिफ्ट को उसकी पूरी क्षमता तक लोड किया जाएगा और यात्रा की दोनों दिशाओं में निम्नलिखित का परीक्षण किया जाएगा।
 - (i) गति
 - (ii) सभी लैंडिंग पर समतलीकरण
- (बी) लिफ्ट को खाली रखा जाएगा और यात्रा की दोनों दिशाओं में निम्नलिखित का परीक्षण किया जाएगा।
 - (i) गति
 - (ii) सभी लैंडिंग पर समतलीकरण
- (सी) सभी सुरक्षा और बचाव उपकरणों की उचित कार्यप्रणाली के लिए जांच की जाएगी।
- (डी) ओवरलोड सुरक्षा – स्टार्ट न होना और ओवरलोड की सूचना मिलना।
- (और) इन्सुलेशन प्रतिरोध और अर्थिंग निरंतरता परीक्षण।
- (एफ) ध्वनि घोषणा प्रणाली
- (जी) आपातकालीन अलार्म और दो-तरफ़ा संचार प्रणाली
- (मै) लाइट और पंखे/ब्लोअर के लिए एआरडी फ़ंक्शन परीक्षण और इन्वर्टर बैकअप

14. गाइड रेल, रस्सियों, बफर, ट्रेलिंग केबल और मोटर के नियमित परीक्षण के प्रमाण पत्र और निर्माता से नियंत्रक कार्य परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

15. निर्माता के स्थल पर लिफ्ट उपकरण का निरीक्षण

बैंक अपने विवेकानुसार लिफ्ट उपकरणों को साइट पर भेजने से पहले निर्माता के कारखाने में उनका

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

निरीक्षण कर सकता है। बैंक के इंजीनियर द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण में निम्नलिखित बातों की जाँच की जाएगी।

- (क) यात्री लिफ्ट की लिफ्ट मशीन और नियंत्रण पैनल
- (ख) यात्री लिफ्ट के वी3एफ नियंत्रक
- (सी) यात्री लिफ्ट का दरवाजा खोलने की प्रणाली
- (घ) लिफ्ट कार पैनल
- (ई) संकेत/नियंत्रण/संकेतक उपकरण
- (फ) एआरडी, केबल/तार/रस्सी
- (जी) कोई अन्य सामग्री/उपकरण/घटक

बैंक द्वारा उपरोक्त उपकरणों का निरीक्षण किया जाएगा, उन पर निशान लगाया जाएगा और प्रेषण के लिए मंजूरी दी जाएगी।
इंजीनियर।

निविदाकर्ता को निर्माता के स्थल पर बैंक द्वारा निरीक्षण को सक्षम बनाने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

स्थान और तिथि

खंड (VIII)

जाँच सूची

आर्थिक स्थितियां

अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्थित बैंक के अधिकारियों के आवासीय परिसर में यात्री लिफ्ट का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना।

सीनि यर नहीं।	विवरण	बैंक की शर्तें	स्वीकृति निविदाकर्ता द्वारा बैंक की शर्तें (हाँ/नहीं)
1	वैधता	भाग-1 के खुलने की तिथि से 120 दिन	
2	ईएमडी	₹ 18,800/-	
3	अदायगी की शर्तें	निविदा के खंड II के अनुच्छेद 22 के अनुसार	
	एएमसी के लिए भुगतान की शर्तें	निविदा के खंड II के खंड 21.3 के अनुसार सेवा के संतोषजनक समापन के बाद त्रैमासिक भुगतान किया जाएगा।	
4	तकनीकी निर्देश	निविदा के खंड VII के अनुसार	
5	वारंटी अवधि	दोषपूर्ण सामग्री और कारीगरी सहित, व्यक्तिगत लिफ्ट की सुपुर्दगी की तारीख से 12 महीने की अवधि।	
6	व्यापक एएमसी के नियम और शर्तें	निविदा के खंड II के अनुच्छेद 21.3 के अनुसार	
7	बिक्री के बाद सेवा	निविदा के खंड II के अनुच्छेद 21.0 के अनुसार	
8	लिफ्ट के रखरखाव के लिए निर्धारित अवधि	एक वर्ष की दोष दायित्व अवधि के बाद कम से कम 19 वर्ष।	

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

9	पूर्णता अवधि	3 महीने कार्य सौंपे जाने के पत्र के 10वें दिन से	
10	परिसमापन हर्जाना	धारा V के अनुसार, "इसमें आगे संदर्भित शर्तें"	
11	रखरखाव सेवा प्रदान करने में देरी के लिए जुर्माना	निविदा के खंड II के अनुच्छेद 21.3 (बी) के अनुसार	
12	सेवा सुविधा	अहमदाबाद/वडोदरा में उपलब्ध रहेंगे और टेलीफोन या मोबाइल पर संपर्क किया जा सकेगा।	

भाग II में कोई नियम एवं शर्तें नहीं होनी चाहिए, बल्कि केवल मूल्य-आधारित मात्रा का बिल होना चाहिए। यदि भाग II में कोई नियम एवं शर्तें शामिल की जाती हैं, तो निविदा अस्वीकृत की जा सकती है।

जगह

तारीख

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम

फर्म की मुहर

अनुलग्नक I

पूर्व-योग्यता संबंधी विवरणों के लिए प्रोफ़ार्मा

1. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित लिफ्ट का कम से कम 31 दिसंबर, 2018 से ओईएम होने के समर्थन में विवरण।

क्रमांक	विवरण	निविदाकर्ता द्वारा दी जाने वाली जानकारी
1	लिफ्ट के निर्माता का नाम	
2	लिफ्ट निर्माण शुरू होने की तिथि	
3	लिफ्ट निर्माण कारखाने/संयंत्र का पता	
4	निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित लिफ्ट के निर्माता होने के प्रमाण पत्र के पंजीकरण का विवरण (इसकी एक प्रति संलग्न करें)	
	(a) प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण का नाम और पता	
	(b) प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि	
	(c) प्रमाणपत्र की वैधता	

2. न्यूनतम 7 वर्ष के अनुभव के लिए प्रोफ़ार्मा

कार्य/खरीद आदेश की प्रति (कार्य दिनांक या उससे पहले पूरा हो गया) **31 दिसंबर, 2018** इसी प्रकार के कार्यों का प्रमाण पत्र (किसी भी राशि का) और उसका पूर्णता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में सात वर्षों का अनुभव साबित हो सके।

क्रमांक।	कार्य का नाम और स्थान	मुख्य नियोक्ता का नाम, पता और संपर्क विवरण	कार्य आदेश संदर्भ संख्या एवं दिनांक	निर्धारित पूर्णता तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि

3. पिछले 5 वर्षों के दौरान किए गए समान कार्यों के लिए प्रोफ़ार्मा*

आवेदक द्वारा पिछले सात वर्षों के दौरान निष्पादित समान कार्यों की सूची (जो 31 दिसंबर, 2020 को या उसके बाद पूर्ण हुए हों), पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार विचार की जाएगी:

क्र मां क।	कार्य का नाम और स्थान	मुख्य नियोक्ता का नाम, पता और संपर्क विवरण	कार्य आदेश संदर्भ संख्या एवं दिनांक	काम का मूल्य	निर्धारित पूर्णता तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	कार्य पूरा होने में देरी के कारण सहित कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी।

इसी तरह का काम*: पिछले 5 वर्षों के दौरान बड़े कार्यालय भवनों/वाणिज्यिक परिसरों/औद्योगिक भवनों/आवासीय परिसरों के लिए कम से कम चार मंजिलों (अर्थात कम से कम 4 स्टॉप) की यात्रा क्षमता वाली वीवीवीएफ प्रौद्योगिकी आधारित यात्री लिफ्ट का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना (कार्य 31 दिसंबर, 2020 को या उसके बाद पूर्ण किए गए हों)

टिप्पणी: कम से कम चार मंजिलों (यानी कम से कम 3 स्टॉप) की यात्रा क्षमता वाली वीवीवीएफ तकनीक आधारित यात्री लिफ्ट की पुष्टि करने वाले मात्रा बिल (बीओक्यू) की प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

4. पिछले 7 वर्षों के दौरान अहमदाबाद/वडोदरा में किए गए कार्यों का प्रोफार्मा

अहमदाबाद/वडोदरा में पिछले सात वर्षों के दौरान निविदाकर्ता द्वारा निष्पादित लिफ्टों के एसआईटीसी कार्यों की सूची (31 दिसंबर, 2018 को या उसके बाद पूर्ण किए गए) और जहां लिफ्टों का रखरखाव निविदाकर्ता द्वारा किया जाता है:

क्र मां क	ग्राहक का नाम और संपर्क विवरण	कार्य विवरण	पूरा होने की तारीख	कार्यस्थल का पता	लिफ्टों की संख्या	लिफ्ट के लिए एएमसी (वार्षिक बीमा पॉलिसी) कितने वर्षों के लिए मान्य है?

5. कारोबार: वार्षिक कारोबार न्यूनतम 9.40 लाख रुपये होना चाहिए, जिसकी पुष्टि चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों की प्रतियों द्वारा विधिवत की जानी चाहिए।

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	कारोबार (रु.)
1	2024-25	
2	2023-24	
3	2022-23	
4	2021-22	

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

6. अहमदाबाद/वडोदरा में स्थापित सेवा का विवरण: अहमदाबाद/वडोदरा में रहने के वर्षों की संख्या सहित पते के प्रमाण द्वारा विधिवत प्रमाणित।

क्र मां क	सेवा केंद्र का पता	संपर्क व्यक्ति का विवरण (नाम, पदनाम, ईमेल आईडी, संपर्क नंबर आदि)	प्रथम स्तर की शिकायत के लिए संपर्क व्यक्ति का विवरण (नाम, पदनाम, ईमेल आईडी, संपर्क नंबर आदि)	द्वितीय स्तर की कार्यवाही के लिए संपर्क व्यक्ति का विवरण (नाम, पदनाम, ईमेल आईडी, संपर्क नंबर आदि)

7. आवश्यक आईएसओ प्रमाणपत्र का विवरण

क्र मां क	विवरण	विवरण
1	आईएसओ प्रमाणपत्र जारी करने वाली संस्था का नाम	
2	आईएसओ प्रमाणपत्र के अंतर्गत आने वाले कार्यक्षेत्र	
3	आईएसओ प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि	
4	आईएसओ प्रमाणपत्र की वैधता तिथि	

8. बैंकों के विवरण के लिए प्रोफार्मा

क्रमां क।	विवरण	बैंकर 1	बैंकर 2	बैंकर 3
1	पता			
2	संपर्क व्यक्ति			
3	ई-मेल			

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

4	टेलीफोन नंबर			
5	फैक्स नंबर			

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर:

तारीख

अनुलग्नक II

बयाना राशि जमा के बदले बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टॉप पत्र पर प्रस्तुत किया जाना है)

यह गारंटीनामा _____ दिनांक _____ दो हजार _____ के बीच _____ (बैंकर का नाम) के बीच किया गया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ (स्थान) में और एक स्थानीय कार्यालय _____ में स्थित है (जिसे आगे ज़मानतदार कहा गया है), और भारतीय रिज़र्व बैंक, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 द्वारा गठित एक निगम है, जिसका केंद्रीय कार्यालय केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई-400 001, भारत में स्थित है (जिसे आगे बैंक कहा गया है)।

जबकि _____ (निविदाकर्ता का नाम जिसे इसके बाद 'निविदाकर्ता' कहा जाएगा), _____ के अंतर्गत पंजीकृत और जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में है, अपने अनुबंध के संबंध में बैंक में बयाना राशि के रूप में INR _____ (केवल INR _____) जमा करने के लिए बाध्य है। **अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्थित बैंक के अधिकारियों के आवासीय परिसर में 1 यात्री लिफ्ट का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना।** और उसमें निहित विनिर्देश और नियम एवं शर्तें।

जबकि निविदाकर्ता ने निविदाकर्ताओं के लिए निर्देशों और विशेष शर्तों के खंड II में दिए गए खंड संख्या _____ के अनुसार नकद बयाना राशि जमा करने के बजाय _____ तक वैध बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की है।

अब यह गारंटी गवाह है:

1. निविदाकर्ता द्वारा बैंक को दी गई उपरोक्त निविदा के बदले में, ज़मानतदार एतद्वारा यह वचन देता है कि वह बैंक से मांग प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर, इस गारंटी विलेख को प्रस्तुत करने पर, उक्त राशि _____ (केवल _____ रुपये) का भुगतान बिना किसी आपत्ति के बैंक को करेगा। निविदाकर्ता अपनी निविदा के संबंध में बयाना राशि के रूप में बैंक में यह राशि जमा करने के लिए बाध्य है।
2. निविदाकर्ता की ओर से किसी भी प्रकार की खामी या अनियमितता, या बैंक, निविदाकर्ता या गारंटर के विघटन या उनके गठन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से यह गारंटी प्रभावित नहीं होगी।
3. यदि निविदाकर्ता निविदा प्रस्तुत करने के बाद अपने प्रस्ताव से पीछे हट जाता है या उसकी शर्तों और नियमों में इस प्रकार संशोधन करता है जो बैंक को स्वीकार्य नहीं है, या बैंक द्वारा निविदाकर्ता को आदेश देने का निर्णय लेने के बाद आदेश स्वीकार करने से इनकार करता है, तो बैंक इस गारंटी के तहत कोई भी दावा करने का पात्र होगा। **अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्थित बैंक के अधिकारियों के आवासीय परिसर में 1 यात्री लिफ्ट का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना।** इस संबंध में बैंकों का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

4. जमानतदार इस गारंटी की अवधि के दौरान बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना इसे रद्द नहीं कर सकता है।
5. उपरोक्त में निहित किसी भी बात के बावजूद, गारंटी के तहत जमानतदार की देयता केवल INR _____ (INR _____) तक सीमित है।
6. यह गारंटी _____ तक लागू और प्रभावी रहेगी और उसके बाद समाप्त होकर अप्रभावी हो जाएगी।
7. निविदाकर्ता और बैंक या किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी भी प्रकार का विवाद होने या उत्पन्न होने के बावजूद, जमानतदार बैंक द्वारा जारी मांग नोटिस के अनुसार भुगतान करेगा।
8. उक्त निविदा की किसी भी शर्त को लागू करने में बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की ढिलाई, कार्य या चूक, या निविदाकर्ता के प्रति बैंक द्वारा दिखाई गई किसी भी प्रकार की रियायत, जमानतदार को किसी भी तरह से दायित्व से मुक्त नहीं करेगी और इस गारंटी के तहत जमानतदार के दायित्व तभी समाप्त होंगे जब बैंक द्वारा इसकी सूचना जमानतदार को दी जाएगी।
9. उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी, यदि इस गारंटी के अंतर्गत कोई मांग या दावा जमानतदार को _____ को दोपहर 2:00 बजे (भारतीय मानक समय) से पहले लिखित रूप में नहीं किया जाता है, तो उसके बाद जमानतदार गारंटी के अंतर्गत सभी दायित्वों से मुक्त हो जाएगा और गारंटी सभी दृष्टियों से अप्रभावी हो जाएगी, चाहे मूल बैंक गारंटी जमानतदार को वापस की गई हो या नहीं। गारंटी को अप्रभावी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमानतदार को वापस करना होगा। यदि गारंटी उस तिथि तक जमानतदार को प्राप्त नहीं होती है, तो वह स्वतः रद्द मानी जाएगी।
10. जमानतदार को अपने अनुबंध ज्ञापन और लेख के तहत यह गारंटी जारी करने का अधिकार है और इस विलेख पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को जमानतदार द्वारा प्रदत्त अधिकार पत्र के तहत ऐसा करने के लिए आवश्यक शक्तियां प्राप्त हैं।

हस्ताक्षरित और वितरित
उपर्युक्त बैंक की ओर से और उसके लिए।

दा
(बैंकर का नाम और मुहर)

शाखा प्रबंधक
(बैंकर की मुहर)

अनुलग्नक III
निविदाकर्ता द्वारा रखरखाव की पुष्टि हेतु वचन पत्र का प्रपत्र

को,

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक,
संपदा विभाग
अहमदाबाद

प्रिय महोदय/महोदया

अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्थित बैंक के अधिकारियों के आवासीय परिसर में 1 यात्री लिफ्ट का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना।

हम एतद्वारा आपके परिसर में हमारे द्वारा स्थापित लिफ्ट का एक वर्ष की दोष दायित्व/वारंटी अवधि की समाप्ति के बाद कम से कम 19 वर्षों की अवधि तक संतोषजनक रखरखाव करने का वचन देते हैं, और यह रखरखाव शुल्क हमारे द्वारा उद्धृत दर पर, निविदा में निर्दिष्ट मूल्य संशोधन खंड के अधीन होगा।

भवदीय,

के लिए _____

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अनुलग्नक IV
सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रपत्र

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पत्र पर प्रस्तुत किया जाना है)

क्रमांक _____ दिनांक _____

को:

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक,
संपदा विभाग
अहमदाबाद

प्रिय महोदय

मेसर्स _____ (इसके बाद "ठेकेदार" कहा जाएगा) द्वारा आपके साथ किए गए अनुबंध के अनुसार आपको देय INR ____ (केवल INR ____) की सुरक्षा जमा राशि स्वीकार करने के लिए आपकी सहमति के बदले में, **अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्थित बैंक के अधिकारियों के आवासीय परिसर में 1 यात्री लिफ्ट का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना।** उनकी निविदा संख्या ____ दिनांक ____ और आपके अनुबंध की विशेष शर्तों और उससे संबंधित अन्य निविदा दस्तावेजों के अनुसार, आपके अनुबंध संख्या ____ दिनांक ____ में उल्लिखित या संदर्भित शर्तों और पारस्परिक रूप से सहमत परिवर्तनों के अधीन, और इसके बाद वर्णित तरीके से हमारी ओर से गारंटी के रूप में, हम ____ (बैंक का नाम) एतद्वारा आपके साथ निम्नलिखित रूप से वचनबद्ध और सहमत होते हैं:

- हम आपको समय-समय पर INR ____ (केवल INR ____) तक की क्षतिपूर्ति देने और क्षतिपूर्ति करते रहने का वचन देते हैं, यदि ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबंध में निहित किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, और यदि ठेकेदार उक्त अनुबंध के अंतर्गत किसी भी कार्य को करने में या उससे संबंधित किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में चूक करता है, तो हम मांग पर तुरंत आपको उक्त राशि का भुगतान करेंगे, जो ठेकेदार की चूक के कारण आपके द्वारा दावा की गई हानि और/या क्षति, लागत, शुल्क या व्यय के रूप में INR ____ (केवल INR ____) से अधिक नहीं होगी।
- इसके विपरीत किसी भी बात के बावजूद, ठेकेदार द्वारा ऐसी कोई चूक की गई है या नहीं और इसके कारण आप जिस राशि या राशियों के हकदार हैं, इस संबंध में आपका निर्णय हम पर बाध्यकारी होगा और हमें इस गारंटी के तहत आपके दावे या दावों को साबित करने के लिए कहने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि हम बिना किसी विरोध या आपत्ति के आपकी मांग पर तुरंत उसका भुगतान कर देंगे।

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

3. यह गारंटी उक्त अनुबंध की संबंधित गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद ठेकेदार के आवेदन पर आपके द्वारा रद्द किए जाने तक वैध रहेगी, बशर्ते ठेकेदार ने उक्त अनुबंध के तहत अपने सभी दायित्वों का निर्वहन कर दिया हो और उक्त अनुबंध के तहत कार्य के विधिवत पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया हो और "कोई मांग नहीं प्रमाण पत्र" जमा कर दिया हो। यह गारंटी किसी भी स्थिति में _____ तिथि के बाद लागू नहीं रहेगी, बशर्ते कि उक्त तिथि से छह महीने की समाप्ति से पहले आपके द्वारा लिखित रूप में हमसे किए गए या हमें सूचित किए गए दावों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, जो उक्त तिथि के बाद लागू होने के बावजूद हमारे विरुद्ध लागू करने योग्य होंगे।
4. यदि किसी भी कारण से इस गारंटी की अवधि बढ़ाना आवश्यक हो जाता है, तो हम मेसर्स _____ के अनुरोध पर इस गारंटी की अवधि को तब तक बढ़ाने का वचन देते हैं, जब तक कि आप और मेसर्स _____ आपसी सहमति से तय न कर लें।
5. इस गारंटी को प्रभावित किए बिना, आपको समय-समय पर उक्त अनुबंध की किसी भी शर्त और नियम में परिवर्तन करने, ठेकेदार के निष्पादन की अवधि बढ़ाने, ठेकेदार के विरुद्ध अपने किसी भी अधिकार या शक्ति को किसी भी समय के लिए स्थगित करने, और उक्त अनुबंध की किसी भी शर्त और नियम को लागू करने या लागू न करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। आपके द्वारा उपरोक्त मामलों के संबंध में अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने, ठेकेदार को समय दिए जाने, आपकी ओर से किसी अन्य छूट, कार्य या चूक, या ठेकेदार को आपके द्वारा दी गई किसी भी रियायत, या उक्त अनुबंध में किसी भी परिवर्तन या संशोधन, या किसी अन्य कार्य, मामले या चीज़ के कारण, जो जमानत से संबंधित कानून के तहत, इस अनुबंध के प्रावधानों के अभाव में, हमें इस अनुबंध के तहत हमारी देयता से मुक्त कर देता, हम इस गारंटी के तहत अपनी देयता से मुक्त नहीं होंगे। बशर्ते कि इसमें निहित कोई भी बात हमारी देयता को उपर्युक्त INR _____ (केवल INR _____) की सीमा से अधिक नहीं बढ़ाएगी।
6. यह गारंटी किसी भी तरह से ठेकेदार या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या कंपनी से कोई प्रतिभूति लेने, बदलने या छोड़ने से, या ठेकेदार के परिसमापन, विघटन, दिवालियापन या मृत्यु से प्रभावित नहीं होगी।
7. इस गारंटी को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए, आप ठेकेदार के विरुद्ध अपने सभी दावों के संबंध में हमें अपना मुख्य देनदार मानने के हकदार होंगे, जैसा कि हमने ऊपर बताया है, और हम एतद्वारा अपने सभी जमानती अधिकारों और अन्य अधिकारों, यदि कोई हो, जो इस गारंटी के किसी भी प्रावधान के साथ किसी भी तरह से असंगत हैं, को स्पष्ट रूप से त्याग देते हैं।
8. उपर्युक्त हमारी अधिकतम देयता सीमा के अधीन रहते हुए, यह गारंटी उक्त अनुबंध से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित समय-समय पर ठेकेदार के विरुद्ध आपके सभी दावों को कवर करेगी, और जिनके संबंध में आपका लिखित दावा इस गारंटी की समाप्ति तिथि से छह महीने की समाप्ति से पहले हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया हो।
9. इस अनुबंध के अंतर्गत मांग या अन्य किसी भी प्रकार की सूचना विशेष कूरियर, टेलेक्स, फैक्स या पंजीकृत डाक द्वारा हमारे उपर्युक्त स्थानीय पते पर भेजी जा सकती है और यदि डाक द्वारा भेजी जाती है, तो उसे डाक द्वारा भेजे जाने के समय ही प्राप्त मान लिया जाएगा।

10. यह गारंटी और इसमें निहित शक्तियां एवं प्रावधान, हमारे द्वारा आपको पहले दी गई किसी अन्य गारंटी या गारंटियों (चाहे संयुक्त रूप से या अकेले) के अतिरिक्त हैं, न कि उनकी सीमा या प्रतिस्थापन के रूप में, जो अब तक रद्द नहीं की गई हैं, और यह गारंटी ऐसी गारंटी या गारंटियों को रद्द करने या सीमित करने के लिए अभिप्रेत नहीं है और न ही ऐसा करेगी।
11. यह गारंटी ठेकेदार या हमारे संगठन के गठन में किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी, न ही आपके संगठन के गठन में किसी परिवर्तन से, न ही इसके किसी विलय या अधिग्रहण से प्रभावित होगी, बल्कि यह अधिग्रहण करने वाली या विलयित कंपनी या संस्था के लाभ के लिए बनी रहेगी और उसके द्वारा उपलब्ध और लागू करने योग्य होगी।
12. उक्त निविदा की किसी भी शर्त को लागू करने में बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की ढिलाई, कार्य या चूक, या निविदाकर्ता के प्रति बैंक द्वारा दिखाई गई किसी भी प्रकार की उदारता, किसी भी तरह से जमानतदार को दायित्व से मुक्त नहीं करेगी और इस गारंटी के तहत जमानतदार के दायित्व तभी समाप्त होंगे जब बैंक द्वारा इसकी सूचना जमानतदार को दी जाएगी।
13. यह गारंटी इसकी वैधता अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय है और आपकी पूर्व लिखित सहमति के बिना इसे रद्द नहीं किया जाएगा।
14. हम इस बात से सहमत हैं और वचन देते हैं कि आपके और ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद, विवाद या मतभेद होने के बावजूद, हम आपके द्वारा लिखित रूप में मांगी गई राशि का भुगतान बिना किसी आपत्ति के करेंगे।
15. उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी, इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता केवल INR ____ (INR _____) तक सीमित है। यदि इस गारंटी की समाप्ति तिथि से छह महीने के भीतर (यदि कोई विस्तार हो तो सहित) इस गारंटी के तहत भुगतान के लिए लिखित दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो गारंटी के अंतर्गत आपके सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और हम इससे संबंधित सभी दायित्वों से मुक्त माने जाएंगे, चाहे मूल गारंटी हमें वापस की गई हो या नहीं।
16. हमारे बैंक के ज्ञापन और अनुबंध के तहत हमें आपके पक्ष में यह गारंटी जारी करने का अधिकार है और बैंक द्वारा मुझे प्रदान किए गए पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत हस्ताक्षरकर्ता को इस गारंटी पर हस्ताक्षर करने का पूर्ण अधिकार है।

हस्ताक्षरित और वितरित

(उपरोक्त नामित बैंक की ओर से) की ओर से

(बैंकर का नाम और मुहर)

शाखा प्रबंधक

(बैंकर की मुहर)

पता _____

अनुलग्नक - V

ग्राहक का प्रमाण पत्र, ठेकेदार के प्रदर्शन से संबंधित
ग्राहक का नाम और पता

मेसर्स द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण

- 1 (क) कार्य का नाम और संक्षिप्त विवरण
(ख) लिफ्टों का प्रकार, संख्या और क्षमता
- 2 अनुबंध संख्या और तिथि
- 3 समझौते की राशि
- 4 कार्य शुरू करने की तारीख
- 5 निर्धारित पूर्णता तिथि
- 6 कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि
- 7 विलंब के लिए लगाए गए मुआवजे का विवरण (राशि का उल्लेख करें, यदि कोई हो)।
- 8 पूर्ण किए गए कार्य की कुल राशि और भुगतान की गई राशि
- 9 जिस प्राधिकारी के अधीन कार्य निष्पादित किए गए, उसका नाम और पता
- 10 क्या ठेकेदार ने कार्य निष्पादन के दौरान योग्य अभियंता/पर्यवेक्षक को नियुक्त किया था?
- 11 i) कार्य की गुणवत्ता (श्रेणी का उल्लेख करें)
उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/
अच्छा/संतोषजनक/खराब

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

- ii) यदि कोई कार्य कम दरों पर किया गया हो तो उसकी राशि।
- 12 i) क्या ठेकेदार ने मध्यस्थता का सहारा लिया?
 ii) यदि हां, तो दावे की कुल राशि क्या है?
 iii) कुल प्रदान की गई राशि

13 ठेकेदार की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ।

ए) तकनीकी दक्षता	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब
ख) वित्तीय सुदृढ़ता	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब
ग) पर्याप्त मात्रा में सामग्री एवं सामग्री जुटाना	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब
घ) मानव संसाधन जुटाना	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब
ई) सामान्य व्यवहार	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब

नोट: सभी कॉलम सही ढंग से भरे जाने चाहिए * प्रतिहस्ताक्षरित”

कार्यालय की मुहर सहित रिपोर्टिंग अधिकारी*

*कार्यकारी अभियंता/अधीक्षक अभियंता या समकक्ष रैंक का अधिकारी

अनुलग्नक - VI

अनुसूचित बैंक से प्राप्त बैंकर प्रमाणपत्र का प्रारूप (बैंकर्स के लेटर हेड पर)

प्रति,
क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
अहमदाबाद

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी जानकारी के अनुसार, हमारे बैंक के ग्राहक श्रीमान/श्रीमान (जिनका पता स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है) सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जा सकता है। किसी भी सगाई तक को ए ₹.....(रुपये) की सीमा यह प्रमाणपत्र बैंक या उसके किसी भी अधिकारी की ओर से बिना किसी गारंटी या जिम्मेदारी के जारी किया जाता है।

बैंक के लिए, नाम, पदनाम और मुहर सहित

नोट:- (i) बैंकर्स प्रमाणपत्र बैंक के लेटरहेड पर होना चाहिए
(ii) साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र में बैंक के पास दर्ज सभी साझेदारों के नाम शामिल होने चाहिए।

अनुलग्नक - VII

प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप
(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टॉप पत्र पर)

इन दस्तावेजों के माध्यम से सभी को सूचित किया जाता है कि हम (बोलीदाता का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) श्री/सुश्री (पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और आवासीय पता) को, जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत हैं और पद पर कार्यरत हैं, को नियुक्त और अधिकृत करते हैं। हमारे अटॉर्नी के रूप में, हमारे नाम पर और हमारी ओर से, भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्थित बैंक के अधिकारियों के आवासीय परिसर में 1 यात्री लिफ्ट के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए निविदा हेतु हमारी बोली से संबंधित या उससे जुड़े सभी कार्य, कृत्य और चीजें करना, जिसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें प्रस्तुत करना, आरबीआई को सूचना/जवाब देना, आरबीआई के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना और उक्त परियोजना के लिए हमारे प्रस्ताव से संबंधित सभी मामलों में आरबीआई के साथ सामान्य रूप से व्यवहार करना शामिल है।

हम एतद्वारा इस पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत हमारे उक्त अटॉर्नी द्वारा विधिवत रूप से किए गए सभी कार्यों, कृत्यों और चीजों की पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और यह कि हमारे उपरोक्त अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कार्य, कृत्य और चीजें हमारे द्वारा किए गए माने जाएंगे और हमेशा हमारे द्वारा ही किए गए माने जाएंगे।

टिप्पणी:

पावर ऑफ अटॉर्नी पर विधिवत मुहर लगी होनी चाहिए और यह नोटरीकृत होनी चाहिए।
प्रस्तुत की गई पावर ऑफ अटॉर्नी अपरिवर्तनीय होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम

बोलीदाता की मुहर/सील

(नोट: इस गारंटी पर उस राज्य में लागू स्टॉप शुल्क लगेगा, जहां इसे निष्पादित किया गया है, और इस पर उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसके हस्ताक्षर और अधिकार का सत्यापन किया जाएगा)।

अनुबंध- आठवीं

करार की शर्तें

समझौता ज्ञापन दिनांक _____ को भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, अहमदाबाद, जिसका कार्यालय अहमदाबाद में है (जिसे आगे "नियोक्ता" कहा जाएगा) एक पक्ष और _____ (जिसे आगे "ठेकेदार" कहा जाएगा) दूसरे पक्ष के बीच किया गया।

चूंकि नियोक्ता बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, अहमदाबाद में 01 यात्री लिफ्ट के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने तथा उनके व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी) (जिसे आगे "उक्त कार्य" कहा गया है) का इच्छुक है और उसने किए जाने वाले कार्य का विवरण देते हुए विनिर्देश और मात्रा अनुसूची तैयार करवाई है।

और चूंकि उक्त विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची पर इस समझौते के पक्षों की ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

और चूंकि ठेकेदार ने उक्त विनिर्देशों में वर्णित और मात्राओं की अनुसूची में शामिल कार्यों को, उक्त विनिर्देशों में निर्धारित शर्तों और विशेष शर्तों तथा अनुबंध की मात्राओं और शर्तों की अनुसूची में निर्धारित शर्तों (जिन्हें सामूहिक रूप से आगे "उक्त शर्तें" कहा जाएगा) के अधीन निष्पादित करने पर सहमति व्यक्त की है, जो उक्त विनिर्देशों में वर्णित हैं और मात्राओं की अनुसूची में शामिल हैं, और यह कार्य उसमें निर्धारित दरों पर किया जाएगा, जो कि उसमें निर्धारित राशि या उसके तहत देय कोई अन्य राशि (जिसे आगे "उक्त अनुबंध राशि" कहा जाएगा) के बराबर होगा।

अब इसके द्वारा निम्नलिखित बातों पर सहमति व्यक्त की जाती है

उक्त अनुबंध राशि का भुगतान उक्त शर्तों में निर्धारित समय और तरीके से किया जाना है, जिसके बदले में ठेकेदार उक्त शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त विनिर्देशों और मात्रा अनुसूची में वर्णित कार्य को निष्पादित और पूरा करेगा।

नियोक्ता उक्त अनुबंध राशि या ऐसी अन्य राशि का भुगतान ठेकेदार को उक्त शर्तों में निर्दिष्ट समय और तरीके से करेगा।

उक्त शर्तें और उनका परिशिष्ट तथा उक्त कार्य के संबंध में नियोक्ता और ठेकेदार के बीच निविदा स्वीकृति पत्र की तिथि तक हुए सभी पत्राचार को इस समझौते का हिस्सा माना जाएगा तथा दोनों पक्ष क्रमशः उक्त शर्तों का पालन करेंगे तथा उक्त शर्तों में निहित अपने-अपने समझौतों का निष्पादन करेंगे।

इसमें उल्लिखित योजनाएं, समझौता और दस्तावेज इस अनुबंध का आधार बनेंगे।

समय इस अनुबंध का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाएगा और ठेकेदार एतद्वारा सहमत है कि वह साइट का कार्यभार सौंपे जाने के तुरंत बाद या उक्त शर्तों में उल्लिखित औपचारिक कार्य आदेश जारी होने की तिथि के दसवें दिन से, जो भी बाद में हो, कार्य प्रारंभ करेगा और संपूर्ण कार्य को 3 महीने के भीतर पूरा करेगा। समय सीमा बढ़ाने के प्रावधानों के अधीन रहते हुए। यदि ठेकेदार निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो ठेकेदार की गलती के कारण हुई देरी के लिए कार्य के वास्तविक

मूल्य के 0.25% प्रति सप्ताह की दर से हर्जाना लगाया जाएगा, जो अनुबंध मूल्य के 10% की अधिकतम सीमा के अधीन होगा।

ठेकेदार एतद्वारा प्रत्येक लिफ्ट से संबंधित संपूर्ण साइट कार्य (नई लिफ्ट की स्थापना, परीक्षण और चालू करना) को निर्धारित शटडाउन अवधि के भीतर पूरा करने के लिए सहमत है, हालांकि समय विस्तार के प्रावधानों के अधीन।

यह अनुबंध न तो एकमुश्त राशि का अनुबंध है और न ही मद-वार दर का अनुबंध, बल्कि यह यात्री लिफ्टों की व्यवस्था और उनके रखरखाव से संबंधित कार्य करने का अनुबंध है। 20 वर्षों की अवधि (1 वर्ष दोष दायित्व अवधि के रूप में और उसके बाद 19 वर्षों के लिए उनके व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के तहत)। अन्यत्र निर्दिष्ट मूल्य परिवर्तन खंड के अधीन रहते हुए, दरों और संभावित मात्राओं की अनुसूची में निहित दरों/राशियों पर या उक्त शर्तों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

ठेकेदार उक्त शर्तों में निर्धारित तरीके से उक्त कार्य से संबंधित सभी कार्यों को पूरा करने के लिए हर संभव सुविधा प्रदान करेगा और ऐसे कार्यों के पूरा होने के बाद दीवारों, फर्श आदि को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा।

सभी सुविधाओं से युक्त व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (CAMC)

1. कार्य के आभासी रूप से पूर्ण होने की तिथि से एक वर्ष की दोष दायित्व अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने पर, प्रथम वर्ष के लिए सीएएमसी की दर निविदाकर्ता द्वारा अपनी निविदा में उद्धृत की गई रु.प्रति वर्ष होगी।

2. सीएएमसी को 18 वर्षों की अवधि के लिए आगे नवीनीकृत किया जाएगा और इसके लिए दर की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी:

$$\text{एसी} = \frac{\text{सांसदसी} \times \text{डब्ल्यूआईसी}}{100 \text{ एमपीसी} \times \text{डब्ल्यूआईसी}} (50 \times \text{एसी} + 50 \times \text{एपी})$$

- एसी = चालू वर्ष के लिए अनुबंध राशि।
 एपी = पिछले वर्ष की अनुबंध राशि।
 सांसदसी = चालू वर्ष के अनुबंध की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले के धातु उत्पादों के थोक मूल्य सूचकांक।
 सांसदपी = पिछले वर्ष के अनुबंध की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले के धातु उत्पादों का थोक मूल्य सूचकांक।
 वाई केसी = चालू वर्ष के अनुबंध की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अहमदाबाद)।

वाई के = पिछले वर्ष के लिए अनुबंध की शुरुआत की तारीख से 6 महीने पहले के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अहमदाबाद)।

दोष दायित्व अवधि और सीएएमसी अवधि के दौरान कार्यक्षेत्र

कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे:

- (i) लिफ्ट के सुचारू और निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित सर्विसिंग/समस्या निवारण/सेटिंग/समायोजन/सफाई/चिकनाई/सुरक्षा उपकरणों की जांच आदि।
- (ii) लिफ्ट में किसी भी प्रकार की खराबी आने पर उसकी मरम्मत/प्रतिस्थापन, जिसमें सॉफ्टवेयर को पुनः लोड करना आदि शामिल है, साथ ही स्पेयर पार्ट्स/घटकों/उप-प्रणाली/कार्ड/मोटर/रस्सी और किसी भी अन्य घटक, भाग या संपूर्ण इकाई का प्रतिस्थापन, जिसकी प्रतिस्थापन/मरम्मत की आवश्यकता हो सकती है।
- (iii) पुर्जों का आयात और उनका भंडारण निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी। पुर्जों/घटकों की अनुपलब्धता को शीघ्र सेवा प्रदान करने में विलंब के लिए दंड माफ करने का कारण नहीं माना जाएगा।
- (iv) रस्सियों, विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों जैसे घटकों के सभी निर्माताओं द्वारा निर्धारित निवारक रखरखाव अनुसूचियों/प्रतिस्थापन आवधिकता का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, जिसमें सुरक्षा उपकरणों की जांच, रस्सी फिसलने जैसी सुरक्षा व्यवस्था, भार परीक्षण आदि शामिल हैं, जैसा कि निर्माता द्वारा निर्धारित आवधिकता के अनुसार या ऊपर उल्लिखित रखरखाव के दायरे के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार किया जाना चाहिए।
- (v) आवधिक रखरखाव के अलावा, रखरखाव के दायरे में किसी भी प्रकार की खराबी की शिकायतों का समाधान करना भी शामिल होगा।
- (vi) कंपनी यह भी सुनिश्चित करेगी कि लिफ्ट के संपूर्ण जीवनकाल के दौरान उचित रखरखाव के लिए आवश्यक पुर्जे आदि उनके पास आसानी से उपलब्ध हों।

सेवा में देरी होने पर जुर्माना: दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) और सीएएमसी अवधि के दौरान सेवा में देरी के लिए जुर्माना: -

- I. वार्षिक रखरखाव सेवा अनुबंध/डीएलपी की अवधि के दौरान, यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सावधानी बरती जाएगी कि लिफ्ट का डाउनटाइम न्यूनतम रहे और शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद और अधिकतम 3 घंटे के भीतर लिफ्ट की मरम्मत की जाए।
- II. यदि लिफ्ट एक दिन से अधिक समय तक खराब रहती है (जिसमें बड़ी मरम्मत के अलावा अन्य मरम्मत की आवश्यकता होती है), तो ठेकेदार को देय भुगतान से प्रति लिफ्ट व्यापक एएमसी शुल्क की दैनिक दर के 4 गुना के बराबर जुर्माना वसूला जाएगा, जो एएमसी अवधि के दौरान कुल एएमसी शुल्क के अधिकतम 50% के अधीन होगा।

साथ ही, वारंटी अवधि (डीएलपी) को डीएलपी के दौरान दोषों के निवारण में हुई देरी के दिनों की संख्या के 4 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा।

- III. यदि लिफ्ट के रुकने का कारण बनने वाली कोई बड़ी मरम्मत 3 दिनों के भीतर ठीक नहीं की जाती है, तो ठेकेदार को देय भुगतान में प्रति लिफ्ट व्यापक एएमसी शुल्क की दैनिक दर के 4 गुना के बराबर जुर्माना लगाया जाएगा, जो एएमसी अवधि के दौरान कुल एएमसी शुल्क के अधिकतम 50% के अधीन होगा। साथ ही, वारंटी अवधि (डीएलपी) को डीएलपी के दौरान दोषों को ठीक करने में हुई देरी के दिनों की संख्या के 4 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा। जुर्माने के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित मदों को बड़ी मरम्मत माना जाएगा:

- (ए) मोटर की रिवाइंडिंग
- (ख) रस्सी का प्रतिस्थापन
- (ग) गियर बॉक्स में बियरिंग, गियर आदि का प्रतिस्थापन
- (घ) कार और काउंटर वेट के लिए गाइड शूज़ का प्रतिस्थापन
- (ई) ट्रेलिंग केबल/कंट्रोल वायरिंग का प्रतिस्थापन
- (फ) वीवीवीएफ नियंत्रक का प्रतिस्थापन

सीएएमसी की ओर भुगतान

सेवा के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के बाद सीएएमसी शुल्क का भुगतान प्रत्येक तिमाही में किया जाएगा।

प्रदर्शन बैंक गारंटी:

कार्य पूर्ण होने के बाद, लेकिन कार्य निष्पादन के लिए प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी की अवधि समाप्त होने से पहले, ठेकेदार को अनुबंध IV के अनुसार बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक नई बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी। यह गारंटी कार्य निष्पादन और अनुबंध निर्माण अनुबंध की शर्तों और दायित्वों के अनुपालन हेतु प्रारंभिक 10 वर्षों के लिए कार्य की पूंजी लागत के 10% के बराबर और उसके बाद शेष 10 वर्षों के लिए कार्य की पूंजी लागत के 5% के बराबर होगी। पिछली गारंटी की अवधि समाप्त होने से 2 सप्ताह पहले नई बैंक गारंटी का नवीनीकरण करना अनिवार्य होगा; ऐसा न करने पर, उपरोक्त बैंक गारंटी लागू की जाएगी, और इसके परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

इस अनुबंध के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतान केवल अहमदाबाद में ही किए जाएंगे।

इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या इससे किसी भी तरह से जुड़े सभी विवादों को अहमदाबाद में उत्पन्न हुआ माना जाएगा और केवल अहमदाबाद स्थित न्यायालयों को ही इनका निपटारा करने का अधिकार होगा।

ठेकेदार द्वारा इस अनुबंध के विभिन्न भागों को पढ़ लिया गया है और उन्हें पूरी तरह से समझ लिया गया है।

इसके प्रमाण स्वरूप, नियोक्ता ने अपने विधिवत अधिकृत अधिकारी के माध्यम से इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं और ठेकेदार ने इस पर अपनी मुहर लगवाई है तथा उक्त दो प्रतियों को अपनी ओर से निष्पादित करवाया है, दिनांक और वर्ष जो ऊपर लिखा है।

हस्ताक्षर खंड

द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाथों

श्री _____

(नाम और पदनाम)

की उपस्थिति में

(1) _____

पता _____

(2) _____

पता _____

(साक्षी)

_____ की सामान्य मुहर

प्रस्तावों के अनुसार इसे यहाँ संलग्न किया गया था।

इसे निदेशक मंडल की बैठक में पारित किया गया।

_____ को की उपस्थिति में आयोजित किया गया

(1) _____

(2) _____

यदि ठेकेदार साधारण मुहर के तहत हस्ताक्षर करता है, तो हस्ताक्षर खंड को लेखों में मुहर लगाने वाले खंड के साथ मेल खाना चाहिए।

जिन निदेशकों ने इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं

उसकी उपस्थिति में उसका टोकन

(1) _____

(2) _____

यदि ठेकेदार पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा हस्ताक्षर कर रहा है, चाहे वह एक कंपनी हो या एक व्यक्ति।

ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित

श्री _____ का हाथ

और विधिवत नियुक्त वकील।

अनुबंध- IX

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोलीदाता द्वारा

वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाण पत्र के लिए प्रपत्र

(बोलीदाताओं द्वारा अपने लेटरहेड पर विधिवत मुहरबंद और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत किया जाना है)

प्रति,

क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
अहमदाबाद

कार्य का नाम: अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्थित बैंक के अधिकारियों के आवासीय परिसर में 1 यात्री लिफ्ट का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना।

मैं/हम (बोलीदाता का नाम और पता, जिसमें देश का नाम भी शामिल हो) ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लोक खरीद प्रभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी दिनांक 23 जुलाई, 2020 और उसके बाद के आदेशों/संशोधनों को पढ़ और समझ लिया है, जिसमें भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंधों के संबंध में जानकारी दी गई है।

2. मैं/हम प्रमाणित करता/करते हूँ कि (बोलीदाता का नाम)

- i. वह ऐसे देश से नहीं है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता हो, या
- ii. वह किसी ऐसे देश से है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है और सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है, या
- iii. यह उस देश से है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है और जहां भारत सरकार ने ऋण लाइनें विस्तारित की हैं, या
- iv. यह उस देश से है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है और जहां भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई है।

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

(उपरोक्त में से जो भी लागू नहीं है उसे काट दें)।

3. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता/करते हूँ कि (बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता/करती है और उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन और उसके बाद के आदेशों/संशोधनों के प्रावधानों के अंतर्गत विचार किए जाने के योग्य है/हैं। मैं/हम यह भी वचन देता/देते हूँ/हैं कि उन अनुबंधों के मामले में भी जहाँ बैंक/आरबीआई द्वारा हमें उप-अनुबंध करने की अनुमति दी गई है, मैं/हम(बोलीदाता का नाम) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी भी देश के ठेकेदार को कोई भी कार्य उप-अनुबंध नहीं देंगे/देंगे, जब तक कि ऐसा ठेकेदार उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन/आदेश में निहित सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

4. मैं/हम जानते और समझते हैं कि यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वचनपत्र/घोषणा/प्रमाणपत्र झूठा पाया जाता है, तो बैंक हमारे निविदा/कार्य आदेश को अस्वीकार/समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा और बैंक कानून के अनुसार कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए भी स्वतंत्र होगा, जिसमें बयाना राशि/प्रदर्शन बैंक गारंटी/सुरक्षा जमा राशि की ज़ब्ती और/या भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से हमें प्रतिबंधित करना शामिल है।

बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम
रबर स्टैम्प के साथ

दिनांक:

स्थान:

अनुबंध- एक्स

सार्वजनिक संस्थान(संस्थानों) द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के संबंध में निविदा में शामिल किया जाने वाला वचन पत्र

(निविदाकर्ता द्वारा अपने लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

कार्य का नाम:अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्थित बैंक के अधिकारियों के आवासीय परिसर में 1 यात्री लिफ्ट का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना।

1. मैं/हम (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि

क) मैं/हम या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म*भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्था/संस्था द्वारा बोली लगाने से प्रतिबंधित/निलंबित/ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है/हैं। (जमा करने की अंतिम तिथि)

ब) मैं/हम या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म*निविदा में उल्लिखित सत्यनिष्ठा संहिता के संबंध में भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्था/संस्था के साथ पिछले तीन वर्षों में (बोली जमा करने की अंतिम तिथि तक) कोई उल्लंघन नहीं किया है।

ग) यदि मैं/हम या हमारी कोई भी सहयोगी फर्म कोई अपराध करती है, तो हम बैंक को लिखित रूप में सूचित करेंगे।*यदि किसी सार्वजनिक संस्था/संस्था द्वारा भारत या किसी अन्य देश में उक्त कार्य के लिए कार्य सौंपे जाने से पहले या उस दिन तक उसे प्रतिबंधित/निलंबित/ब्लैकलिस्ट किया गया है।

2. मैं/हम (बोलीदाता का नाम) घोषणा करते हैं कि हम या हमारी सहयोगी फर्म*(संबद्ध फर्म/फर्मों) का नाम (भारत या किसी अन्य देश में स्थित सार्वजनिक संस्था का नाम और पता) द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/ब्लैकलिस्ट किया गया है और यह प्रतिबंध (दिनांक) तक प्रभावी है। इस पत्र की एक प्रति आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए संलग्न है।

(बोली लगाने वाले की मुहर और हस्ताक्षर)

दिनांक

स्थान

(उपरोक्त दो घोषणाओं में से जो लागू नहीं होती, उसे काट दें)

*सहयोगी फर्म: किसी फर्म को "सहयोगी फर्म" तब कहा जाएगा जब उसका प्रबंधन प्रतिबंधित/निलंबित फर्म के समान हो, या उसके पर्याप्त या बहुसंख्यक शेयर प्रतिबंधित/निलंबित फर्म के स्वामित्व में हों और इस कारण फर्म का उसमें निर्णायक अधिकार हो। इसके अतिरिक्त, सभी उत्तराधिकारी फर्मों को भी सहयोगी फर्म माना जाएगा।

अनुबंध- इलेवन

पेटेंट अधिकारों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु प्रपत्र

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पत्र पर)

प्रति,

क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
अहमदाबाद

कार्य का नाम: अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्थित बैंक के अधिकारियों के आवासीय परिसर में 1 यात्री लिफ्ट का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना।

महोदय,

हम, मेसर्स _____ (ठेकेदार का नाम), एतद्वारा नियोक्ता, अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक को किसी भी पेटेंट या डिज़ाइन या किसी कथित पेटेंट या डिज़ाइन अधिकारों के उल्लंघन या उपयोग से संबंधित किसी भी कार्रवाई, दावे या कार्यवाही के विरुद्ध पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति करने और क्षतिपूर्ति बनाए रखने का वचन देते हैं, और स्वयं किसी भी रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क आदि का भुगतान करेंगे जो अनुबंध में शामिल किसी भी वस्तु या उसके भाग के संबंध में देय हो, या इस संबंध में कानूनी रूप से किए गए सभी प्रकार के नुकसान, लागत और शुल्कों का भुगतान करेंगे।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में नियोक्ता के विरुद्ध कोई दावा किए जाने या कोई कार्रवाई किए जाने की स्थिति में, हमें इसकी सूचना मिलने पर, हम अपने खर्च पर, इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा करेंगे या किसी भी मुकदमे का संचालन करेंगे, बशर्ते कि यदि पेटेंट या डिज़ाइन या किसी कथित पेटेंट या डिज़ाइन अधिकार का उल्लंघन इस संबंध में प्रभारी अभियंता द्वारा पारित आदेश का प्रत्यक्ष परिणाम है, तो हम नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

आपका विश्वासी,

के लिए _____

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ठेकेदार का नाम और पता:

ठेकेदार के हस्ताक्षर एवं मुहर:

तारीख:

जगह:

नवरंगपुरा, अहमदाबाद स्थित बैंक के अधिकारियों आवासीय परिसर में एक यात्री लिफ्ट के डीएसआईटीसी के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

**अनुभाग (IX) –
मात्रा का मूल्यरहित बिल
यात्री लिफ्ट**

क्रमांक	वस्तु का विवरण	मात्रा	इकाई
1.	विस्तृत विनिर्देशों और कार्यक्षेत्र के अनुसार निम्नलिखित मंजिलों के लिए 6 यात्री लिफ्टों का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना। कृपया भाग-1 में दिए गए विस्तृत विनिर्देशों और कार्यक्षेत्र के साथ डेटा शीट देखें। दर में निम्नलिखित शुल्क भी शामिल होंगे। - सभी कर, जिनमें जीएसटी आदि शामिल हैं, लागू होंगे। - निविदा के अनुसार बीमा प्रीमियम, परिवहन, हैंडलिंग आदि आवश्यकतानुसार।		
(ए)	भूतल + 2 ऊपरी मंजिलें	1	नहीं।
2.	व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध शुल्क		
(ए)	उपरोक्त निर्दिष्ट यात्री लिफ्ट के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध शुल्क, निविदा के भाग 1 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार स्पेयर पार्ट्स सहित (जीएसटी या कोई अन्य कर सहित दर)।	1	हम।



भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग
अहमदाबाद

ई-निविदा
के लिए

अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्थित बैंक के अधिकारियों के आवासीय परिसर में 1 यात्री लिफ्ट का
डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना।

ई-निविदा संख्या: आरबीआई / अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय / एस्टेट / 11/25-26/ईटी/1099

भाग - II (वित्तीय बोली)

निविदाकर्ता का नाम: _____

पता: _____

निविदा आमंत्रण सूचना की तिथि: 16 मार्च 2026
निविदा जमा करने की प्रारंभ तिथि: 16 मार्च 2026
बोली-पूर्व बैठक की तिथि: 24 मार्च 2026
निविदा के भाग- I के खुलने की तिथि: 06 अप्रैल 2026

भाग II (मूल्य बोली) (केवल संदर्भ के लिए - उद्धरण के लिए नहीं)

1.	विस्तृत विनिर्देशों और कार्यक्षेत्र के अनुसार, निम्नलिखित मंजिलों पर सेवा प्रदान करने के लिए 6 यात्रियों वाली एमआरएल प्रकार की लिफ्ट का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना। कृपया भाग-I में दिए गए विस्तृत विनिर्देशों और कार्यक्षेत्र के साथ डेटा शीट देखें। दर में निम्नलिखित शुल्क भी शामिल होंगे। - सभी कर, जिनमें जीएसटी आदि शामिल हैं, लागू होंगे। - निविदा के अनुसार बीमा प्रीमियम, परिवहन, हैंडलिंग आदि आवश्यकतानुसार।				
(ए)	भूतल + 2 ऊपरी मंजिलें	1	नहीं।		
2.	व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध शुल्क				
(ए)	व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध शुल्क यात्री लिफ्ट के लिए जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, निविदा के भाग I में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार स्पेयर पार्ट्स सहित (जीएसटी या किसी अन्य कर सहित दर)।	1	हम।		